लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र] Seventh Session

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

[खंड 28 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 50, मंगलवार, 29 अप्रैल, 1969/9 वैशाख, 1891 (शक)

No. 50, Tuesday, April 29, 1969/Vaisakha 9, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1381. क्षेत्रों के आधार पर मद्य-निषेध नीति	Prohibition Policy on Basis of Regions ..	1—3
1382. मैसूर राज्य में देवदासी प्रथा का समाप्त किया जाना	Abolition of Devadasi System in Mysore State ..	3—5
1383. भिखारियों द्वारा बच्चों का अपहरण	Kidnapping of Children by Beggars ..	5—7
1384. धार्मिक संस्थानों सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन	Report of Commission on Religious Establishments ..	7—12
1385. रेलवे के कारखानों में तोड़-फोड़ की कार्यवाही	Sabotage in Railway Factories ..	12
1386. दिल्ली में यातायात का बढ़ना	Pressure of Traffic in Delhi ..	13—15
1387. उद्योगों के लिये लाइसेंस व्यवस्था का समाप्त किया जाना	Delicenced Industries ..	15—17
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
19. पोचमपाद परियोजना	Pochampad Project ..	17—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1388. विदेशी सहयोग से शराब तैयार करने के कारखाने	Winery Plants with Foreign Collaboration ..	22

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1389. रेलवे सामान की चोरी	Pilferage of Railway Goods ..	22—23
1390. हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड	Hindustan Motors Limited ..	23
1391. इस्पात का निर्यात	Export of Steel ..	23—24
1392. विकलांग तथा अक्षम व्यक्तियों के लिये रोजगार	Employment to Handicapped and disabled persons ..	24
1393. मध्य प्रदेश में सीमेंट का कारखाना	Cement Plant in Madhya Pradesh ..	24—25
1394. चुनाव अभियान में शराब का प्रयोग	Use of Liquor in Election Campaign ..	25
1395. एशियाई उत्पादकता संगठन	Asian Productivity Organisation ..	26
1396. मध्यावधि चुनाव में अवैध मत	Invalid votes during Mid-Term Election ..	26—27
1397. पश्चिम बंगाल से पूंजी विनियोजन का बाहर जाना	Flight of Capital Investment from West Bengal ..	27
1398. वाराणसी से बाराबंकी तक मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of M.G. Line from Varanasi to Bara Banki into B.G. ..	27—28
1399. मध्य प्रदेश में सीमेंट के कारखानें	Cement Factories in Madhya Pradesh ..	28
1400. भारावमोचक परिवहन सहायकों (रिलीविंग ट्रांसपोर्टेशन एसिस्टैंट्स) का सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों पर कार्य करना	Relieving Transportation Assistants Working as Assistant Station Masters ..	28—29
1401. गौहाटी के निकट बस और रेलगाड़ी के बीच टक्कर	Bus Train Collission near Gauhati ..	29
1402. अखिल भारतीय कामर्शियल क्लर्क महासंघ	All India Commercial Clerks Federation ..	29—30
1403. उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries ..	30—31
1404. जिला बर्दवान में कुल्टी नगर में ऊपर का पुल	Overbridge in Kulti Town in District Burdwan ..	31
1405. रेलवे के आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)	Stenographers in Railways ..	31—32

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1406. चुने हुये रेलवे स्टेशनों पर खाद्यान्नों का लदान	Loading of Foodstuffs at selected Railway Stations ..	32
1407. पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Material for Engineering Industry in West Bengal ..	32—33
1408. मोटर कार मूल्य सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	Report of Tariff Commission on prices of Automobiles ..	33
1409. बोकारो इस्पात कारखाने में श्रमिकों की काम करने की शर्तें	Working conditions of the Labourers in Bokaro Steel Plant ..	34
1410. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में षडयंत्र	Conspiracy in Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	34—35
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7950. लोनी उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर परियोजना	Tractor Project at Loni, Uttar Pradesh ..	35—36
7951. विकलांग बच्चों के लिए नेहरू संस्था के बन्द होने का प्रस्ताव	Proposal for closure of Nehru Institute for Physically Handicapped Children ..	36—37
7952. आदिम जातीय क्षेत्रों का विकास	Development of Tribal Areas ..	37
7953. खुर्दा रोड स्टेशन में पूछताछ तथा आरक्षण क्लर्कों के पद	Posts of Enquiry-cum-Reservation Clerks in Khurda Road Station ..	38
7954. मैसर्स सिंथैटिक एण्ड कैमिकल लिमिटेड तथा मैसर्स किलाचन्द देवीचन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड	M/s Synthetic and Chemicals Ltd. and M/s Kilachand Devi Chand and Co. Ltd. ..	38—40
7955. बिड़ला बन्धुओं को मिश्रित इस्पात परियोजना के लिए लाइसेंस	Licence for Alloy Steel Project to Birlas ..	40
7956. यार्दी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Yardi Committee Recommendations ..	40
7957. विधियों का हिन्दी में अनुवाद	Translation of Laws in Hindi ..	41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7958.	दक्षिण एक्सप्रेस में तृतीय श्रेणी में यात्रा	Travelling in Third Class in Dakshin Express ..	41—42
7959.	विदेशी सहयोग से औद्योगिक विकास योजनाएं	Industrial Development Scheme with Foreign Collaboration ..	42—43
7960.	दिल्ली स्टेशन से फ्रन्टियर मेल का विलम्ब से छूटना	Late Departure of Frontier Mail from Delhi Station ..	43
7961.	दिल्ली से फरीदाबाद तक शटल रेलगाड़ी	Shuttle Train from Delhi to Faridabad ..	43—44
7962.	नई दिल्ली और सफदरजंग ब्रांच लाइन के बीच शटल गाड़ी का चलना	Running of Shuttle Trains on New Delhi Safdarjang Branch Line ..	44
7963.	विशिष्ट डिब्बों के लिए विराम शुल्क	Halt Charges for Special Coaches ..	44—45
7964.	कान्दरोरी रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर माल साइडिंग	Goods Siding at Kandrori Station (Northern Railway) ..	45
7965.	भाखड़ा रेल लाइन का अधिग्रहण	Acquisition of Bhakra Railway Line ..	45—46
7966.	अखिल भारतीय अवर्गीकृत रेल लेखा कर्मचारी संस्था की मांगें	Demands of All India Ungraded Railway Accounts Staff Association ..	46
7967.	त्रिपुरा को लोहे की नालीदार चादरों का कोटा	Quota of C.I. Sheets for Tripura ..	47
7969.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students ..	47
7970.	सहायक स्टेशन मास्टरों का वेतन-मान	Scale of Pay of Assistant Station Masters ..	47—48
7971.	इंजीनियरी के सामान का उत्पादन	Production of Engineering Goods ..	48
7972.	मैसूर के अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory in Mysore ..	48
7973.	उड़ीसा में फर्मों को ऋण	Loans to Firms in Orissa ..	49

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7974. ग्रेटर बम्बई में चौकीदारों वाले रेलवे फाटकों पर उपरि पुल बनाना	Change of Manned Level Crossings into over bridges in Greater Bombay ..	49
7975. केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनायें	Central Industrial Projects ..	49—50
7976. उच्च कार्बनीकृत इस्पात का उत्पादन	Production of High Carbonised Steel ..	50
7977. रेलवे स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था	Electrification of Railway Station ..	50
7978. मध्य प्रदेश में स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था	Electrification of Stations in Madhya Pradesh ..	51
7979. कोटा सर्किल (पश्चिम रेलवे) में टिकट निरीक्षक कर्मचारी	Ticket Checking Staff in Kota Circle (Western Railway) ..	51
7980. रेलवे के संगचल कर्मचारी	Railway Running Staff ..	51—52
7981. चौथी पंचवर्षीय योजना में परामर्श पर होने वाला व्यय	Consultancy Expenditure in Fourth Five Year Plan ..	52—53
7982. उद्योगों का वर्गीकरण	Classification of Industries ..	53
7983. अजमेर में पिसाई मशीनों के औजार बनाने वाला कारखाना	Grinding Machine Tool Plant at Ajmer ..	53—54
7984. परामर्शदात्री सेवाओं में आत्म - निर्भरता सम्बन्धी गोष्ठी	Symposium on self sufficiency in consultancy services ..	54—55
7985. पूर्व रेलवे में गाड़ियों का देरी से चलना	Late Running of Trains on Eastern Railway ..	55
7986. सीमेन्ट के धारण मूल्य	Retention price of cement ..	55—56
7987. टाटा तथा बिड़ला उद्योग समूह में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अंश	Shares of Central and State Governments in Tata and Birla Groups of Concerns ..	56
7988. पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर एक्सप्रेस/मेल गाड़ियों में बिजली के बल्ब	Electric Bulbs in Express/Mail Trains on North Eastern and North-East Frontier Railways	56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7989.	न्यू कूच बिहार स्टेशन	New Cooch Bihar Station ..	56—57
7990.	पूर्वोत्तर रेलवे में तीसरी और चौथी श्रेणी के पद भरना	Filling up of Class III and IV posts in North Eastern Railway ..	57
7991.	सेन्ट्रल अस्पताल पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में रोगियों की मृत्यु	Death of Patients in Central Hospital North Eastern Railway, Gorakhpur ..	57
7992.	भारतीय रेलवे लिपिक संघ की मांगें	Demands of Indian Railway Clerks Union ..	58
7993.	खादी ग्रामोद्योग आयोग सम्बन्धी अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन	Ashoka Mehta Committee's Report on Khadi and Village Industries Commission	58
7994.	भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारी	Staff in Bhilai Steel Plant ..	58—59
7995.	अमृतसर एक्सप्रेस के लिए नये डिब्बों की सप्लाई	Supply of new bogies for Amritsar Express ..	59
7996.	नेपा मिल्स के लिए सामान का आयात	Import of Goods for NEPA Mills ..	59—60
7997.	मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े जातियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा	Free Education to Children of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Backward Classes in Madhya Pradesh ..	60
7998.	अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टें	Confidential Reports of non-Gazetted Railway Employees ..	60—61
7999.	स्टेशन मास्टरों का ड्यूटी रोस्टर	Duty Rosters of Station Masters ..	61
8000.	सियालदह डिवीजन (पूर्व रेलवे) पर तार की चोरी	Wire theft cases in Sealdah Division (Eastern Rly.) ..	61—63
8001.	स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए छुट्टी रिजर्व	Leave reserves for S. Ms. and A. S. Ms. ..	63
8002.	पश्चिमी देशों में सिले सिलाये वस्त्रों की मांग	Demand for readymade garments in Western countries ..	64

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

8003. कोटा (राजस्थान) में रेलवे कर्मचारियों को भविष्य निधि से अग्रिम राशि मंजूर करने में विलम्ब	Delay in Sanction of provident fund Advances to Railway Employees at Kota (Rajasthan)	..	64
8004. कुलियों के नम्बर में परिवर्तन	Changing of Coolie Numbers	..	64—65
8005. बलिया और रतनपुरा के बीच लोहे के पाइप लगाना	Installation of iron pipe between Ballia and Ratanpura	..	65
8006. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों में अनिर्णीत अपीलें	Pendency of appeals before the income tax appellate Tribunals	..	65—66
8007. रीरोलिंग मिलों का बन्द होना	Closure of Rerolling Mills	..	66
8008. चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता का हटाया जाना	Waiving of disqualification for contesting Elections	..	66—67
8009. आत्महत्या को अपराध न मानने के बारे में विचार	Views that suicide should no longer be an offence	..	67
8010. लघु उद्योगों के लिए ऋण सुविधायें	Credit facilities for Small Scale Industries	..	67—68
8011. कुछ अधिनियमों के अन्तर्गत कदाचार के मामले	Cases of malpractices under certain Acts	..	68
8012. नई दिल्ली की लघु उद्योग सेवा में देसी दवाइयां बनाने की योजना	Scheme for manufacture of Indian Medicines in small industries service Institute, New Delhi	..	68—69
8013. पराजित प्रत्याशियों द्वारा याचिकाएं दायर करना	Filing of petitions by defeated candidates	..	69
8014. इस्पात कारखानों में इस्पात के उत्पादन को बढ़ाना	Break through in production of steel in Steel Plants	..	69
8015. उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों की भर्ती	Recruitment of stenos in Northern Railway		70
8016. बालीगंज रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर आक्रमण	Attack on Ballyganj Station (Eastern Railway)	..	70—71
8017. कमर्शियल क्लर्क	Commercial Clerks	..	71

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8018. आल इंडिया रेलवे कमर्शियल क्लर्क एसोसिएशन से अभ्यावेदन	Representation from All India Railway Commercial Clerks Association ..	71—72
8019. रूपसा और बस्ता स्टेशनों के बीच गाड़ी रुकने वाले स्थान पर प्लेटफार्म	Platform for passenger halt between Rupsa and Basta Stations ..	72—73
8020. 'जेली' का उत्पादन	Manufacture of Jelly ..	73
8021. नागपुर में छोटी कार परियोजना	Small Car Project at Nagpur ..	73—74
8022. संयुक्त सलाहकार समिति	Joint Consultative Machinery ..	74
8023. रेलवे के विभिन्न वर्गों के लिए संस्थाएं (केटेगोरिकल एसोसिएशन्स)	Categorical Associations in Railways ..	74—75
8024. कम्पनियों के बारे में की गई जांच का प्रतिवेदन	Report of Enquiry conducted in Respect of companies ..	75—76
8025. यात्री पार्सल तथा माल यातायात	Passenger, Parcel and goods Traffic ..	76—78
8026. कोटा डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के स्टेशन का विकास	Development of stations of Kota Division (Western Railway) ..	78—79
8027. गंगापुर सिटी स्टेशन का विकास	Development of Gangapur city Station ..	79
8028. सवाई माधोपुर स्टेशन का विकास	Development of Sawai Madhopur Station ..	79—80
8029. पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर भोजन व्यवस्था के स्टाल	Catering Stalls at Stations on Western Railway ..	80
8031. दक्षिण पूर्वी रेलवे में कमजोर दृष्टि वाले 100, परिवहन कर्मचारियों को वाणिज्यिक श्रेणी में नौकरी देना	Absorption of 100 vision failed transportation in commercial Category staff on South Eastern Railway ..	80—81
8032. रेलवे में श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों को स्थायी किया जाना	Confirmation of class III and IV staff on Railways ..	81

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8033. केबल और टेलीफोन तार कारखाने	Cable and Telephone Wire Factories ..	81—82
8034. पिपरी डीह रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट छुरेबाजी	Stabbing near Pipri Dih Station (North Eastern Railway) ..	82
8035. रेल इंजिनों में 'गेजेट' लगाया जाना	Installation of Gadget in Railway Engines ..	83
8036. शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र	Teachers Training Centres for Physically Handicapped ..	83
8037. मोटर गाड़ियों का निर्माण	Manufacture of Automobiles ..	84
8039. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और लक्समबर्ग के टोर-इसटेग स्टील कारपोरेशन के बीच समझौता	Agreement between Hindustan Steel Ltd. and Tor Isteg Steel Corporation of Luxembourg ..	84—85
8040. नई दिल्ली में उत्तर रेलवे के डिवीजनल लेखा कार्यालय में ग्रेड I के लेखा-क्लर्क के विरुद्ध आरोप	Charges against an Accounts Clerk Grade I in Divisional Accounts Office Northern Railway, New Delhi ..	85
8041. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन ग्रुप के मामलों की जांच	Enquiry into the Affairs of British India Corporation Group ..	85—86
8042. गांधी शताब्दी समारोहों में रियायती दरों पर टिकटें जारी करना	Issue of Tickets at concessional rates during Gandhi Centenary celebrations ..	86
8043. बम्बई में वायदा व्यापार में लगे व्यापार गृहों में छापे	Raids on Business Houses in Bombay including in forward Trading ..	86
8044. पत्तन न्यास रेलवे का कार्यभार सम्भालना	Taking over of port Trust Railways ..	87
8045. ए० ई० आई० (इण्डिया) के अंशधारियों द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Shareholders of A.E.I. (India) ..	87—88
8046. रेलवे के फालतू बिजली कर्मचारियों को अन्य परियोजनाओं पर लगाना	Absorption of surplus staff of Railway Electrification staff in other Projects ..	88

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

8047. रेलवे के महाप्रबन्धकों को सेवा-निवृत्तिपूर्व छुट्टी देने से इन्कार	Refusal of leave preparatory to Retirement to General Managers of Railways ..	88—89
8048. रेलवे विद्युतीकरण में नैमित्तिक मजदूरों को बर्खास्त करना	Dismissal of casual Workers in Railway Electrification ..	89—90
8049. रेलवे कर्मचारियों के भरती सम्बन्धी नियम का उल्लंघन	Violation of Rule regarding recruitment of staff in Railways ..	90
8050. दिल्ली में शराब की दुकानें खोलना	Opening of liquor shops in Delhi ..	90
8051. पूसा रोड दिल्ली पर शराब की दुकान	Wine shop on Pusa Road, Delhi ..	91
8052. बिहार में छोटा नागपुर और संथाल परगना के आदिवासी लोग	Tribal People of Chhota Nagpur and Santhal Pargana of Bihar ..	91—92
8053. प्रवर वेतनमान वाले अधिकारियों से सम्बद्ध स्टेनो	Stenos attached to Senior Scale Officers ..	92
8054. रेलवे में स्टेनोग्राफर	Stenographers in Railways ..	93
8055. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उत्पादन लक्ष्य	Production Targets of Hindustan Steel Limited ..	93—94
8056. मशीनी औजार उद्योग के बारे में कार्यकारी दल का प्रतिवेदन	Report of working Group on Machine tool Industry ..	94—96
8057. ब्रेक-वैन के बिना रेलगाड़ियों का चलना	Running of Trains without Brake Van ..	97
8058. ब्रेक-वैन के बिना रेलगाड़ियों का चलना	Running of Trains without Brake Van ..	97—98
8059. चौथी योजना में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Fourth Plan ..	98
8060. उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव में गलत नाम से मत डालना	Impersonation during Mid-Term elections in U. P. ..	98—99
8061. औद्योगिक लाइसेंसों के लिए उत्तर प्रदेश से आवेदनपत्र	Applications for Industrial Licences from U. P. ..	99

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

8062.	पूर्वोत्तर रेलवे के आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)	Stenographers on North Eastern Railway ..	99—100
8063.	उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन	Incentive to Cottage Industries in U. P. ..	100
8064.	उत्तर प्रदेश को अम्बर चरखों की सप्लाई	Supply of Ambar Charkhas to U. P. ..	100
8065.	फिरोजपुर जिले में माखू रेलवे स्टेशन से केनाल कालोनी तक रेलवे लाइन पर बेकार पड़े रेलवे इंजन और माल डिब्बे	Locomotive and Wogons lying idle on Railway line from Makhu Station to Canal Colony in Ferozepur District ..	101
8066.	सवारी कारों के मूल्यों में परिवर्तन	Revision of prices of passenger cars ..	101—102
8067.	तमिलनाडू में उद्योग	Industries in Tamil Nadu ..	102
8068.	एशियाटिक आक्सीजन एण्ड ऐसीटिलीन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को काली सूची में रखा जाना	Blacklisting of Asiatic Oxygen and Acet ylene Co. Ltd., Calcutta ..	103
8069.	नेशनल कास्टिंग कम्पनी, नास्करपारा जूट मिल्स कम्पनी, कलकत्ता तथा इंडियन रबर रिजेनेरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	Licences to National Casting Co., Naskarpara Jute Mills Co., Calcutta and Indian Rubber Regenerating Co. Ltd. Bombay ..	103
8070.	एशियाटिक सोप कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, एटलस एण्ड यूनियन जूट प्रेस कम्पनी लि०, कलकत्ता और जयपुर उद्योग लि० को लाइसेंस	Licences to Asiatic Soap Co. Ltd., Calcutta, Atlas and Union Jute Press Co. Ltd., Calcutta and Jaipur Udyog Ltd. ..	104
8071.	कुछ फर्मों को लाइसेंस	Licences to certain Firms ..	104
8072.	एशियाटिक आक्सीजन एण्ड ऐसेटीलीन कम्पनी तथा बरदाही लुबरीकेंट्स कारपोरेशन लि०, कलकत्ता को लाइसेंस	Licences to Asiatic Oxygen and Acetylene Co. Bardahi Lubricants Corporation, Ltd., Calcutta ..	105

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8073. पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in West Bengal ..	105
8074. पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Students of West Bengal ..	106
8075. पश्चिम बंगाल सरकार को औद्योगिक विकास के लिए ऋण	Loans to West Bengal Government for Industrial Development ..	106
8076. पश्चिम बंगाल में मध्यम दर्जे के उद्योगों का विकास	Development of Medium Scale Industries in West Bengal ..	107
8077. पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास	Industrial Development in West Bengal ..	107—108
8078. सूरजमल नागरमल, कलकत्ता, बम्बई गैस कम्पनी और सी० एण्ड ई० मार्टन (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता को लाइसेंस	Licences to Sooraj Mull Nagar Mull, Calcutta, Bombay Gas Co. and C. & E. Morton (India) Ltd., Calcutta ..	108
8079. कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई तथा जयश्री टेक्सटाइल्स लि०, कलकत्ता को लाइसेंस	Licences to Kamani Engineering Corporation Ltd., Bombay and Jaishree Textiles Ltd., Calcutta ..	108—109
8080. कम्पनियों के निदेशक तथा अंशधारी	Directors and Shareholders of Companies ..	109
8081. कुछ कम्पनियों के निदेशक तथा अंशधारी	Directors and Shareholders of certain Companies ..	109—110
8082. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिए उपकरण	Equipment for Durgapur Steel Plant ..	110
8083. रेल कर्मचारियों के लिये तीसरा वेतन आयोग	Third Pay Commission for Railwaymen ..	111
8084. बादली औद्योगिक बस्ती, दिल्ली	Badli Industrial Estate, Delhi ..	111

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

8085. पश्चिम रेलवे के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी बम्बई के कार्यालय के कनिष्ठ लेखापाल	Junior Accountants in Office of F. A. and C.A.O. Western Railway, Bombay ..	112—113
8086. पश्चिम रेलवे, दिल्ली से अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दिया जाना	Increments to Employees of Foreign Traffic Accounts office, Western Railway Delhi ..	113
8087. पश्चिम रेलवे, दिल्ली के अन्य रेलवे यातयात लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Staff of Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi ..	113—114
8088. पश्चिम रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर में कर्मचारियों का स्थायीकरण	Confirmations in T.A.O. Western Railway, Ajmer ..	114
8089. लघु उद्योग स्थापित करने में अफ्रीकी देशों को भारत द्वारा सहायता	India's help to African Countries in Setting up Small Scale Industries ..	114—115
8090. बिजली तथा डीजल के इंजनों का निर्यात	Export of Electric and Diesel locomotives ..	115
8091. महिलाओं तथा लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, 1956	Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 ..	115—116
8092. गोवा में स्कूटर बनाने का कारखाना	Scooter Plant in Goa ..	116
8093. सकरी और पंडोल (उत्तर रेलवे) स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन	Halt Station between Sakri and Pandaul Stations (Northern Rly.) ..	116—117
8094. बी० आर० उद्योग समूह का निरीक्षण	Inspection of B. R. Group of Concerns ..	117—118
8095. मैसूर में मांडया नगर में पुल	Bridge at Mandya Town in Mysore ..	118
8096. 19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों के बारे में जांच	Investigation in respect of Railway Employees who took part in strike in September 19, 1968 ..	118—119

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8097. कागज की बनी हुई वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Price rise of paper products ..	119
8098. डीजल से चलने वाले 8 अश्वशक्ति के ट्रैक्टर का निर्माण	Development of an 8 HP Diesel Tractor ..	120
8099. पश्चिम घाट रेलवे	West Coast Railway ..	120—121
8100. गोआ में कच्चे लोहे के कारखाने की स्थापना	Setting up of Pig Iron Plants in Goa ..	121
8101. मैसर्स हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	M/s. Hindustan Pilkington Glass Works Ltd., Calcutta ..	122
8102. मैसर्स हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	M/s. Hindustan Pilkington Glass Works Ltd., Calcutta ..	122—123
8103. मैसर्स हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	M/s Hindustan Pilkington Glass Works Ltd. Calcutta ..	123
8104. मैसर्स गुजदार कोल माइन्स लिमिटेड, तथा मैसर्स कलकत्ता सेफ डिपोजिट्स लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही	Action taken against M/s. Guzdar Coal Mines and M/s. Calcutta Safe Deposit Ltd. ..	124—125
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— ..	
जकार्ता हवाई अड्डे पर भारतीय दूतावास के एक अधिकारी की गिरफ्तारी का समाचार	Reported arrest of an Indian Embassy Official at Djakarata Airport ..	125—127
श्री कामेश्वर सिंह	Shri Kameshwar Singh ..	125
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh ..	125, 126 127
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	127—128
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee ..	129
87वां प्रतिवेदन	Eighty-seventh Report ..	129

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
लोक लेखा समिति— 36वां, 53वां, 61वां, 67वां, 75वां, 76वां, 77वां, 78वां, 79,वां, 80वां, 81वां तथा 82वां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee— Thirty-sixth, fifty-third, sixty-first, sixty-seven, Seventy-fifth, seventy-sixth, seventy seventh, seventy-eighth, seventy-ninth, eighteeth, eighty-first and eighty-second Reports	.. 129—130
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	.. 130—131
32वां, 35वां, 40वां, 41वां, 45वां, 46वां तथा 49वां प्रतिवेदन	Thirty-second, thirty-fifth, forteenth, forty-first, forty-fifth, forty-sixth and forty-ninth Reports	.. 130—131
सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में	Re : Arrest of Members	.. 138—140 144—145
वित्त विधेयक, 1969	Finance Bill, 1969	.. 131
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	.. 131
श्री मोरार जी देसाई	Shri Morarji Desai	.. 141, 142—144
श्री चं० चु० देसाई	Shri C. C. Desai	.. 145—148
श्री अशोक मेहता	Shri Ashoka Mehta	: 149—152
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	.. 152—155
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	.. 155—156
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	.. 156—157
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	.. 158—159
श्री ए० श्रीधरन	Shri A. Sreedharan	.. 159—160
श्री फ० गो० सेन	Shri P. G. Sen	.. 160—161
श्री बदरुद्दुजा	Shri Badrudduja	.. 161—164
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख	Shri Shivajirao S. Deshmukh	.. 164—167
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	.. 167—168
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh	.. 168
सदस्यों की गिरफ्तारी तथा दोषसिद्धि (सर्वश्री ज्योतिर्मय बसु, सी० के० चक्रपाणि तथा प० गोपालन)	Arrest and conviction of Members (Sarvashri Jyotirmoy Basu, C. K. Chakrapani and P. Gopalan)	.. 148—149

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 29 अप्रैल, 1969/9 वैशाख, 1891 (शक)
Tuesday, April 29, 1969/Vaisakha 9, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Prohibition Policy on Basis of Regions

+

*1381. **Shri Sharda Nand:** **Shri Kanwar Lal Gupta:**
Shri Onkar Singh: **Shri Shri Gopal Saboo:**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government propose to formulate any prohibition policy on the basis of regions;

(b) whether the Delhi Administration has forwarded some suggestions to the Central Government in this connection;

(c) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon; and

(d) the steps being taken by Government to check the distillation and sale of illicit liquor in Delhi?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) देशी शराब के ठेकों की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई है ताकि अभ्यस्त व्यक्तियों को वैध शराब अपने समीपवर्ती स्थानों से प्राप्त हो सके।

(2) उन स्थानों पर, जहां के निवासी अवैध शराब बनाने के लिए कुख्यात हैं, कड़ी निगरानी रखने के आदेश दे दिए गए हैं।

(3) आबकारी नियमों के उल्लंघन में अवैध शराब बनाने तथा आयात करने को रोकने के लिए एक पुलिस उप-अधीक्षक के संरक्षण में आबकारी पुलिस स्क्वाड संगठित किया गया है।

(4) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की सीमावर्ती राज्यों से अवैध शराब की चोरी छिपे आयात को रोकने के लिये पुलिस तथा आबकारी विभाग के कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर नाकाबन्दी की जाती है।

Shri Sharda Nand: Sir, Government has made a plan to introduce prohibition in various parts of the country but in case there is a nearly district where there is no prohibition then it has a bad effect there also. May I therefore know whether prohibition laws will be extended in the neighbouring districts also where such laws have already been enforced?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : हम दिल्ली प्रशासन की कठिनाइयों को जानते हैं। उन्होंने महापौर की अध्यक्षता में हाल में एक प्रशासनिक समिति बनाई है जो विभिन्न उपबन्धों को लागू करने के उपाय सुझायेगी।

Shri Sharda Nand: May I know whether the attention of Government has been drawn to this fact that police is also involved in the distillation and if the concerned persons give up this profession and adopt other than they are harassed by the police?

The Hon. Minister has just now told that an Excise Police Squad has recently been organised to check distillation and impress of illicit liquor. I know whether that Squad has submitted any report to the Government like the one reproved in connection with some incident that took place under Moti Nagar police station? May I know the steps being taken by Government to check these acts of police?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : उस घटना के सही-सही आंकड़े हमारे पास नहीं हैं परन्तु हमें आशा है कि जिस समिति का मैंने उल्लेख किया है वह बड़े पैमाने पर सुझाव देगी तथा सरकार उनको ध्यान में रखेगी।

Shri Kanwar Lal Gupta: We have been trying to introduce prohibition for the last 22 years but our efforts are being no fruits and on the other hand take the use of liquor is being popular. Not only amongst students but in villagers also immaterial of the fact whether they are rich or poor.

It was only yesterday that I had gone to a friend of mine. There I saw that his old grandmother who was about 80 years old had a 'jyoti' in her hand and in the other hand she had a bottle of liquor. On questioning I came to know that she was going to offer it to some deity. Liquor might be offered to the deities in the past but one is surprised to see that such things are tolerated these days. May I therefore know whether it is not a fact that in spite of the fact so much amount is being spent to introduce prohibition yet liquor is being popular

amongst the masses. May I know whether Government will find out the reasons why prohibition is not being enforced on a large scale in spite of so many efforts? If laws cannot be enforced then what other efforts Government propose to make to be successful in this task. Whether Government will appoint some high power commission or some enquiry committee to go through the matter and do some effective efforts?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : ऐसे माननीय सदस्यों द्वारा, जिन्हें श्री गुप्त के कल के अनुभव जैसे अपने-अपने अनुभव थे, बार-बार वक्तव्य दिये जाने से मैं समझता हूं ऐसा समय आ गया है जब कोई अग्रेतर जांच कराई जानी पड़ेगी और मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा सुझाव है।

Shri Mrityunjay Prasad: May I draw the attention of the Hon. Minister to the fact that the official lunches and dinners that are served in Public undertakings in honour of the high officials liquor is served in them and the officers of those undertakings bear those expenses themselves. The greatest disadvantages of this is that it becomes a symbol of status to have liquor in the company of big officers. The big officers may do and may not do anything wrong but small officers begin to think that they can please big officers by giving them cooktail parties. May I therefore know whether Government will issue such instructions to the public undertakings that liquors should not be served in the official and demi-official dinners and lunches.

श्री गोविन्द मेनन : यह सुझाव कार्य रूप दिये जाने लायक है।

Shri Sarjoo Pandey: It has been said just now that the plan to introduce prohibition is proving successful and the number of drunkards is increasing and some states have refused to introduce prohibition in their territory. Then may I know why Government is enforcing this prohibition policy unnecessarily. Dr. Sushila Nayar had recently gone on hunger strike in connection with prohibition. May I know the decision Government have taken after that?

श्री गोविन्द मेनन : मद्यनिषेध केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू नहीं किया जाता है। यह काम राज्य सरकारों का है।

कुछ माननीय सदस्य उठे

अध्यक्ष महोदय : जब मद्यनिषेध का प्रश्न उठाया जाता है तो सभी सदस्यगण खड़े हो जाते हैं और प्रश्न पूछने लग जाते हैं। इस स्थिति में प्रश्न काल में केवल एक ही प्रश्न पर चर्चा हो सकती है। यह प्रश्न पहले भी उठाया गया था। तब श्री मनुभाई पटेल ने भी प्रश्न किया था। अब अगला प्रश्न लिया जाये।

Abolition of Devadasi System in Mysore State

\+

*1382. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** **Shri Narain Swarup Sharma:**
Shri Ram Swarup Vidyarthi: **Kumari Kamla Kumari:**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the "Devadasi" system is still prevalent in

Mysore State and is assuming the form of prostitution for sometime past;

(b) whether Central Government have given any advice to the Government of Mysore for the abolition of this baneful practice; and

(c) if so, the nature thereof and the steps taken by the Mysore Government for the abolition of this practice?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) यह सूचना मैसूर राज्य की सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) नहीं, श्रीमान्। स्त्रियों तथा लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, 1956 इस राज्य में भी लागू है। जहां कहीं 'देवदासी' प्रथा स्त्रियों तथा लड़कियों में अनैतिक पण्य का रूप ले रही है, वहां इस पर इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जा सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री क० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मैं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं।

श्री क० लकप्पा : मैसूर में देवदासी प्रथा प्रचलित नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वहां ऐसी बात नहीं है, तो आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप ऐसे बोलते जायेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं।

Shri Raghuvir Singh Shastri: May I inform the Hon. Minister that the Planning Commission of the Government of India had given a lot of money to Social and Moral Hygiene Association during 1961 and had got the survey done by a study group which has submitted a report in which it has been mentioned that 'Devadasi' system is prevalent in Mysore. I can read it out. May I therefore know as to how can Government say that are collecting data when they have a report with them which was prepared by themselves? May I know whether the surveyors have said that law prohibiting 'Devadasi' system is not being implemented properly? They had made certain recommendations also. May I know whether any follow-up action has been taken by Government after the recommendations were made in the survey report?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : देवदासी के शब्द के उच्चारण पर ही दो माननीय सदस्यों को गुस्सा आया है वह आपने देखा ही है। जानकारी प्राप्त किये बिना हम कैसे कह सकते हैं कि यह प्रथा प्रचलित है अथवा नहीं।

Shri Raghuvir Singh Shastri: May I know whether it is a fact that after doing survey in Bombay it has been mentioned in the report that majority of the largest number of prostitutes in Bombay consists of 'Devadasies' most of whom belong to Harijan families from the four districts of Mysore namely South Kanara, Bijapur, Dharwar and Belgaum. The police there is also involved in this work. May I know whether with a view to abolish this practice and its propaganda work at least in these four districts through Social Welfare Department Government propose to do anything so that this baneful practice may be abolished?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि मेरे पास जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम मैसूर सरकार से जानकारी मंगवा रहे हैं। अतः पुनः वही प्रश्न पूछने का क्या लाभ है ?

श्री जे० मुहम्मद इमाम : इस प्रश्न से कि मैसूर में अनैतिकता तथा वेश्यावृत्ति बड़े पैमाने पर प्रचलित है मैसूर राज्य की निन्दा होती है। मैं मैसूर में पैदा हुआ था और वहां रहा हूं। इसलिये बता सकता हूं कि मैसूर में नैतिकता बहुत है। जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा है उन्होंने यह जानने के लिये अत्यधिक प्रयास किया होगा कि वहां देवदासी प्रथा प्रचलित है। मैं नहीं जानता कि क्या वे यह अपने वैयक्तिक आधार पर कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि मैसूर सरकार ने पहले ही एक कानून बनाया हुआ है जिसके अन्तर्गत वेश्यावृत्ति पर रोक लगाई गई है ? ऐसे बहुत से मामले, अब नहीं पहले भी, देखे गये हैं जहां इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैसूर राज्य में नैतिकता दूसरे स्थानों की तुलना में अधिक है। वहाँ देवदासियां बिल्कुल नहीं है। यदि कोई है भी तो वे इका दुका हो सकती हैं। इसलिये मैं यह जानना चाहता था कि क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में देवदासी प्रथा न के बराबर अथवा बिल्कुल नहीं है तथा देवदासियां बनाना दांडिक अपराध है तथा ऐसा करने वालों को गिरफ्तार किया जायेगा ? यह जो जानकारी की गई है यह बिल्कुल सही है।

श्री गोविन्द मेनन : मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ हूं तथा यही कारण है कि भाग (ख) के उत्तर में हमने कहा है कि अनैतिक पण्य के बारे में एक अधिनियम बना हुआ है तथा उस अधिनियम के अन्तर्गत अनैतिकता होने पर उसका प्रयोग किया जायेगा।

श्री क० लकप्पा : मैसूर एक आदर्श राज्य है। उसकी प्रतिष्ठा बहुत शानदार रही है। जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने कहा है यह नम्रशीलता तथा अच्छे चरित्र के लिये प्रसिद्ध है। हमारे देश के कुछ समुदायों के लोग, जो समाज में ऊंची जाति की वकालत करते हैं, नीची जाति के लोगों को यह कहकर बदनाम करना चाहते हैं कि वे लोग देवदासियां बना रहे हैं। उन्होंने यह कहने के लिये मैसूर को चुन लिया है कि वहां पर देवदासी प्रथा प्रचलित है। मैं इसका कड़ाई से विरोध करता हूं। देवदासी प्रथा केवल मैसूर राज्य में ही नहीं बल्कि दक्षिण में कहीं भी प्रचलित नहीं है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों को, जो समाज में ऊंची श्रेणी के होने के कारण, छोटी जातियों के लोगों को बदनाम करने के उद्देश्य से जाति भेदभाव पैदा कर रहे हैं, कठोर दंड दिया जायेगा। ताकि ऐसी घृणा उत्पन्न न होने पाये।

श्री गोविन्द मेनन : हम इस बात से सहमत हैं कि किसी समुदाय को बदनाम नहीं किया जाना चाहिये।

Kidnapping of Children by Beggars

*1383. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that the beggars kidnap

children and engage them in the business of begging after causing deformities to their bodies ;

(b) if so, whether Government have any proposal under consideration to make the present criminal law more deterrent with a view to stop kidnapping of the children for the aforesaid purpose ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). जी हां। "भिक्षावृत्ति के प्रयोजन के लिए बच्चों को अपहरण करने" के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। समिति ने अभी हाल में अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

Shri Om Prakash Tyagi : In India begging is also a curse like prostitution and untouchability and it is the duty of our Government to stop it. Most of the beggars do it as a business. They indulge in begging not because they are poor but they consider it as their profession. There are some beggars who have their own house and land. They dye their clothes and go out for begging. May I therefore know whether Government have fixed any date by which begging will be stopped statutorily ? May I know whether any such scheme has been chalked out or not ?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : श्रीमान् जी, कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

Shri Om Prakash Tyagi : Sir, you might have heard the answer of the Hon. Minister.

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : माननीय मंत्री ने पूछा था कि क्या कोई तिथि निर्धारित की गई है। इस पर मैंने उत्तर दिया था की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

Shri Om Prakash Tyagi : Sir, the image of our country is being tarnished in foreign countries on account of these beggars. Therefore I wanted to know the reasons on account of which our Government could not fix any date to stop begging ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ी समस्या है तथा हमने एक पहलू पर जहां बच्चों के अंग भंग करके उनसे भीख मंगवाई जाती है, विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा हम उसपर कार्यवाही करेंगे। दूसरा और एक बड़ा प्रश्न नीति के बारे में है कि क्या हम भिखारियों के लिये आवासस्थान की तथा उनकी रोजी की व्यवस्था किये बिना भिक्षावृत्ति का कानून समाप्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में भी राज्य ही विचार कर सकते हैं केन्द्र नहीं।

Shri Om Prakash Tyagi : The Hon. Minister is a Minister of Law as well as Minister of Social Welfare. May I know whether he has fixed any date to stop beggary.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है कि राज्य इस काम को कर रहे हैं तथा हम राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करते रहते हैं।

Shri Tulsidas Jadhav : Two questions have come before the house, one is regarding 'Devadasi' and the other regarding beggary.

अध्यक्ष महोदय : 'भद्रा' के बाद देवदासी का प्रश्न आया था।

Shri Tulsidas Jadhav : If you go into the basic cause of such a social system, you will find that those who call themselves Hindus and those who preach Hinduism, have Shri Shankaracharya...

श्री बलराज मधोक : क्या ऐसा कहना संगत है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कहने वाला था, हमें बार बार श्री शंकराचार्य का नाम नहीं लेना चाहिये, प्रश्न भीख मांगने के बारे में है ।

Shri Tulsidas Jadhav : I wanted to say about the ideals of those who preach religion. I wanted to know whether Government propose to do anything about those who give donations and those who accept donations? My question has not been replied.

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय कहते हैं कि इसका उत्तर उनके पास नहीं है तो मैं इस सम्बन्ध में क्या कर सकता हूं ।

Shri Satya Narain Singh : The law regarding prostitution is not being implemented..

Mr. Speaker : This question relates to beggary.

Report of Commission on Religious Establishments

*1384 **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision so far on the report of a commission appointed sometime back in connection with religious establishments ;

(b) if so, whether the matter regarding the use of funds of these establishments has been considered ; and

(c) the time by which all the recommendations of this commission would be examined fully ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) आयोग की सब सिफारिशों की पूरी-पूरी परीक्षा की गई थी और हिन्दू धार्मिक विन्यास विधेयक, 1955 के नाम से एक विधेयक तृतीय लोक सभा में पुरः स्थापित किया गया था । इस लोक सभा के विघटन पर यह विधेयक व्यपगत हो गया । लोकन्यास विधेयक, 1968 नामक एक प्रारूप विधेयक, जो सब लोक धार्मिक और खैराती न्यासों को लागू होने वाला है और जिसमें आयोग की सिफारिशों को स्थान दिया गया है । अगस्त, 1968 में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में अभिमत के लिये परिचालित किया गया है । राज्य सरकारों आदि से प्राप्त अभिमतों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाने वाला है ।

Shri Prakash Vir Shastri : The report of Ramaswami Iyengar Commission has been received long ago but no decision has been taken by Government thereon.

At the National Integration Council Conference in Srinagar the late Chief Minister of Punjab Shri Lachhman Singh Gill had said that places of worship were being used for political purposes and their income was being spent on political activities. He demanded a ban to be imposed on such use. I would like to know the direction issued in this connection.

Shri M. Yunus Saleem : Public Trusts Bill has been sent for circulation. Most of the States have replied. We hope to introduce this Bill during the next session. All the effective recommendations of Iyengar Commission have been incorporated therein.

Shri Prakash Vir Shastri : My question related to the decision of National Integration Council on the question of enacting a law to prevent the use of the funds of religious institutions for political purposes. I would like to know whether the Ministry has taken any decision thereon and if not, the reasons therefor.

Shri M. Yunus Saleem : The question raised by Hon. Members will be considered at the time of finalisation of this draft Bill and the rccommendations of National Integration Council will be taken into account.

Shri Prakash Vir Shastri : The Hon. Minister is treating this House very lightly. I have personal information that such orders have been issued in this House by the Ministry. I wanted this fact to be confirmed in the House.

The report of Iyer Commission on religious institutions has been received. The income of such institutions should be spent to preach the ideologies of such religions and not on the encouragement of conservatism in such religions. I would like to know whether any such proposal is under consideration.

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : जब राज्य सरकारों के मत प्राप्त हो जायेंगे तो विधेयक के प्रारूप पर पुनः विचार करना आवश्यक हो जायेगा । हम माननीय सदस्य के सुझावों को भी अवश्य ध्यान में रखेंगे ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या कोई निर्णय किया गया है ?

श्री गोविन्द मेनन : यह समवर्ती सूची का विषय है । अतः हम निर्णय बाद में ही कर सकते हैं । कुछ राज्य सरकारों ने इस विषय पर केन्द्र द्वारा कानून बनाने पर आपत्ति की है क्योंकि उनमें पहले ही उस सम्बन्ध में बहुत अच्छे कानून लागू हैं । उदाहरण के लिये तमिलनाडु, उड़ीसा तथा केरल की सरकारों ने हिन्दू धर्मस्व के बारे में अपने कानून बना रखे हैं । अतः राज्य सरकारों से परामर्श करना आवश्यक हो गया है । यदि राज्य सरकारें आपत्ति करें तो हम केवल एक आदर्श कानून ही बना सकते हैं जिसमें श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा अन्य सदस्यों के सुझावों पर विचार किया जा सकता है । अतः राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया जानने के बाद ही अन्तिम निर्णय किया जा सकता है । निर्णय करते समय राज्य एकता परिषद के निर्णयों को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

Shri Shashi Bhushan : Religious and political disparity has increased after the attainment of independence and these religious institutions have a fairly big hand in it. Matters such

as partition of the country and increasing of social disparity are raised in such religious institutions. I would like to know the steps taken by Government to prevent such things. I would like to know whether the Government have considered the question of preparing a record of financial position of these religious institutions. Black money is also sought to be converted into white money through these religious institutions. I would like to know the steps taken by Government thereon.

श्री गोविन्द मेनन : इस विधेयक का एक उद्देश्य यह है कि मठों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रभारी ट्रस्टी अथवा अन्य अधिकारी उनका दुरुपयोग न करें। किसी मन्दिर अथवा धार्मिक स्थान को दिया गया धन काला धन था अथवा श्वेत, इस बारे में बताना सम्भव नहीं है।

मैं अपने पहले उत्तर में सुधार करना चाहता हूं। बिहार, गुजरात, केरल तथा पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों ने विधेयक के प्रारूप के बारे में अपने विचार भेजे हैं। महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के अतिरिक्त सभी राज्यों ने विधेयक का स्वागत किया है।

श्री बलराज मधोक : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि पुराना हिन्दू पूर्त्त विधेयक वापिस ले लिया गया है तथा नया विधेयक लाया जा रहा है।

श्री मु० यूनुस सलीम : व्ययगत हो गया है।

श्री बलराज मधोक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या नये विधेयक के अन्तर्गत केवल हिन्दू न्यास ही आयेंगे अथवा इस देश में सभी फर्मों के धार्मिक न्यास इसके अन्तर्गत आयेंगे। हम धर्मनिर्पेक्ष राज्य होने का दावा करते हैं। अत: मैं चाहता हूं कि इस बात का स्पष्ट आश्वासन दिया जाये कि यह विधेयक वक्फों सहित सभी धार्मिक पूर्त्तों पर लागू होगा।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सरकारी तौर पर बनाये गए वक्फ बोर्ड के प्रधान शेख अब्दुल्ला हैं और वह हजरतबल जियारत तथा अन्न स्थानों के सभी धन संसाधन राजनैतिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग में ला रहे हैं और वे प्रयोजन गैर-मुस्लिमों के प्रति घृणा पैदा करना तथा राज्य में तनाव का वातावरण पैदा करना है और यदि हां, तो वहां वक्फ के धन का दुरुपयोग रोकने के लिये आप क्या कर रहे हैं।

श्री मु० यूनुस सलीम : सार्वजनिक न्यास विधेयक एक व्यापार विधेयक है और उसके अन्तर्गत देश के सभी धार्मिक पूर्त्त आते हैं। जैसा कि माननीय विधि मंत्री ने सभा में कहा है, राज्यों सहित विभिन्न साधनों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

मैंने सभा में पहले भी बताया है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में एक पूर्त्त अधिनियम है, उस कानून के अन्तर्गत एक वक्फ बोर्ड नियुक्त किया गया है और उसने शेख अब्दुल्ला को अपना प्रधान चुना है। बोर्ड को लेखे प्रस्तुत करने तथा लेखा परीक्षक नियुक्त करने के लिये कहने का काम राज्य सरकारों का है और यदि यह पता लगे कि राशियों का उचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो उचित कार्यवाही करना भी राज्य सरकार का काम है। जम्मू तथा काश्मीर सरकार के प्रशासन अधीन पूर्त्तों से केन्द्रीय सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बलराज मधोक : क्या यह संसद समूचे देश के लिये नहीं है ? क्या जम्मू तथा काश्मीर इस देश का अंग नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि आप इसे समूचे देश पर लागू करने के लिए क्या कर रहे हैं ।

श्री मु० यूनुस सलीम : सभा में बार-बार यह बताया गया है कि यह समवर्ती सूची का विषय है । जब तक कि वक्फ बोर्ड का प्रशासन करने वाला राज्य सहमत न हो तथा किसी विशेष विधि के लिये न रहे, किसी राज्य में विधि लागू करना केन्द्रीय सरकार के लिये सम्भव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । परन्तु यदि आपके ध्यान में कोई अनियमितता लाई जाये तो आप काश्मीर सरकार को उसकी जांच कराने के लिये कह सकते हैं ।

श्री मु० यूनुस सलीम : यदि कोई विशिष्ट शिकायत मिले, तो ऐसा किया जा सकता है । अस्पष्ट आरोप पर्याप्त नहीं हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने एक पत्र लिखा है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस मामले की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है और जब मुख्य मंत्री यहां आयेंगे तो मैं उनके साथ यह प्रश्न उठाऊंगा ।

श्री कार्तिक उरांव : 'धर्मनिर्पेक्षवाद' का अर्थ है धार्मिक सहनशीलता संविधान में अभिव्यक्ति तथा विचार की स्वतन्त्रता तथा धर्म पर चलने और उसका प्रचार करने की स्वतन्त्रता तथा अधिकार शब्द हैं । जब तक यह शब्द 'प्रचार करने का अधिकार" संविधान से निकाल न दिये जायें, धर्मनिर्पेक्षता का कोई अर्थ नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी तथा संविधान से 'प्रचार करने का अधिकार' शब्द निकालने का प्रयत्न करेगी ।

श्री गोविन्द मेनन : संविधान में संशोधन करके इस सम्बन्ध में दिए गए अधिकार समाप्त करने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है । परन्तु इस पर ध्यान रखा जायेगा और मैं इस बारे में विचार करूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो राज्य सरकारें इस प्रस्तावित विधान के पक्ष में नहीं हैं, उनमें आन्ध्र प्रदेश सरकार भी है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने राज्य सरकार से इस सभा में कुछ सप्ताह पहले उठाये गये इस प्रश्न के बारे में सूचना प्राप्त की है कि क्या गोयनका सार्थों ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कुछ शेयर अपने हाथ में रखने के लिये तिरुपति मन्दिर न्यास के धन का दुरुपयोग किया है । श्री गोयनका उस मन्दिर के न्यासी निकाय के सदस्य हैं । उप प्रधान मंत्री ने उसकी जांच करने का वचन दिया है ।

श्री गोविन्द मेनन : माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि उप प्रधान मंत्री ने इसकी जांच करने का वचन दिया है । मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है ।

अध्यक्ष महोदय : यह आरोप एक महीना पहले लगाया गया था । यह एक गम्भीर आरोप है । तिरुपति सम्बन्धी अधिनियम बहुत अच्छा है । श्री नेहरू ने उसे आदर्श अधिनियम

माना है। इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने में तीन सप्ताह नहीं लगने चाहिए। मुझे आशा है कि सभा का सत्र समाप्त होने से पहले सूचना दी जायेगी।

श्री गोविन्द मेनन : मैं आपका सुझाव स्वीकार करता हूं।

श्री नाथ पाई : यह सुझाव नहीं, निदेश है।

श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि इस बात के क्या कारण हैं कि धर्मनिर्पेक्ष भारत धार्मिक संस्थाओं में भाग लेता है और यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि धार्मिक केन्द्र जासूसी, राजनैतिक गतिविधियों तथा विदेशी मुद्रा के देश में आने के अड्डे न बनें।

श्री गोविन्द मेनन : यह कुछ दार्शनिक विचार है जिसका मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं परन्तु इस बारे में, कि सरकार धार्मिक संस्थाओं को षडयंत्रों तथा गुप्तचरों आदि के अड्डे न बनने दे, मैं नहीं जानता कि क्या किया जा सकता है। मैं इसकी जांच करूंगा और बाद में उन्हें सूचित करूंगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति का कितना प्रतिशत इन धार्मिक संस्थाओं के पास है तथा इस धन को विभिन्न योजनाओं के लिए साधन जुटाने हेतु प्रयोग में लाने के लिये कितना समय लगेगा ?

श्री गोविन्द मेनन : मुझे इस बारे में पूर्व सूचना चाहिये।

श्री लोबो प्रभु : सभी धार्मिक संस्थानों तथा न्यायों की निधियों में उस धर्म के अनुयाइयों का अंशदान होता है और उसका प्रयोग उस धर्म के अनुयाइयों द्वारा किया जाना होता है। इन परिस्थितियों में क्या सरकार आश्वासन देगी कि किसी धर्म पर लागू होने वाली कोई विधि पुरः स्थापित करने से पूर्व उस धर्म के अनुयाइयों से विचार विमर्श किया जायेगा। जिसका किसी अन्य से नहीं बल्कि उसी धर्म के अनुयाइयों से सम्बन्ध हो। मैं जानना चाहता हूं किसी धर्म के धार्मिक पूर्त्तो के नियंत्रण के लिये विधि बनाना सरकार के लिये कहां तक उचित है।

श्री गोविन्द मेनन : जब विधेयक सदन के समक्ष आयेगा तो हम लोकमत जानने के लिये उसे परिचालित करेंगे।

श्री नाथ पाई : श्री हेम बरुआ के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि मन्दिरों का प्रयोग षड़यंत्रों के लिये नहीं किया जाना चाहिए। क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि उनके दल के पांच बहुत प्रतिष्ठित नेता एक बार एक मन्दिर में मिले तथा इस बात का निर्णय किया कि भारत का अगला प्रधान मंत्री कौन हो। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है, उसके अन्तर्गत इस प्रकार की गतिविधियां भी शामिल हैं।

श्री गोविन्द मेनन : मैं नहीं समझता कि किसी दल द्वारा चलाई गई सरकार का प्रमुख कौन हो, इस सम्बन्ध में चर्चा करने को षड़यंत्र समझा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : उस समय श्री जवाहर लाल नेहरू जीवित थे और उनके किसी उत्तराधिकारी के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता था ।

श्री रंगा : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि हिन्दू धर्मस्व अधिनियम समूचे भारत में इस प्रकार का पहला अधिनियम है जिसे मद्रास विधान सभा ने पारित किया था और उसमें कई बार संशोधन हो चुका है । वह मद्रास तथा आंध्र प्रदेश में लागू है । उसके अनुसार सभी मन्दिरों का प्रबन्ध किसी सरकारी उपक्रम से बहुत अच्छा चल रहा है ।

श्री गोविन्द मेनन : मैंने यह अधिनियम पढ़ा है और पहले उसका उल्लेख कर चुका हूं ।

श्री रंगा : मद्रास में अधिनियम लागू होने के कारण उसका माननीय मंत्री के विधेयक से सहमत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री गोविन्द मेनन : यही कारण है । मैं ऐसा निन्दा करने के लिये नहीं कह रहा हूं ।

Sabotage in Railway Factories

\+

*1385. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the Railway factories where persons have been arrested on the charge of indulging in the activities of sabotage during the last three years and the names of such persons ;

(b) the details regarding the charges levelled against the said persons, the extent of damage caused by them and the action taken against them ; and

(c) the steps taken by Government for preventing such activities in future ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) पिछले तीन वर्षों में रेल कारखानों में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) ऐसे संस्थापनों में लोगों के आने-जाने पर नियंत्रण रखने के लिए आमतौर पर या तो चहार दिवारी बना दी गई है अथवा आड़ लगा दी गई है ताकि रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी ऐसे व्यक्ति को अन्दर आने से रोक सकें, जिसकी उपस्थिति, संस्थापन की सुरक्षा और राज्य के हित के लिये हानिकारक हो । रेलवे और राज्य सरकार की विशेष आसूचना शाखा, समाज-विरोधी और विध्वंसक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखती है ।

Shri Bansh Narain Singh : Will the Hon. Minister be pleased to state the amount of loss suffered by the Government due to subversion ?

श्री परिमल घोष : जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई । अतः हानि का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता··· (**अन्तर्बाधायें**) ।

Pressure of Traffic in Delhi

+

*1386. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state the measures being adopted for electrification, extension of lines, increasing the number of local and other trains and for increasing the number of bogies in trains in view of the pressure of traffic in Delhi and the result achieved and likely to be achieved as a result of these measures?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री परिमल घोष) : सिवाय टूण्डला-दिल्ली खण्ड के, जो चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकरण के प्रस्तावों का एक अंग है, इस समय दिल्ली में और दिल्ली आने वाली रेलवे लाइनों पर बिजली गाड़ी चलाने का विचार नहीं है।

कुछ गाड़ियों की भीड़-भाड़ वाले नयी दिल्ली, दिल्ली मैन स्टेशनों से होकर न जाना पड़े, इस उद्देश्य से अभी हाल में दो परियोजनाओं को पूरा करके यातायात के लिये खोला गया है। इन परियोजनाओं के नाम हैं : गाजियाबाद-तुगलकाबाद परिहार लाइनें जिसमें यमुना पर दूसरा पुल भी शामिल है और दिल्ली परिहार लाइनें तथा सम्बद्ध यातायात-सुविधाएं। यद्यपि ये परियोजनाएं मुख्यत: माल यातायात के लिये हैं, फिर भी इनसे उपनगरीय यात्री यातायात में भी कुछ हद तक सहायता मिलेगी।

Shri Ram Gopal Shalwale: The Government had given certain assurances regarding the time by which ring railway will be completed. I would like to know when that railway will be completed and whether bridges will be provided on the connecting roads.

श्री परिमल घोष : दिल्ली परिहार लाइन का मुख्य उद्देश्य यह है कि गाड़ियों को भीड़-भाड़ वाले नई दिल्ली तथा दिल्ली मेन स्टेशनों से होकर न जाना पड़े। यह दो परियोजनायें पहले ही पूरी हो चुकी हैं तथा यातायात के लिये खोल दी गई हैं। 1970 तक उस पर यात्री यातायात शुरू कर दिया जायेगा। हमने कुछ ऊपरी पुलों तक कुछ निचले पुलों की पहले ही स्वीकृति दे दी है और कुछ के बारे में बातचीत हो रही है। दिल्ली प्रशासन तथा रेलवे के साथ बातचीत चल रही है और हमें हिस्से के बारे में भी अनुमान लगाना है, जैसे ही इन बातों का निर्णय हो जायेगा, कार्य शुरू हो जायेगा।

Shri Ram Gopal Shalwale : The population of Delhi in 1911 was 2,38,000 while now the population is 45 lakhs. In those circumstances passengers have to wait for half an hour inspite of availability of D.T.U. buses. I would therefore like to know the areas which will be covered by this railway line and what facilities will be available to the residents of the old Delhi.

The population of Delhi is increasing because the areas around Delhi do not have proper arrangements for transport and Railways. I would like to know whether electric trains to and from Meerut, Ghaziabad, Mathura and Panipat will be run as in case of Bombay so that people begin to like to live in areas around Delhi.

श्री परिमल घोष : दिल्ली-टूण्डला सेक्शन के विद्युतीकरण के भाग के तौर पर दिल्ली तथा गाजियाबाद सेक्शन के विद्युतीकरण का हमारा विचार है और इसे चतुर्थ योजना में शामिल कर लिया गया है। हम दिल्ली तथा आस पास की उपनगरीय यातायात में कठिनाई के प्रति सजग हैं। हमने दिल्ली परिहार लाइन पर काम पहले ही शुरू कर दिया है और उसे माल यातायात के लिए खोल दिया है। 1970 तक यात्री यातायात के लिए भी खोल दिया जाएगा।

ज्योंही ये सेवायें जनता के लिये चालू हो जायेंगी, वैसे ही यह भीड़-भाड़ काफी सीमा तक कम हो जायेगी। इसके अतिरिक्त जब ये समस्त मालगाड़ियां दिल्ली जंकशन—नई दिल्ली सेक्शन पर माल उतारकर आगे के स्टेशनों पर रुकने लगेगी तो उससे दिल्ली जंक्शन नई दिल्ली सेक्शन पर और अधिक रेलवे लाइनें खाली मिल सकेंगी और हम कुछ और उपनगरीय गाड़ियां चला सकेंगे जो उस समय तक जब तक कि ये चीजें लागू होंगी आवश्यक होंगी। अतः मेरे विचार से इस प्रगति से जो राहत माननीय सदस्य मांग रहे हैं, मिल जायेगी।

Shri Bharat Singh Chauhan : In view of increasing population of Delhi, what are the difficulties in the way of Government for railway electrification in Delhi also as is there in Bombay and Calcutta?

श्री परिमल घोष : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने दिल्ली और गाजियाबाद के बीच रेलवे विद्युतीकरण का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया है। अन्य भागों का विद्युतीकरण तभी किया जा सकेगा जब उन सभी सेक्शनों पर इसकी व्यवस्था हो जायेगी जहां वर्तमान भाप के इंजन चलाना सम्भव नहीं रहेगा और जब विद्युतीकरण के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जायेगा। तब इस मामले पर निश्चय ही विचार किया जायेगा।

Shri Meetha Lal Meena : This is not a question of Delhi alone. On account of Delhi being a trade centre, a large number of people come to Delhi and go back standing on foot-boards of third class compartments while first class compartments go empty. Will Government give more facilities to the travelling public by providing more third class compartments in place of first class compartments?

श्री परिमल घोष : मुझे इस बात का पता नहीं है कि दिल्ली से चलने वाली लम्बे सफर वाली गाड़ियों में प्रथम श्रेणी में और अन्य अपर श्रेणो के डिब्बे खालो जा रहे हैं। यदि यह वस्तुतः सत्य है मैं इस मामले की अवश्य जांच करूंगा ताकि प्रथम श्रेणी के डिब्बों को हटाकर तीसरी श्रेणी के डिब्बे अधिक लगाये जा सकें।

Shri Maharaj Singh Bharati : The Hon. Minister has stated that there is scheme of electrification between Delhi and Ghaziabad. In case of four railway lines are laid on railway bridge at Hindon river between Sahibabad and Ghaziabad for incoming and outgoing trains, it will result in great convenience. May I know what are you going to do in the matter?

श्री परिमल घोष : दिल्ली स्टेशन से न होकर जाने वाली रेलवे लाइन के पूर्णतया चालू हो जाने पर भीड़-भाड़ के मामले में काफी राहत हो जायेगी।

Shri Maharaj Singh Bharati : This is not an avoiding line. Four railway lines should be constructed. On this bridge so that instead of two trains, four trains may pass at a time.

श्री परिमल घोष : जिस पुल का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं, मैं उस बारे में जांच-पड़ताल करूंगा और देखूंगा कि क्या किया जा सकता है ।

Shri Ram Charan : The ring railway constructed in Delhi is far off from the offices of the Government servants residing in Delhi. This is the reason why these people give preference to buses. Will Government extend the railway line in such a way so that the big offices, wherever these are situated, may be linked with them and the people may train-minded ?

श्री परिमल घोष : दिल्ली स्टेशन से न होकर जाने वाली रेलवे लाइन, जिसका निर्माण किया गया है वस्तुतः हाल में बनी कुछ नई कालोनियों से होकर गुजर रही है और अतः इन सब बस्तियों को इन सुविधाओं का लाभ पहुंचेगा ।

Shri Balraj Madhok : The question asked for by Shri Shalwale was about ring railway but you are talking of avoiding line. These are two different things. May I know whether the ring railway would be completed by 1969 and traffic started on it ? People have to wait for long hours at railway crossings in Delhi and a long queue of vehicle is formed there. Therefore, along with the opening of ring railway , it is necessary to construct over bridges at the railway crossing at Rohtak Road and Mehrauli Road. In case provision is not made for it, the problem may become complicated instead of being solved. May I know, what are you going to do in the matter ?

श्री परिमल घोष : हम बराबर कहते आ रहे हैं कि यह मुख्यतया 'अवायडिंग लाइन' है हालांकि यह रिंग लाइन का प्रयोजन भी सिद्ध कर सकती है और इस लाइन पर यात्रियों का यातायात 1970 से चालू हो जायेगा । माननीय सदस्य ने पुलों, रेलवे फाटकों और अन्य बातों का सुसंगत उल्लेख किया है । हम इस मामले में दिल्ली प्रशासन से पहिले ही बातचीत कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम शीघ्र और अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं ।

Shri Balraj Madhok : You have said about avoiding line. This will surely help to some extent but the Ring Railway means the running of a railway line around Delhi.

श्री परिमल घोष : इस समय अवायडिंग लाइन के अलावा जो रिंग रेलवे का काम भी करेगी, हमारे पास कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है ।

Delicensed Industries

\+

*1387. **Shri R. K. Amin :**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the industries delicensed so far ;

(b) the names of the industries likely to be delicensed this year ; and

(c) the financial and developmental position of the industries after they were delicensed ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह): (क) मई, 1966 से जिन उद्योगों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है, उनकी एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 942/69]

(ख) कुछ उद्योगों पर से लाइसेंस व्यवस्था हटा लेने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही, जिसके शीघ्र ही मिल जाने की आशा है, इस मामले पर अन्तिम रूप से निर्णय किया जा सकेगा।

(ग) इनमें से कुछ उद्योगों जैसे रिफैक्टरीज, सीमेंट, विलायक निस्सारण शक्ति चालित पम्पों आदि की क्षमता की काफी विस्तारहु आ है, जबसे इन उद्योगों पर से लाइसेंस व्यवस्था समाप्त की गई है तबसे इनकी उत्पादन क्षमता में तथा जिन अन्य उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया है जैसे औद्योगिक अल्कोहल, ग्लास, हार्ड बोर्ड/ पार्टिकल बोर्ड, एयर एस्पेशर्स, कृषि के ट्रैक्टर तथा शक्ति चालित हल, फैब्रीकेटेड इस्पाती ढांचे तथा इसी तरह के अन्य उद्योगों की विकासात्मक तथा वित्तीय स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। आगामी वर्ष में जैसे-जैसे आर्थिक व्यवस्था ठीक होती जायेगी इन उद्योगों की स्थिति में सुधार होता जाएगा।

श्री रा० की० अमीन: उद्योगों के लिये लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने का प्रश्न काफी समय से अनिर्णीत पड़ा है। हजारों समिति के प्रतिवेदन और अन्य समितियों के प्रतिवेदनों के बाद भी, जिन्होंने इस विषय पर विचार किया है। क्या आपने यह निर्णय किया है कि उन सभी उद्योगों के लिये, जिनके लिये किसी भी रूप में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है अथवा जिनके लिये 10 करोड़ रुपये से कम पूंजी की आवश्यकता है।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): संसाधनों और विशेषकर विदेशी मुद्रा की उपलब्धता का कारण लाइसेंस सम्बन्धी समूची नीति की आवश्यकता थी। परन्तु गत 10 वर्षों के दौरान अब हमारा ढांचा ऐसा है कि हमारे लिये लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है और इसी कारण से काफी संख्या में उद्योगों में लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। हम दत्त समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके प्राप्त होते ही हम निश्चयपूर्वक इस बात की ओर गौर करेंगे कि और कितने उद्योगों में लाइसेंस व्यवस्था समाप्त की जा सकती हैं। योजना आयोग ने लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने को दो आधार पर सिफारिश की है। पहिला तो उन उद्योगों के लिये है जो बिना किसी विदेशी तत्व अथवा विदेशी मुद्रा के स्वदेशीय प्रयत्नों से स्थापित किये जा सकते हैं और इसका आधार यह है जिनमें केवल थोड़ी सी संतुलन-कार्य विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। दत्त समिति के प्रतिवेदन के प्राप्त होने के बाद इन सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा और इसके बाद सरकार निर्णय करेगी।

श्री रा० की० अमीन : सरकारी क्षेत्र के बारे में विनियंत्र तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की व्यावहारिकता के बारे में न कांग्रेस अध्यक्ष के हाल के वक्तव्य का उनकी लाइसेंस समाप्त करने की नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मुझे इसका पता नहीं है कि इसका लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने की नीति पर अब तक क्या प्रभाव पड़ा है ?

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

पोचमपाद परियोजना

अ० सू० प्र० सं० 19. श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में पोचमपाद परियोजना के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरा होने की आशा है तथा इससे सिंचाई और विद्युत के रूप में तेलंगाना क्षेत्र को क्या लाभ होंगे ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने पोचमपाद परियोजना के केवल प्रथम चरण के लिये स्वीकृति दी है, पूर्ण चरणों के लिये नहीं ; यदि हां, तो पूर्ण चरण परियोजना के अन्तर्गत कितने क्षेत्र को लाभ होगा तथा प्रथम चरण और पूर्ण चरणों की निर्माण लागत में कितना अन्तर है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पोचमपाद परियोजना की क्रियान्विति में, जिससे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के शुष्क क्षेत्रों को अधिकतम लाभ होगा, जानबूझकर विलम्ब किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) **कार्य प्रगति**

मार्च, 1969 के अन्त तक बांध का लगभग आधा चिनाई और कंक्रीट कार्य तथा तिहाई से अधिक मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है ।

पहले 25 मीलों में नहर की खुदाई का लगभग 20 प्रतिशत कार्य और वहां की संरचनाओं का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो गया है ।

यह परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही पूर्ण कर दी जाएगी किन्तु सिंचाई के रूप में लाभ जून, 1970 से ही शुरू हो सकते हैं और ज्यों-ज्यों नहर अपनी निम्न पहुंचों में पूर्ण होती जाएगी, उनमें वृद्धि होती जाएगी । परियोजना में 5.7 लाख एकड़ भूमि की हर साल

सिंचाई करने के लिए एक जलाशय और एक 70 मील लम्बी दक्षिण तट नहर का निर्माण परिकल्पित है। निजामाबाद और करीम नगर के जिलों में तेलंगाना क्षेत्र में यही काम होना है।

(ख) जैसा कि ऊपर कहा गया है योजना आयोग ने इस परियोजना को 1964 में स्वीकार किया था। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1958-59 में तैयार की गई पोचमपाद परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट में दक्षिण तट नहर के अन्तर्गत 18.5 लाख एकड़ भूमि की कुल सिंचाई और वाम तट नहर के अन्तर्गत लगभग 2 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की परिकल्पना की गई थी।

अन्तिम चरण के लिए कोई लागत प्राक्कलन नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं। परियोजना पर मुख्य कार्य 1963 में आरम्भ किया गया था और बाद के वर्षों में कार्य आंध्र प्रदेश की राज्य योजना में धन की उपलब्धता के अनुसार प्रगति करता रहा।

इस परियोजना के लिये 1969 से पृथक रक्षित सहायता दी जाएगी।

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैंने विवरण को पढ़ा है। विवरण स्पष्ट है। माननीय मंत्री ने परियोजना की लागत और अब तक खर्च हुए धन के बारे में कुछ नहीं बताया है और विद्युत जनन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। मेरी जानकारी के अनुसार 22 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिये इस परियोजना की अनुमानित लागत 42 करोड़ रुपये है। इस परियोजना की समाप्ति के लिये 6 वर्ष का समय निश्चित किया गया था। सात वर्ष होने पर भी इस परियोजना पर 10 करोड़ रुपये भी व्यय नहीं हुए हैं। तेलंगाना क्षेत्र में कृषि योग्य क्षेत्र, जिसकी नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, कि प्रतिशतता उन नौ जिलों के समूचे क्षेत्र में 4 प्रतिशत से कंम है। माननीय मंत्री ने जब वह 1958 में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के सदस्य थे स्वयं कहा था कि पोचमपाद परियोजना भारत का एक विशाल धान्यागार है यदि इसको फौरन चालू किया जाय और पूरा किया जाय। इस परियोजना पर 20 प्रतिशत काम भी नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि (क) क्या केन्द्रीय सरकार के लिये यह उपयुक्त समय नहीं है कि वह इस कठिन समय में जल का नियतन बढ़ाकर और इसके द्वारा समूचे 22 लाख एकड़ के क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करके तेलंगाना क्षेत्र और इसके लोगों को राहत प्रदान करे और (ख) क्या स्वर्गीय श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम द्वारा 23 मार्च, 1963 को अपने वक्तव्य द्वारा इस सभा को दिये गये आश्वासन के अनुसरण में एक केन्द्रीय प्राधिकार द्वारा समूचे गोदावरी बेसिन के लिए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने के लिये कोई कार्यवाही को गई है और यदि हां, तो इस मास्टर प्लान का ब्योरा क्या है और पोचमपाद परियोजना के अन्तिम चरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

डा० कु० ल० राव : इस परियोजना में विद्युत जनन की मंजूरी नहीं है। दूसरे परियोजना की लागत 40 करोड़ रुपये है और यह 20 लाख एकड़ के लिये नहीं अपितु केवल 5.7 लाख एकड़ के लिये है। मेरे लिये यह कहना संभव नहीं है कि यह सबसे सस्ती परियोजना है क्योंकि आंकड़े सही नहीं हैं। उपलब्ध सांख्यकीय जानकारी के अनुसार आन्ध्र प्रदेश ने 1956 के बाद

समस्त राज्यों में सिंचाई पर सबसे अधिक धन खर्च किया है। लगभग 210 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं जिसमें से तेलंगाना पर 70 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। अतः आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं है कि तेलंगाना पर पर्याप्त राशि खर्च नहीं की गई अथवा कम खर्च की गई है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि हम अधिक धनराशि खर्च करें, तो हम अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। पोचमपाद परियोजना और नागार्जुनसागर परियोजना को पूरा हो जाने पर तेलंगाना में काफी क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी।

जल के नियतन के बारे में माननीय सदस्य गोदावरी न्यायाधिकरण के समक्ष बहस कर सकते हैं और तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश के लिये अधिक जल प्राप्त कर सकते हैं। कार्यवाही के बारे में यह स्थिति है कि गोदावरी के विकास के लिये हमारी एक विस्तृत योजना है। सारा प्रश्न न्यायाधिकरण के सामने है। हम नियतन के बारे में कोई आदेश नहीं दे सकते।

श्री एम० नारायण रेड्डी : मास्टर प्लान के बारे में क्या हुआ ?

डा० कु० ल० राव : एक योजना है। गोदावरी के लिये आंकड़े उपलब्ध हैं। वस्तुतः गोदावरी उन नदियों में से है जिसकी तत्कालीन निजाम सरकार द्वारा और बाद में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा विस्तृत जांच की गई थी। यह सच है कि पोचमपाद परियोजना के पूरा होने पर 20 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होने लगेगी। परन्तु परियोजना की अग्रेतर प्रगति जल की उपलब्धता पर निर्भर करेगी जिनके लिये माननीय सदस्य न्यायाधिकरण के सामने पैरवी करें।

श्री एम० नारायण रेड्डी : क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने नागार्जुनसागर परियोजना के पी० एल० 480 के अन्तर्गत 63 करोड़ रुपये सहित, 143 करोड़ रुपये से अधिक राशि का ऋण दिया है ? केन्द्रीय सरकार ने पोचमपाद परियोजना के साथ यह भेदभाव क्यों किया है। जिससे तेलंगाना के 9 जिलों में से 6 जिलों में 22 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ? अतः क्या केन्द्रीय सरकार इस अन्तिम चरण में भी इस परियोजना को आगामी तीन वर्षों में पूरा करने के लिए काफी वित्तीय सहायता अथवा ऋण देने का आश्वासन देगी अथवा विकल्प के रूप में इस परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में चालू करेगी ? प्रथम चरण में आदिलाबाद के जिले में उत्तरी नहर के अधीन कितने क्षत्र की सिंचाई होने का प्रस्ताव है ? क्योंकि उस क्षेत्र में 50,000 एकड़ भूमि का विकास हो चुका है और उसके लिये जल की आवश्यकता है ?

डा० कु० ल० राव : भारत सरकार आमतौर पर परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर प्रत्येक राज्य में एक महत्वपूर्ण परियोजना पर बल देती है। पहिले आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर परियोजना की ओर अधिक ध्यान दिया गया। परन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि तेलंगाना को पोचमपाद परियोजना की अपेक्षा नागार्जुनसागर परियोजना से अधिक

लाभ पहुंचेगा । नागार्जुनसागर परियोजना सं० 100 टी० एम० सी० जब प्राप्त होगा और 5.7 लाख एकड़ भूमि के विपरीत 6.6 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । इस परियोजना के अन्तर्गत नलगोंडा जैसे अधिक दुर्गम क्षेत्र आयेंगे । गत 12 वर्ष में सिंचाई परियोजनाओं के लिये समस्त देश में आन्ध्र प्रदेश ने किसी भी राज्य से अधिक धनराशि खर्च की है ।

इस परियोजना को अपने हाथ में लेने के बारे में स्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार किसी भी परियोजना को अपने हाथ में नहीं लेती है जब कि अच्छे इंजीनियर हों और काम ठीक प्रकार से चल रहा हो ।

पोचमपाद परियोजना के मामले में हमने केन्द्रीय सहायता अलग से निश्चित कर दी है । इस वर्ष से लगभग 35 परियोजनाओं को अलग से केन्द्रीय सहायता दी जा रही है । इसका अर्थ यह है कि किसी एक परियोजना को दिया गया धन किसी अन्य परियोजना में नहीं लगाया जा सकता ।

यह परियोजना चौथी योजना में पूरी हो जायेगी और इसके लाभ 1970 से मिलने शुरू हो जायेंगे ।

उत्तरी नहर के बारे में स्थिति यह है कि इस समय मंजूरशुदा परियोजना वहां नहीं है परन्तु आदिलाबाद क्षेत्र के कुछ विशिष्ट दावे हैं क्योंकि पोचमपाद परियोजना से जो अधिकांश गांव प्रभावित होंगे वे आदिलाबाद क्षेत्र के हैं । मुझे आशा है कि राज्य सरकार इसको ध्यान में रखेगी और परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रों का समायोजन करेगी ताकि उत्तरी किनारे के क्षेत्रों को भी कुछ जल दिया जा सके । उत्तरी किनारे के क्षेत्रों के लिये भी बांध में जलकपाट की व्यवस्था है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्योंकि गोदावरी, सतपुड़ा, विन्ध्या और साहदरी से जल प्राप्त करती है और इसमें फालतू पानी है । अतः क्या माननीय मंत्री हमें यह बतायेंगे कि गोदावरी के आफ स्टीम जल का, विशेषकर अपर वर्धा, अपर पेनगंगा, पेंच और डुढगंगा के बारे में, वस्तुतः कितना उपयोग हुआ है और इस उपयोग को ध्यान में रखते हुए जल की आवश्यकता और उपयोग के संदर्भ में पोचमपाद परियोजना के प्रथम चरण का वस्तुतः क्या अर्थ है ?

डा० कु० ल० राव : प्रथम चरण का मतलब है मिली-जुली फसल को 5.7 लाख एकड़ भूमि के लिये 66 टी० एम० सी० जल । पेनगंगा आदि के बारे में प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में मैं इस समय कोई जानकारी नहीं दे सकता ।

श्री रंगा : क्या मैं जान सकता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में किये गये धन के नियोतकों में जिनकी आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मांग की है और भारत सरकार उनसे सहमत हो गई है, वित्त के रूप में क्या व्यवस्था की गई है । दूसरे तेलंगाना में जो कुछ हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार इस मामले पर नये सिरे से विचार करेगी और वित्त के

मामले में पोचमपाद परियोजना का कुछ विशिष्ट पूर्वत्य प्रदान करेगी और पोचमपाद परियोजना के प्रबन्ध और निष्पादन को अपने हाथ में नहीं लेगी—आन्ध्र के इन्जीनियर पूर्णतया सक्षम हैं अपितु इसका केवल वित्तीय उत्तरदायित्व लेगी ? इस बात को देखते हुए कि 150 करोड़ अथवा 200 करोड़ रुपये, जो आन्ध्र सरकार ने खर्च किये हैं, भारत सरकार ने एक दान के रूप में नहीं दिये थे, भारत सरकार इसका श्रेय प्राप्त नहीं कर सकती सिवाय इसके कि उसने आन्ध्र सरकार को ऋण दिया है और आन्ध्र सरकार को आज उस पर ब्याज देना पड़ रहा है ।

डा० कु० ल० राव : पोचमपाद परियोजना को पूरा करने के लिये अपेक्षित सम्पूर्ण राशि की चौथी योजना में व्यवस्था की गई है । जैसा मैंने बताया भारत सरकार ने विशिष्ट परियोजना के लिये वित्तीय सहायता निश्चित की है ताकि कोई भी सरकार इसको अन्य कार्यों में खर्च न कर सके ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने कहा है कि इस परियोजना के लिये केन्द्रीय सहायता दी जायगी क्या यह केन्द्रीय सहायता राज्य योजना से बाहर होगी इस बात को देखते हुए कि रायल सीमा क्षेत्र में अभाव की स्थिति है और तुंगभद्रा उच्च स्तर परियोजना एक ऐसी योजना है जिससे अभाव की स्थिति दूर हो सकती है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पोचमपाद परियोजना सहित तुंगभद्रा परियोजना को केन्द्रीय सहायता दी जायेगी और केन्द्रीय सहायता योजना से बाध्य होगी ।

डा० कु० ल० राव : पोचमपाद और तुंगभद्रा परियोजनाओं को भी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी यह योजना से बाहर नहीं है अपितु योजना के अन्दर है ।

हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि तेलंगाना क्षेत्र को इस प्रकार की उपेक्षा ही तेलंगाना के वर्तमान आन्दोलन का मूल कारण है और यदि हां, तो सरकार ने इस बात के लिये कि ऐसा न हो, क्या कार्यवाही की है । इस परियोजना के लिये वित्तीय सहायता देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ताकि तेलंगाना की उपेक्षा न हो ।

डा० कु० ल० राव : मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सिंचाई के क्षेत्र में, जहां तक तेलंगाना का सम्बन्ध है कोई भेदभाव नहीं किया गया है । जो कुछ मैंने कहा है, वह सत्य है । राज्य द्वारा खर्च किये गये 210 करोड़ रुपये में से एक-तिहाई राशि, जो तेलंगाना में खर्च किया जाने वाला अंश है, उस क्षेत्र में खर्च किया गया है । भारत सरकार कोई विशिष्ट सहायता नहीं दे सकेगी क्योंकि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं ।

Shri Achal Singh : Will the Hon. Minister make arrangement for the inspection of the project by the members of the House ?

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यान दिलाने वाली सूचना को लेंगे । श्री कामेश्वर सिंह ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशी सहयोग से शराब तैयार करने के कारखाने

*1388. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शराब/अंगूरों का रस तैयार करने के कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कारखाने स्थापित किये जाएंगे और वे किन-किन राज्यों में होंगे ;

(ग) क्या ये कारखाने कुछ विदेशी फर्मों के सहयोग से स्थापित किये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा और वित्तीय पहलू क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश में एक शराब बनाने वाले एकक की स्थापना के लिये आशय-पत्र जारी किया जा रहा है। इस योजना में विदेशी सहयोग नहीं है। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के लिये 3 प्रार्थना-पत्र (एक आन्ध्र प्रदेश, एक महाराष्ट्र और एक पंजाब से) विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ). आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की योजनाओं में विदेशी तकनीकी सहयोग का निर्देश है किन्तु उसका विवरण नहीं दिया गया है।

रेलवे सामान की चोरी

*1389. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि स्वयं रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों के द्वारा रेलवे माल की चोरी कराई जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा दल की स्थापना सफल सिद्ध नहीं हुई है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे सुरक्षा दल की स्थापना से जो बचत हुई है उससे अधिक धन स्वयं इस दल पर व्यय हो रहा है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कुछ छुट-पुट मामलों की रिपोर्ट की गई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह सही नहीं है। रेल सम्पत्ति की रखवाली करने और अपराध को खतम करने में रेलवे सुरक्षा दल ने बहुमूल्य सेवा की है। आपात काल में भेद्य संस्थापनाओं आदि की रखवाली में दल ने राज्य पुलिस की भी सहायता की है। रेलवे सुरक्षा दल ने जो सेवा की है उसका मूल्यांकन रुपयों में नहीं किया जा सकता।

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड

1390. **श्री वेदव्रत बरुआ : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड ने अधिक संख्या में कारों का उत्पादन करने के लिये विस्तार हेतु आवेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी अनुमति दे दी गई है ; और

(ग) विस्तार योजना पर आने वाली लागत में विदेशी मुद्रा का कितना अंश होगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1960 में मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अपने विद्यमान उपक्रम का पर्याप्त विस्तार करने के अलावा अन्य बातों के साथ-साथ यात्री कारों की क्षमता बढ़ कर 30,000 प्रतिवर्ष करने के लिये एक आवेदन दिया था। उक्त फर्म ने 1965 में दो चरणों में यात्री कारों का निर्माण करने की क्षमता बढ़ाकर 1 लाख प्रतिवर्ष कर देने के लिये एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बाद में पुनरीक्षण करके यह क्षमता 70,000 से 80,000 कारें प्रतिवर्ष कर दी गई थीं। फिर भी, फर्म से इस सम्बन्ध में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जब तक इस सामान्य प्रश्न पर विचार नहीं कर लिया जाता कि यात्री कारों के निर्माण की अतिरिक्त क्षमता किस प्रकार उत्पन्न की जानी चाहिए तब तक फर्म द्वारा कारों के निर्माण सम्बन्धी विस्तार आवेदन/प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता।

(ग) फर्म द्वारा 1960 में प्रस्तुत किये गये आवेदन में यह अनुमान लगाया गया था कि कारों और वाणिज्यिक गाड़ियों दोनों की मिली-जुली विस्तार क्षमता को कार्यान्वित करने पर 21 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होगी। फिर भी 1965 में जब कि उसने 1 लाख कारें प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता का विस्तार करने के लिये पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उसने विदेशी मुद्रा व्यय की राशि 15 करोड़ रुपये बताई थी।

Export of Steel

*1391. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the quantity of steel exported to foreign countries during the financial years 1967-68 and 1968-69 ; and

(b) the amount of foreign exchange earned thereby ?

The Minister of Steel and Heavy Engineering (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b). The quantities of steel exported and foreign exchange earned there from during 1967-68 and 1968-69 are given below :

	Quantity in tonnes	Value in Rs. lakhs
1967-68	600,213	3464.08
1968-69 (upto 28.2.69)	734,679	4214.74

विकलांग तथा अक्षम व्यक्तियों के लिए रोजगार

*1392. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से पुरस्कारों के लिये तीन अपंग अथवा विकलांग सर्वोतम कर्मचारियों के नाम भेजने के लिये कहा है ; और

(ख) क्या सरकार पहले ही ऐसे रोजगार प्राप्त कर्मचारियों को पुरस्कार अथवा धन देने की अपेक्षा विकलांग व्यक्तियों को अधिक संख्या में रोजगार देने की व्यहार्यता पर विचार करेगी ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान् । भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कारों के विचारार्थ अपंग अथवा विकलांग सर्वोत्तम, अन्तिम नहीं, कर्मचारियों के नाम राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से मांगे हैं ।

(ख) विकलांग तथा अशक्त व्यक्तियों को रोजगार के और अवसर देने की सरकार की लगातार चेष्टा रही है तथा इस प्रयोजन के लिये उसने देश में 9 विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किये हैं ताकि शारीरिक रूप से अधिक अक्षम व्यक्तियों को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में रोजगार दिया जाये । सार्वजनिक सेवाओं में उन्हें रोजगार दिये जाने को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने हाल में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिये आयु-सीमाओं में 5 वर्षों की छूट देने का निश्चय किया है ।

मध्य प्रदेश में सीमेंट का कारखाना

*1393. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परियोजना तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार विशेषज्ञों की

राय है कि सुवाखेड़ा का स्थान (नीमच, मध्य प्रदेश के निकट) सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिये कच्चे माल की किस्म और अन्य सुविधाओं तथा आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा तत्काल मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सर्वेक्षण और परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा कच्चे माल का विश्लेषण करने पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्रायोजना प्रतिवेदन के अनुसार सुवाखेड़ा के निकट नीमच (मध्य प्रदेश) स्थान तकनीकी-आर्थिक दृष्टि के दूसरे स्थान रायपुर के निकट स्थित मन्धर (मध्य प्रदेश) की अपेक्षा यहां कि एक संयंत्र कार्यरत है, संतोषप्रद नहीं है ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि आगे से सीमेंट निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता केवल कमी वाले क्षेत्र में स्थापित की जायेगी । मध्य प्रदेश सीमेंट की कमी वाला क्षेत्र नहीं है ।

(ग) 6.22 लाख रुपये ।

निर्वाचन अभियान में शराब का प्रयोग

*1394. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19 जनवरी, 1969 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में मध्यावधि निर्वाचनों में शराब निर्वाचन अभियान का एक हथियार बन गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि पुलिस को एक कार में, जिसे एक उम्मीदवार के दो पुत्र चला रहे थे, शराब की बहुत-सी बोतलें मिली थीं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले का ब्योरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) इस मामले का अन्वेषण किया जा रहा है ।

एशियाई उत्पादकता संगठन

*1395. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री सीताराम केसरी : **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन को परस्पर सहयोग तथा औद्योगिक प्रगति का प्रभावशाली संगठन बनाने के लिए सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता की पेशकश की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में एशियाई उत्पादकता संगठन की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । यह पेशकश एशियाई उत्पादिता संगठन के सदस्य देशों के उत्पादिता संगठनों के अध्यक्षों के नवें सम्मेलन में जो कि भारत में जनवरी 1969 में हुआ था, की गई थी ।

(ख) भारत ने अपने विशेषज्ञों को देने की पेशकश की थी जो कि एशिया उत्पादिता संगठन के सदस्य देशों को अल्पावधि के लिए तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सेवायें प्रदान करेंगे यदि एशियाई उत्पादिता संगठन अथवा सम्बन्धित सदस्य देश जो विशेषज्ञों को प्राप्त करें, इन विशेषज्ञों के अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा तथा उनके दैनिक भत्ते का व्यय वहन करें । यदि भारत को विदेशी मुद्रा का भार वहन करना पड़े तो भारत ने देश में तकनीकी तथा प्रबन्धकीय प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करने की पेशकश भी की है ।

(ग) एशियाई उत्पादिता संगठन के महासचिव और सदस्य देशों के शिष्ट-मण्डलों ने और विशेषकर जापान, ईरान, फिलिप्पीन, श्रीलंका तथा नेपाल ने समय-समय पर भारतीय विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाने में रुचि दिखलाई थी ।

मध्यावधि निर्वाचनों में अविधिमान्य मत

*1396. **श्री नि० रं० लास्कर : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यावधि निर्वाचनों में पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में बड़ी संख्या में अविधिमान्य मत पड़े थे;

(ख) यदि हां, तो इन अविधिमान्य मतों के पड़ने का मुख्य कारण निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई गई मतदान की नई प्रणाली थी; और

(ग) यदि हां, तो नई प्रणाली के बारे में जनता शिक्षित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे बड़ी संख्या में अविधिमान्य मतों का पड़ना रोका जा सके ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, नहीं। फरवरी, 1969 में पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुए मध्यावधि निर्वाचनों में पड़े अविधिमान्य मतों की संख्या पहले वाले निर्वाचनों में पड़े अविधिमान्य मतों की संख्या से कहीं कम थी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल से पूंजी विनियोजन का बाहर जाना

*1397. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में समवाय सचिवों, कार्यकारी अधिकारियों तथा सलाहकारों की विचार गोष्ठी में बोलते हुए प्रो० बी० आर० शेनाय ने बताया था कि विदेशी तथा भारतीय फर्मों ने कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल से धीरे-धीरे निकलने के बारे में सक्रिय रूप से कार्यवाही कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रो० बी० आर० शेनाय के वक्तव्य में कुछ सच्चाई है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में पूंजी विनियोजन आदि के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). प्रो० बी० आर० शेनाय ने यह कहा है कि "मैं समझता हूं कि कुल विदेशी तथा भारतीय फर्मों ने कलकत्ता और पश्चिम बंगाल से प्रथम-वार अपने कार्यालयों को बम्बई तथा नई दिल्ली ले जाने के लिए सक्रिय कार्यवाही की है।" उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1966, 1967 और 1968 में 24 भारतीय समवाय अपने रजिस्टर्ड कार्यालय को पश्चिमी बंगाल से अन्य राज्यों में ले गये हैं। इसी अवधि के दौरान 14 समवाय अन्य राज्यों से अपने रजिस्टर्ड कार्यालयों को पश्चिमी बंगाल ले गये हैं।

(ग) पश्चिमी बंगाल में काम कर रही कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी 1965-66 में 546.4 करोड़ रुपये थी जो 1968-69 में बढ़कर 603.6 करोड़ रुपये हो गई है। 1965-66 में 365 नई कम्पनियों ने, 58.7 करोड़ की प्राधिकृत पूंजी के साथ स्वयं को पंजीकृत कराया है। 1968-69 में 10.9 करोड़ की प्राधिकृत पूंजी के साथ 200 कम्पनियां रजिस्टर्ड की गई हैं।

Conversion of M.G. line from Varanasi to Barabanki into B.G.

*1398. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the metre-gauge line from Varanasi to Barabanki via Gorakhpur is being converted into broad-gauge line ;

(b) whether it is also a fact that a proposal to construct an additional broad-gauge line from Barabanki to Gonda is under consideration ;

(c) whether it is proposed to construct such additional line from Gonda to Dohrighat via Basti and Khalilabad and coversion of metre-gauge line from Dohrighat to Mau Junction (North Eastern Railway) into broad-gauge line according to a suvey in this regard conducted before Independence ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A proposal to convert the metre gauge lines from Varanasi to Gorakhpur via Bhatni and then onwards to Barabanki via Gonda, is only under consideration, for which engineering and traffic surveys are in progress. Further consideration to this proposal will be given after the surveys are completed and the survey reports are examined by the Railway Board.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) . No surveys for a new B.G. line between Gonda and Dohrighat via Basti and Khalilabad and for conversion of Dohrighat-Mau M.G. line into B.G. appear to have been carried out in the past and this proposal is also not under consideration at present. This proposal is not justified in view of the conversion schemes referred to earlier which are under consideration.

Cement Factories in Madhya Pradesh

*1399. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number and location of the Cement factories in Madhya Pradesh ;

(b) whether Government propose to open any new factory there ;

(c) if so, the time by which it is likely to be opened ; and

(d) the reasons for the delay in setting up such a factory there ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmad) : (a) There are four Cement factories in Madhya Pradesh at Kymore, Banmore, Jamul and Satna.

(b) to (d). The Cement Corporation of India limited which was incorporated in 1965 is setting up a cement factory at Mandhar. The factory is expected to be completed by the end of this year. The normal gestation period for a cement factory is three to four years and there has been no delay.

भारावमोचक परिवहन सहायकों (रिलीविंग ट्रान्सपोर्टेशन एसिस्टेंट्स) का सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों पर कार्य करना

*1400. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के अतिरिक्त अन्य रेलवे कर्मचारियों को अवैध रूप से स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों पर कार्य

करने की अनुमति दे दी जाती है और इस प्रकार स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति के अवसर समाप्त कर दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेलों में जोनवार तथा डिवीजन-वार ऐसी कितनी पदोन्नतियां की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो दक्षिण-पूर्व रेलवे के अद्रा तथा बर्दवान, बदेल, दानापुर और मुगलसराय आदि जैसे स्थानों पर भारावमोचक परिवहन सहायक, सहायक स्टेशन मास्टरों के रूप में कैसे कार्य कर रहे हैं और पूर्व रेलवे के सियालदह स्टेशन पर दो भारावमोचक परिवहन सहायक इतने लम्बे समय से कैसे कार्य कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ग). गार्ड और यार्ड मास्टर की कोटियों में काम करने वाले कर्मचारी सहायक स्टेशन मास्टर और स्टेशन मास्टर के पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किये जाने के पात्र हैं। अधिकांश रेलों पर स्वीकृत सरणि के रूप में इसकी व्यवस्था है और तदनुसार सम्बन्धित कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। एवजी परिवहन सहायकों की कोटि पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर रेलों में हैं और इन रेलों पर पदोन्नति सरणि में ऊंचे ग्रेड के पदों में उनकी पदोन्नति के लिए विचार करने की व्यवस्था है। पदोन्नति के लिए उनके सम्बन्ध में विचार करने में कोई अवैधता नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Bus-Train Collision near Gauhati

*1401. **Shri Onkarlal Berwa :**
Shri Biswanarayan Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many persons were killed in a collision between a bus and a goods train near Nalbari level crossing near Gauhati on the 4th March, 1969 ; and

(b) if so, the causes of the collision ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) In this accident 5 persons were killed, 2 sustained grievous injuries and 4 sustained minor injuries. In addition 21 persons sustained only slight injuries and were discharged after being rendered first aid.

(b) The accident was due to (i) the gateman not closing one side of the level crossing against road traffic before the arrival of the train and (ii) the Driver of the Motor Bus not being vigilant.

All India Commercial Clerks Federation

*1402. **Shri Chandrika Prasad :**
Shri P. L. Barupal :
Shri Subravelu :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that All India Railway Commercial Clerks Federation is going

to celebrate their Demands Day and that they have also given notice for going on strike;

(b) whether it is also a fact that a deputation of these employees had met the former Railway Minister, Shri Poonacha and that he had assured them to revise their grade ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) It has come to the notice of the Government that the All India Railway Commercial Clerks Association observed what they call "Demand Day" in the month of January, 69 ; Government are not aware of any strike notice given by the Association.

(b) and (c). A deputation of these employees had met the former Minister for Railways and presented a memorandum. No assurance, as referred to, appears to have been given by him.

The demands have been examined and it has not been found possible to accede to them. However, the question of giving relief to staff who have been at the maximum of their pay scales for some time is receiving attention of the Government. Further, the question of hours of work of all Railway employees has been remitted to the Railway Labour Tribunal and the demand of Commercial Clerks in this regard will be covered in the findings of the Tribunal.

उद्योगों की स्थापना

*1403. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों के भारी संख्या के लोगों के नगरों में आकर बसने को रोकने के लिए उद्योग स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). ग्रामीण औद्योगिक योजना गांवों की जनता को शहरों में प्रयाण को रोकने के उद्देश्य से चलाई जाने वाली योजनाओं में से एक योजना है इसे 1962 में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली योजना द्वारा 15 राज्यों और चार संघीय क्षेत्रों जिनके नाम गोआ, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा मनीपुर हैं, के 49 चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया। प्रत्येक क्षेत्र में 3-5 सामुदायिक विकास खंड और 3-5 लाख तक जन-संख्या है। प्रायोजना क्षेत्रों में व्यवस्था और कार्यान्वयन करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है केन्द्र उन्हें आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

कार्यक्रम के विषयों में विशेषकर प्रगामी गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण द्वारा और उत्पादन की प्रविधि द्वारा कौशल का विकास, साधारण सुविधा सेवाओं की व्यवस्था, विपणन में सहायता, तकनीकी और औद्योगिकी सम्बन्धी मामलों में सलाह, लघु औद्योगिक एककों को भूमि इमारत,

मशीनी कार्यकारी पूंजी और विस्तार सेवाओं का प्रावधान निहित है। छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रगामी अभ्युपाय भी सरकार द्वारा अपनाए गए हैं।

जिला बर्दवान में कुल्टी नगर में ऊपर का पुल

*1404. **श्री देवेन सेन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा से दिल्ली और दिल्ली से हावड़ा जाने वाली रेलवे लाइनों के द्वारा जिला बर्दवान का कुल्टी नगर दो भागों में विभक्त हो गया है;

(ख) क्या यह सच है कि ऊपर का पुल न होने के कारण एक ओर से लोगों को दूसरी ओर जाने के लिये कभी-कभी दो घण्टे तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि गर्भवती महिलाओं के लिये प्रायः अस्पतालों में समय पर पहुंचना कठिन हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या स्थानीय लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक उपरि पुल बनाने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। आमतौर पर फाटक लगातार सात मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रहते।

(ग) जी नहीं।

(घ) कुल्टी में वर्तमान समपार की जगह सड़क के ऊपर/नीचे पुल बनाने के लिए राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी से अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिला है।

रेलवे के आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)

*1405. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में काम करने वाले श्रेणी 1, 2 और 3 के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अभ्यंश की प्रतिशतता में सरकार ने वृद्धि करने की घोषणा की थी;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय रेलवे में काम करने वाले आशुलिपिकों (स्टेनोग्राफरों) की मांग पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो उनके लिये पदोन्नति के अभ्यंश में वृद्धि से उनको कहां तक लाभ पहुंचाने की संभावना है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). रेल कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के पदोन्नति कोटे की प्रतिशतता में कोई वृद्धि नहीं की गयी है । लेकिन पहली श्रेणी के कुछ पदों का, उनके कार्यभार और उत्तरदायित्व में वृद्धि को देखते हुए, हाल में ही ग्रेड बढ़ा दिया गया है। स्टेनोग्राफरों सहित, तीसरी श्रेणी के उन कर्मचारियों को जो कुछ समय से अपने वेतनमान के अधिकतम पर हैं, कुछ राहत देने के प्रश्न की जांच की जा रही है। जांच यथासम्भव शीघ्र पूरी हो जायेगी ।

चुने हुए रेलवे स्टेशनों पर खाद्यान्नों का लदान

*1406. **श्री स० कुन्दू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबी की फसल के खाद्यान्नों की लदान तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये बिना छत वाले मालडिब्बों का बड़ी संख्या में प्रयोग करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे का विचार केवल कुछ चुने हुए रेलवे स्टेशनों से ही गेहूं लादने का है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से केरल तथा दक्षिण में अन्य स्थानों के लिये खाद्यान्नों को ले जाने के लिए यातायात की आवश्यकता को पूरा करने में असफल रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं । लेकिन फसल कटने और उसकी उगाही के तुरन्त बाद खाद्यान्नों के बड़ी मात्रा में एकत्र होने और साथ ही रबी के व्यस्त मौसम में आने वाले अन्य माल अग्रता के आधार पर ढोने के लिये रेलों के वादे को देखते हुए खाद्यान्नों की ढुलाई के लिये कुछ खुले मालडिब्बों का उपयोग किया जा सकता है । ये मालडिब्बे तिरपाल द्वारा सुरक्षित होंगे और जब ब्लाक रैक हों, तो उनके साथ सुरक्षा दल के कर्मचारी चलेंगे ।

(ख) बचत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए रेलों, खाद्य मंत्रालय, भारत के खाद्य निगम और सम्बद्ध राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय बैठकों में तय किये गये कार्यक्रमों के अनुसार निश्चय किया जाता है । इन बैठकों में माल बुक करने के स्थान भी तय किये जाते हैं ।

(ग) जी नहीं । इसके विपरीत, ढुलाई की अपेक्षा माल उतारने की क्षमता अक्सर कम रही है जिसके कारण मालडिब्बों को रुकना पड़ा है ।

पश्चिम बंगाल में इन्जीनियरिंग उद्योग के लिये कच्चे माल की सप्लाई

*1407. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास,आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में लघु उद्योग क्षेत्र में इंजीनियरिंग उद्योग को गत अनेक

महीनों से केन्द्रीय सरकार से कच्चे माल की अपेक्षित मात्रा में सप्लाई नहीं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कारण इस उद्योग में गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उद्योग को कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). 16 से 20 जी और 20 जी से पतली बी० पी० शीटों के अत्यधिक कमी रही है। यह कमी समूचे देश भर में रही। लघु उद्योग के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को 1968-69 के लिए किये गये बी० पी० शीटों के आवंटन का कोटा निम्न प्रकार था।

16-20 जी —1776 मी० टन

20 जी से पतली—1602 मी० टन

लघु उद्योग को इन श्रेणियों की शीटों का और अधिक आवंटन किए जाने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं।

मोटरकार मूल्य सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

*1408. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटरकारों के मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन पर अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). रिपोर्ट की जांच से कुछ ऐसी अनेक बातों का पता चला जिन पर प्रशुल्क आयोग से और आगे विचार-विमर्श करना आवश्यक समझा गया था। यह विचार-विमर्श इस समय चल रहे हैं। रिपोर्ट पर आशा है कि एक या दो महीनों में निर्णय कर लिया जायेगा।

बोकारो इस्पात कारखाने में श्रमिकों की काम करने की शर्तें

*1409. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने बोकरो इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य के लिये अनेक उप ठेकेदार तथा छोटे ठेकेदार नियुक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ठेकेदारों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इन ठेकेदारों के बीच श्रमिकों की काम की शर्तों के सम्बन्ध में हुए समझौते की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने अन्य ठेकेदारों पर शर्तें लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड के प्रमुख सिविल इंजीनियरी क्षेत्रों के लिये 12 क्षेत्रीय ठेकेदार और निर्माण और माल की सप्लाई आदि के लिये 53 छोटे ठेकेदार सम्भरणकर्ता नियुक्त किये हैं ।

(ग) मजदूरों के काम की शर्तों के बारे में करार के उद्धरण सभा-पटल पर रख दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 943/69]

(घ) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड का एक औद्योगिक सम्बद्ध अनुभाग है जिसके काम की देखभाल एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी करता है । यह अधिकारी बिहार राज्य के श्रम विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आया हुआ है । इसका काम समझौते की शर्तों का पालन कराना है ।

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची में षडयंत्र

*1410. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान रांची के अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त द्वारा उस मामले में, जिसमें चार व्यक्तियों को, सितम्बर और दिसम्बर, 1964 में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची की फाउंडरी फोर्ज प्लांट में आग लगाने तथा तत्संबंधी षडयंत्र में भाग लेने के कारण विभिन्न अवधियों के लिए कारावास का दण्ड दिया गया है, दिये गये निर्णय की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने और अधिक जांच करने का आदेश दिया है और क्या वह इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त निगम अथवा उनके अधीन अन्य किसी सरकारी उपक्रमों में शत्रु के एजेन्ट नहीं हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि सरकारी उपक्रमों में ऐसे एजेन्ट नहीं रहें, जोकि संस्थानों को हानि पहुंचायें, क्या कोई जांच करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). निर्णय का परिनिरीक्षण किया जा रहा है और जो कार्यवाही आवश्यक समझी जायगी की जायगी । कोई विशेष जांच तो नहीं की गई है परन्तु कारखाने को सम्भव तोड़-फोड़ और उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति से बचने के लिये सुरक्षा के प्रबन्ध विद्यमान हैं ।

लोनी, उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर परियोजना

7950. **श्री बाबूराव पटेल : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोनी, उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर परियोजना के लिये कितने मूल्य के तथा कितनी मात्रा में उपकरणों का आयात किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) रूस के साथ सहयोग का ब्योरा क्या है;

(ग) लोनी में प्रस्तावित कारखाने में निर्मित किये जाने वाले ट्रैक्टरों के लिये किस प्रकार के टायरों की आवश्यकता होगी और क्या इन विषय आकार के टायरों को रूस से खरीदना पड़ेगा;

(घ) क्या वर्तमान पांच ट्रैक्टर निर्माताओं ने सरकार के लोनी में परियोजना आरम्भ करने के निर्णय का विरोध किया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) मोटर गाड़ी विकास परिषद् की ट्रैक्टर सम्बन्धी उप-समिति की इस बारे में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें हैं; और

(च) सरकारी क्षेत्र में चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से प्रस्तावित ट्रैक्टर परियोजना को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स गाजियाबाद इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का विचार सोवियत रूस के प्रोमा एक्सपोर्ट के सहयोग से लोनी (उ० प्र०) में डी०टी०- 14 बी ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये एक औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने का है । परियोजना के लिये आवश्यक आयातित उपकरणों का कुल मूल्य फर्म ने 2.59 करोड़ रु० बताया है । ये आंकड़े स्थायी हैं और आयातित मशीनों के वास्तविक मूल्य का पता फर्म ने उसके सहयोगियों से ठीक-ठीक ब्योरा मिल जाने और तकनीकी विकास का महा-निदेशालय द्वारा उसकी छानबीन कर लेने के बाद ही चल सकेगा ।

(ख) यह परियोजना गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जा रही है और प्राइवेट फर्म के साथ चल रही सहयोग की शर्तें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) मैसर्स गाजियाबाद इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा तैयार किये जाने वाले ट्रैक्टरों में भारत में निर्मित स्टैंडर्ड टायर लगाये जाने की आशा है। असामान्य आकार के टायरों सहित ट्रैक्टरों का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(घ) कुछ विद्यमान ट्रैक्टर निर्माताओं ने ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये नई परियोजनाएं स्थापित करने के विरुद्ध इस आधार पर अभ्यावेदन दिया था कि इन एककों की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) मोटर गाड़ी, ट्रैक्टरों आदि की विकास परिषद की ट्रैक्टर नामिका उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कृषि कार्यों के लिये 20 अ०श० वाले छोटे ट्रैक्टर बनाना बचतपूर्ण नहीं होगा और जिन पांच एककों को पहले ही ट्रैक्टर बनाने के लाइसेंस दे दिये गये हैं वे अपनी क्षमता बढ़ाकर ट्रैक्टरों की मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त होंगे।

(च) पहले चेकोस्लोवाकिया के मैसर्स मोटेकोव के सहयोग से जीटर-2011 ट्रैक्टरों (20 अ०श०) का निर्माण करने के लिये सरकारी क्षेत्र में पूर्णरूपेण एक नई परियोजना स्थापित करने का विचार था। किन्तु जब सेंट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर ने 20 अ०श० के ट्रैक्टर के अधिरूप तैयार कर लिये हैं और सुझाव दिया गया था कि प्रस्तावित परियोजना को इसी नमूने के ट्रैक्टरों का निर्माण करना चाहिये। यह भी वांछनीय समझा गया है कि परियोजना को चाहिये कि वह एम०ए०एस० सी०, दुर्गापुर तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के पिंजौर स्थित एकक में उपलब्ध फालतू क्षमता का पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। तदनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से कहा गया था कि वह इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करे और अपनी सिफारिशें दे। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जो विचाराधीन है। इस परियोजना पर अन्तिम निर्णय रिपोर्ट की जांच कर लेने के पश्चात् किया जायगा।

विकलांग बच्चों के लिये नेहरू संस्था के बन्द होने का प्रस्ताव

7951. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनाभाव के कारण विकलांग बच्चों के लिये नई दिल्ली में चल रही जवाहर लाल नेहरू संस्था तथा उसके होस्टल के बन्द होने की आशंका है जिसके परिणाम-स्वरूप 400 विकलांग बच्चे निराश्रित हो जाएंगे ;

(ख) यदि हां, तो संस्था का नाम श्री जवाहर लाल नेहरू नाम पर रखा ही क्यों गया जबकि वह अच्छी प्रकार चल नहीं सकती थी ; और

(ग) सरकार द्वारा रक्षित कोष की स्थापना करके विकलांग बच्चों के लिए विशेष पाठशालाओं में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था न की जाने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) यह एक स्वयंसेवी संगठन है और इसने ही यह नाम चुना है ।

(ग) रक्षित कोष बनाने के लिये सरकारी अनुदान नहीं दिए जाते हैं । शिक्षा, जिसमें विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा भी शामिल है, राज्य विषय है । परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विकलांग व्यक्तियों की शैक्षिक संस्थाओं में मुफ्त शिक्षा दी जाती है ।

आदिम जातीय क्षेत्रों का विकास

7952. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में (खासतौर से बस्तर में) आदिम जातीय लोगों में बढ़ती हुई अशांति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आदिम जातीय लोगों तथा आदिम जातीय क्षेत्रों के विकास हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्रियान्विति के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है ताकि देश के विकास के मुख्य स्रोत से आदिम जातीय लोगों का सम्बन्ध स्थापित किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो मध्यप्रदेश, आसाम, बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात तथा त्रिपुरा और मणिपुर के संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्रवार योजनाओं का ब्योरा क्या है और उनमें से प्रत्येक योजना पर कुल कितना व्यय होगा ;

(ग) क्या योजनाओं की पर्याप्तता और वित्तीय आवंटनों के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार की राय मांगी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर मध्य प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (घ). राज्य सरकारों से उचित परामर्श करने के बाद तथा आदिम जातियों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए विकास योजनाओं का मसौदा चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल कर लिया गया है । चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद राज्यों के लिए वित्तीय आवंटनों तथा योजनाओं के ब्योरे का निश्चय किया जाएगा । शैक्षणिक सहायता तथा आदिम जातीय विकास खण्डों सम्बन्धी मुख्य योजनाओं को अलबत्ता, चतुर्थ योजना काल में जारी रखा जाएगा ।

खुर्दा रोड स्टेशन में पूछताछ तथा आरक्षण क्लर्कों के पद

7953. **श्री स० कुन्डू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्वी रेलवे के खुर्दा रोड स्टेशन के डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट द्वारा 1951 से 1957 तक पूछताछ तथा आरक्षण क्लर्कों के कितने पद भरे गए;

(ख) क्या चीफ पर्सनल अफसर द्वारा इन पदों को नियमित किया गया था और 1963-1964 में वरिष्ठता सूचियां दो बार प्रकाशित की गई थीं और अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया गया था;

(ग) क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे के चीफ पर्सनल अफसर ने 3 दिसम्बर, 1966 के अपने एक पत्र में उपरोक्त स्थिति को समाप्त कर दिया था और उक्त पदधारियों को अर्थात पूछताछ एवं आरक्षण क्लर्कों के पदों पर नियुक्ति के लिए कलकत्ता में साक्षात्कार के लिए पेश होने को कहा था ;

(घ) यदि हां, तो क्या पहले से नियुक्त किए गए कुछ कर्मचारियों को रोजगार से वंचित करने के लिए ऐसा किया गया है ;

(ङ) क्या पूछताछ एवं आरक्षण क्लर्कों के नये चयन के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाने वाले चीफ परसनल अफसर के उक्त आदेश को समाप्त कर दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसर्स सिंथैटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड तथा मैसर्स किलाचन्द देवीचन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड

7954. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय विधि मंडल ने 1965-1966 में सिफारिश की थी कि मैसर्स सिंथैटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड तथा मैसर्स किलाचन्द देवीचन्द एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच हुए एकमात्र बिक्रीकर अभिकरण सम्बन्धी करार में परिवर्तन किया जाये;

(ख) यदि हां, तो किन-किन परिवर्तनों की सिफारिश की गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि 18 फरवरी, 1969 को करार का नवीकरण करते समय इन सिफारिशों की उपेक्षा की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या एक अमरीकी फर्म का सिंथैटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के अधिकांश अंश खरीदकर इस कम्पनी को अपने नियंत्रण में लेने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). समवाय विधि बोर्ड ने करार में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया था जो निम्नलिखित है :—

(i) 60 दिनों के अन्दर-अन्दर विक्री की राशि को प्रिंसिपल कम्पनी के पास जमा कराया जाये ।

(ii) डी०जी०टी०डी० के रजिस्टर पर जिन उपभोक्ताओं के नाम हैं और जिनको सरकार को इस आशय के पुष्टि पत्र देने पड़ते हैं कि वे कम्पनी से उतना ही सिंथैटिक रबड़ खरीदेंगे जितना सरकार द्वारा उनके लिये आवंटित किया गया है, से कमीशन नहीं ली जानी चाहिए ।

(iii) निर्यात के लिये बेंची गई वस्तुओं पर शुद्ध विक्री के मूल्य से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक कमीशन नहीं ली जानी चाहिये ।

एकमात्र विक्री अभिकर्ताओं द्वारा विक्री की राशि को वसूल करने और निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत भुगतान को अनिवार्य बनाने की दृष्टि से ये सुझाव दिये गये हैं, डी०जी०टी०डी० के रजिस्टर पर जिन एककों के नाम हैं उनको की गई विक्री पर विक्री कमीशन न लिये जाने को सुनिश्चित करने क्योंकि ऐसी विक्री के लिए कोई प्रयत्न नहीं करने पड़ते और निर्यात की गई विक्री के मामले कमीशन की निर्धारित प्रतिशत को सुनिश्चित कराने के लिए भी ये सुझाव दिये गये हैं ।

फिर भी कम्पनी के तथा एकमात्र विक्री अभिकर्ता के लिखित तथा मौखिक अभ्यावेदनों को देखते हुये और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि उनके द्वारा अब आवंटन का कार्य नहीं किया जाता और कम्पनी को अपने सामान के लिए स्वयं मण्डी ढूंढ़नी पड़ती है और कि रसायनों के लिये अधिक कमीशन निर्धारित नहीं की गई है । एकमात्र विक्री अभिकर्ता की शर्तों में परिवर्तन करने वाले कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं और उनको करार की अवधि में करार की शर्तों के अनुसार कमीशन लेने की अनुमति दी गई । कम्पनी को, फिर भी, समवाय विधि बोर्ड के सुझावों को ध्यान में रखने का परामर्श दिया गया है जबकि एकमात्र विक्री अभिकर्ता करार 1968 में नवीकरण किया गया था ।

(ग) नवीकृत करार को पढ़ने से यह पता लगता है कि कम्पनी ने समवाय विधि

बोर्ड के सुझावों पर विचार नहीं किया है। अतः कम्पनी से मामला स्पष्ट करने के लिये कहा गया है।

(घ) यदि कम्पनी की महा सभा में प्रस्तावित करार स्वीकृत कर दिया जाता है तो बोर्ड द्वारा मामले पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(ङ) विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है।

बिड़ला बन्धुओं को मिश्रित इस्पात परियोजना के लिये लाइसेंस

7955. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला बन्धुओं ने बिहार स्थित अपनी मिश्रित इस्पात परियोजना को बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के एकक के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार एक स्वतन्त्र मिश्रित इस्पात संयंत्र के लिये बिड़ला बन्धुओं को दिये गये मूल लाइसेंस में परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जा रहा है।

यादीं समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

7956. **श्री सूरज भान :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने यादीं समिति की कुछ सिफारिशें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को विचार करने और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को ये सिफारिशें उनको भेजी गईं ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, कार्यान्वित किया है और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ?

विधि-मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) जी, हां।

(ख) 24 अगस्त, 1968

(ग) भेजी गई सिफारिशों पर विभिन्न राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अभी विचार कर रहे हैं।

Translation of Laws in Hindi

7957. **Shri Ramesh Chandra Vyas:** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had taken a decision some-time back to translate the laws into Hindi ;

(b) if so, whether it is a fact that some State Governments have expressed their inability in this regard ; and

(c) the names thereof?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon): (a) to (c). In pursuance of the Order of the President, dated the 27th April, 1960, issued under clause (6) of article 344 of the Constitution of India, a Standing Commission, called the Official Language (Legislative) Commission, was constituted in June, 1961. The main functions of the Commission are the preparation of a standard legal terminology for use, as far as possible, in all Indian languages and the preparation of authoritative texts in Hindi of Central Statutes and Rules and Orders, etc., made thereunder. The Commission is also required to arrange for the translation into Hindi of State Laws which are not in Hindi. The translation of Central Laws into Hindi is being done exclusively at the Centre by the Official Language (Legislative) Commission.

The question of translation into Hindi of State Laws which are not in Hindi was discussed in the Law Ministers' Conference held in August/September, 1967, and it was decided that such translation might be done at the Central level through the Official Language (Legislative) Commission for the purpose of achieving uniformity in legal language in the Central and State laws as far as practicable. The question of State Governments expressing their inability to translate laws into Hindi does not, therefore, arise.

दक्षिण एक्सप्रेस में तृतीय श्रेणी में यात्रा

7958. **श्री क० लकप्पा :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण एक्सप्रेस में यात्रियों को मथुरा से दिल्ली तक तीसरी श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि आगरा की ओर से दिल्ली आने वाले यात्रियों की संख्या दिल्ली तक आने वाले तृतीय श्रेणी के डिब्बों में उपलब्ध कुल सीटों से सामान्यत: काफी कम होती हैं ;

(घ) उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए तथा यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए

क्या सरकार दक्षिण एक्सप्रेस में तृतीय श्रेणी में यात्रियों को मथुरा से दिल्ली आने की अनुमति देगी ; और

(ङ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । इस गाड़ी पर एक सामान्य प्रतिबन्ध है जिसके अनुसार 483 कि० मी० या इससे कम दूरी के टिकट वाले तीसरे दर्जे के यात्रियों को इस गाड़ी से यात्रा करने की अनुमति नहीं है । इस प्रतिबन्ध में केवल कुछ छूट की अनुमति दी गयी है ।

(ख) लम्बी दूरी के यात्रियों को असुविधा न होने देने के लिए ऐसा किया गया है ।

(ग) नवम्बर, 1968 में की गयी गणना से मालूम हुआ था कि मथुरा से दिल्ली के बीच की दूरी में इस गाड़ी पर तीसरे दर्जे का स्थान लगभग भरा रहता है । किन्तु यह पता लगाने के लिए कि स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं, फिर से उसका मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्था की जा रही है ।

(घ) और (ङ). भाग (ग) में जिस मूल्यांकन का जिक्र किया गया है उसका परिणाम उपलब्ध होने पर इस मामले की समीक्षा की जायेगी ।

विदेशी सहयोग से औद्योगिक विकास योजनाएं

7959. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 और 1968 में कितनी तथा किन-किन औद्योगिक विकास योजनाओं के लिये विदेशों से सहयोग लिया गया था ; और

(ख) सहयोग देने वाले देशों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक विदेशी सहयोगकर्ता ने कितनी पूंजी लगाई थी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1967 और 1968 में जिन प्रकरणों में विदेशी सहयोग की स्वीकृति दी गई है उनकी संख्या क्रमशः 183 और 132 है । विदेशी सहयोग के प्रकरणों की त्रैमासिक सूची, जिसमें भारतीय और विदेशी पार्टियों के नाम, उत्पादन वस्तु विदेशी पूंजी का सहयोग प्रकरण में सम्मलित है या नहीं ये सब बातें जनरल आफ इन्डस्ट्री एण्ड ट्रेड में प्रकाशित की जाती हैं । इसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में आती हैं ।

(ख) सहयोग देने वाले देशों के नाम ये हैं :—ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, जापान, फ्रान्स, स्विटजरलैण्ड, स्वीडन, इटली, हालैण्ड, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, कनाडा, पूर्व जर्मनी बल्गेरिया, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, ग्रीस, हंगरी, नार्वे, न्यूजीलैण्ड, रूस, यूगोस्लाविया, आदि ।

1967 और 1968 के ऐसे प्रकरणों जिनमें विदेशी पूंजी का सहयोग स्वीकृत किया गया है कि संख्या क्रमशः 62 और 30 है। इन प्रकरणों में अल्पांश विदेशी सहयोग की अनुमति प्रदान की गई है। केवल 1967 में एक प्रकरण में और 1968 में 3 प्रकरणों में बहुलांश विदेशी पूंजी सहयोग की अनुमति दी गई है।

दिल्ली स्टेशन से फ्रन्टियर मेल का विलम्ब से छूटना

7960. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1969 और फरवरी 1969 में (पृथक-पृथक) फ्रन्टियर मेल दिल्ली जंकशन से बम्बई सेंट्रल स्टेशन के लिये कितनी बार विलम्ब से छूटी थी ;

(ख) इस महत्वपूर्ण गाड़ी के दिल्ली से विलम्ब से चलने के क्या कारण थे ;

(ग) गाड़ी विलम्ब से छूटने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) इस बात के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि दिल्ली/नई दिल्ली से सभी गाड़ियां समय पर छूटें ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) जनवरी में 13 बार और फरवरी में 3 बार।

(ख) 4 अप फ्रंटियर डाक के देर से चलने का मुख्य कारण यह है कि खतरे की जंजीर खींचने, रेल उपस्करों की चोरी के कारण नियंत्रण की खराबी, आदि के फलस्वरूप रास्ते के ब्यस्त इकहरी लाइन खण्ड में इस गाड़ी का चालन समय अस्त-व्यस्त हो गया, जिसकी वजह से यह गाड़ी अमृतसर से देर में पहुंची।

(ग) परिहार्य विलम्ब के लिये दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गयी है।

(घ) इस गाड़ी के चालन में सुधार के लिए एक विशेष समय पालन अभियान चलाया गया है और मार्च, 1969 में यह गाड़ी दिल्ली से केवल एक दिन देर से चली और अप्रैल, 1969 (20 तारीख तक) में सभी दिन ठीक समय से चली।

दिल्ली/नयी दिल्ली से गाड़ियों के ठीक समय पर रवाना होने पर पूरी निगरानी रखी जाती है और इन स्थानों से गाड़ियां देर से रवाना न हों इसके लिए प्रत्येक व्यावहारिक उपाय किया जा रहा है।

दिल्ली से फरीदाबाद तक शटल रेलगाड़ी

7961. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में तीव्रता से हो रही वृद्धि को

देखते होने पर भी औद्योगिक कर्मचारियों के लिये दिल्ली से प्रातः 7 से 8 बजे के बीच में फरीदाबाद/बल्लभगढ़ जाने वाले तथा वहां से दिल्ली लौटने वाले इन कर्मचारियों के लिए सायं 4-30 से 6-30 के बीच कोई भी शटल रेलगाड़ी उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बहुत से औद्योगिक कर्मचारियों को (बदरपुर) तुगलकाबाद तक रेड़ी और तांगों में जाना पड़ता है और फिर उन्हें वहां से दिल्ली या फरीदाबाद के लिए बसों में जाना पड़ता है और उनको इस प्रकार काफी कठिनाई उठानी पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन स्टेशनों से उपरोक्त समयों पर कोई शटल सेवा प्रारम्भ करेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। लेकिन कर्मचारियों के लिए 2 एन डी एफ शटल जी नयी दिल्ली से 06·00 बजे छूटती है और फरीदाबाद 07·00 बजे पहुंचती है सुबह को गाड़ी है और 363 डाउन मथुरा-दिल्ली सवारी गाड़ी जो फरीदाबाद से 17·27 बजे छूटती है और नयी दिल्ली 18·45 बजे पहुंचती है शाम की गाड़ी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

नई दिल्ली और सफदरजंग ब्रांच लाइन के बीच शटल गाड़ी का चलना

7962. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली और सफदरजंग ब्रांच लाइन के बीच नई दिल्ली से सफदरजंग ब्रांच लाइन के लिये तथा वहां से नई दिल्ली को प्रातः लगभग 10 बजे दोपहर 12 बजे तथा सायं 3 बजे शटल गाड़ियां चलाने का औचित्य क्या है जबकि इन समयों पर वहां कोई यातायात नहीं होता ; और

(ख) इस ब्रांच लाइन पर इन शटल रेलगाड़ियों के चलाये जाने के बाद अब तक रेलवे को कुल कितने राजस्व की हानि हुई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) व्यस्त घंटों में चलने वाली लोकल गाड़ियों के रेकों में संतुलन बनाये रखने के लिए नयी दिल्ली-सफदरजंग उपनगरी लाइन पर इन गाड़ियों का चलाना परिचालन की दृष्टि से आवश्यक है।

(ख) आमदनी और घाटे के आंकड़े गाड़ीवार नहीं रखे जाते।

विशिष्ट डिब्बों के लिए विराम शुल्क

7963. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 के अन्त तक विशेष डिब्बों के लिए प्रति घंटा विराम शुल्क (हाल्ट चार्ज) क्या था तथा अब उसमें कितनी वृद्धि की गई है ;

(ख) इस बात को देखते हुए कि 1969 के रेलवे के सामान्य बजट में रेल-टिकट किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई है, क्या यह सच है कि विराम शुल्क में की गई वृद्धि अधिक है ;

(ग) क्या सरकार विशेष यात्री डिब्बों के लिये इस शुल्क में कमी करने के प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 31 दिसम्बर, 1968 तक आरक्षित सवारी डिब्बों के लिए अवरोधन (डिटेंशन) प्रभार चाहे वह किसी श्रेणी का सवारी डिब्बा हो प्रति घंटा प्रति अठपहिया सवारी डिब्बा 1 रुपया था। 1 जनवरी, 1969 से इन प्रभारों में संशोधन करके वातानुकूल अठपहिया सवारी डिब्बे के लिए प्रति घंटा 15 रु० और अन्य श्रेणी के अठपहिया सवारी डिब्बे के लिए प्रति घंटा 5 रु० कर दिया गया है।

(ख) से (घ). 31-12-68 तक लागू अवरोधन प्रभार कई दशक पहले निश्चित किये गये थे। यात्री किराये में समय-समय पर संशोधन किया गया लेकिन अवरोधन प्रभार के बारे में ऐसा नहीं किया गया। चूंकि यह संशोधन कई दशकों के बाद किया गया था इसलिए यह वृद्धि देखने में अधिक मालूम होती है लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है क्योंकि संशोधित दरें वर्तमान लागत पर आधारित हैं। संशोधित दरों के लागत पर आधारित होने के कारण उन्हें घटाने का कोई औचित्य नहीं है।

कान्दरोरी रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर माल साइडिंग

7964. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर रेलवे में जालन्धर-पठानकोट सेक्शन पर कान्दरोरी रेलवे स्टेशन पर माल साइडिंग का निर्माण करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) फरवरी, 1969 में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से एक प्रस्ताव मिला था।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

भाखड़ा रेल लाइन का अधिग्रहण

7965. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड द्वारा नांगल से भाखड़ा तक की भाखड़ा रेल लाइन के अधि-

ग्रहण के मामले में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इसका अधिग्रहण कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय नांगल से भाखड़ा तक की भाखड़ा रेलवे लाइन को भाखड़ा कंट्रोल बोर्ड से उत्तर रेलवे द्वारा अपने हाथ में लेने के प्रश्न से है। इस मामले में जांच की जा रही है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

अखिल भारतीय अवर्गीकृत रेल लेखा कर्मचारी संस्था की मांगें

7966. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको 7 मार्च, 1969 की अखिल भारतीय अवर्गीकृत रेल लेखा कर्मचारी संस्था से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य मागें ये हैं।

(1) लेखा क्लर्कों के ग्रेड I और II को हटाया जाना चाहिये।

(2) अपेंडिक्स IIए परीक्षा प्रणाली हटाकर उसके बदले सरल उपयुक्त-परीक्षा कर देनी चाहिये।

(3) निम्नतर ग्रेड में क्लर्कों के रुके रहने में सुधार किया जाना चाहिये।

(ग) इन सभी मांगों की परीक्षा की गई है और यह सम्भव नहीं हो पाया है कि (1) और (2) में निर्दिष्ट मांगों को माना जा सके। जहां तक मांग (3) का प्रश्न है, 110-180 रुपये के ग्रेड में अधिकतम पर पहुंचने वाले कर्मचारियों को कुछ राहत देने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। अन्य कोटियों के कर्मचारियों के साथ भी ऐसी ही कार्यवाही की जा रही है।

त्रिपुरा को लोहे की नालीदार चादरों का कोटा

7967. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के लिये लोहे की नालीदार चादरों के आवंटित कोटे में से बहुत सी चादरें त्रिपुरा से बाहर नियत मूल्य से अधिक मूल्य में बेची जाती हैं और जिसके परिणामस्वरूप त्रिपुरा के लोगों की नालीदार चादरें नियंत्रित तथा अन्यथा उचित मूल्य पर नहीं मिल पाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि त्रिपुरा के लिये आवंटित लोहे की चादरों को त्रिपुरा के बाहर न बेची जायें ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Scholarships to Scheduled Caste and Scheduled Tribes Students

7969. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:** **Shri Bal Raj Madhok:**
Shri Narain Swarup Sharma: **Kumari Kamla Kumari:**
Shri Om Prakash Tyagi:

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 85 on the 11th November, 1968 and state:

(a) the rules regarding the grant of scholarships to the students belonging to scheduled castes and scheduled tribes ; and

(b) whether a copy each of the rules would be laid on the Table of the House?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Wefare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) and (b). A copy of the existing Regulations is attached. **[Placed in Library. See No. LT-944/69]**

Scale of Pay of Assistant Station Masters

7970. **Shri Ranjit Singh:**
Shri Jagannath Rao Joshi:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that minimum salary of Assistant Station Master in the scale of 130-240 starts from Rs. 150;

(b) whether it is also a fact that the Second Pay Commission had not recommended this scale;

(c) whether Government propose to revise this scale as Rs. 150-240 in order to remove this anomaly ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) and (d). The Pay Commission recommended the scale of Rs. 130-225 as the lowest grade for Assistant Station Masters. This scale was amalgamated with the next higher grade Rs. 150-240 to form a combined grade of Rs. 130-240. There is no anomaly if an employee's minimum salary is fixed at Rs. 150 in the combined scale of Rs. 130-240 and as such there is no need to revise the scale as Rs. 150-240.

इंजीनियरी के सामान का उत्पादन

7971. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरी के सामान का उद्योग तथा उसके उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : इंजीनियरी उद्योग जिसपर मुख्य रूप से 1966 तथा 1967 में मंदी का काफी प्रभाव पड़ा था, ने वर्ष 1968 में काफी प्रगति की है। 1960-100 को आधार मानकर इंजीनियरी उद्योग के औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 1967 के 194.2 की अपेक्षा 1968 के प्रथम 11 महीने में 201.3 रहा ; इसमें 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मैसूर में अखबारी कागज कारखाना

7972. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कौन-सा स्थान चुना गया है ; और

(ग) उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में फर्मों को ऋण

7973. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों, फर्मों तथा कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में उड़ीसा में औद्योगिक विकास के लिये ऋण दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 945/69] ।

ग्रेटर बम्बई में चौकीदारों वाले रेलवे फाटकों पर उपरि पुल बनाना

7974. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महा बम्बई की नगर सीमा में कितने चौकीदारों वाले और कितने स्वचालित फाटक हैं ;

(ख) क्या ग्रेटर बम्बई के नगर निगम के सहयोग से इन सभी रेलवे फाटकों पर उपरि-पुल बनाने की रेलवे की कोई योजना है ; और

(ग) इन उपरि-पुलों के निर्माण पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) चौकीदार वाले 41 समपार हैं जिनमें से 16 में ऊपर उठने वाले फाटक लगे हुये हैं ।

(ख) 21 ऊपरी/निचले सड़क पुल और 14 ऊपरी पैदल पुल बनाने का प्रस्ताव है । तीन ऊपरी सड़क पुलों पर काम चल रहा है । दो ऊपरी पैदल पुलों के निर्माण की भी स्वीकृति दे दी गई है । बाकी के प्रस्तावों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हाथ में लिया जायेगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकार/बम्बई नगर निगम उन्हें क्या अग्रता देता है और लागत में सड़क प्राधिकारी के अंश के रूप में कितनी रकम उपलब्ध की जाती है ।

(ग) इस सम्बन्ध में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अधिकांश प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक स्थिति में हैं और उनके नक्शों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

Central Industrial Projects

7975. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether any programme has been prepared to complete those central industrial

projects which were left incomplete during the Third Five Year Plan ;

(b) if so, the amount to be spent on them ; and

(c) the time by which the work on these projects will be completed ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). The programme for completion during the Fourth Plan of the Central industrial projects, which were not completed during the Third Five Year Plan, and the amounts to be spent on such projects are indicated in the Book 'Fourth Five Year Plan (1959-74)—Draft' brought out by the Planning Commission, which has also been placed before Parliament.

(c) It is not possible to indicate at this stage the time by which each of these continuing projects will be completed during the Fourth Plan period.

Production of High Carbonised Steel

7976. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the efforts being made to produce high carbonised steel in the country which is being imported for the manufacture of iron wheels which are used in agricultural implements ; and

(b) whether the indigenous production will be able to meet the increasing heavy demand in the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) High carbon steel in the form of blooms, billets, bars and iron rods is produced by Durgapur and Bhilai Steel Plants. For agricultural discs, however, high carbon steel in the form of sheets is required. Such sheets are produced only by the Alloy Steel Plant at Durgapur.

(b) The demand for high carbon steel sheets for production of agricultural discs is estimated at 4,000 tonnes for 1969-70. During this year, the Alloy Steel Plant at Durgapur proposes to produce between 500 and 1,000 tonnes sheets.

Electrification of Railway Stations

7977. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway stations in the country where facilities of electric light have not been provided ; and

(b) the time to be taken by Government to remove this deficiency, and the approximate time by which Government would be able to electrify all the railway stations ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 3,792 stations.

(b) It is not possible at this stage to give any date by which all the stations in the country will be electrified, as the electrification of stations is dependent on a number of factors like availability of L. T. power supply nearby ; reasonableness of service connection charges and tariff, availability of funds (as this is an amenity with lower priority), the number of trains halting at night etc.

Electrification of Stations in Madhya Pradesh

7978. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of such railway stations in Madhya Pradesh where facilities of electric lights have not been provided ; and

(b) the time to be taken by the Government to complete this work and the expenditure incurred by Government in this regard during the financial year 1968-69 ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 343 stations.

(b) It is not possible at this stage to give any date by which all the stations in Madhya Pradesh will be electrified, as the electrification of stations is dependent on a number of factors like availability of L.T. power supply nearby ; reasonableness of service connection charges and tariff ; availability of funds (as this is an amenity with lower priority) the number of trains halting at night etc. An amount of Rs. 2,08,000 is likely to be spent during the financial year 1968-69 on the electrification of stations in Madhya Pradesh.

Ticket Checking Staff in Kota Circle (Western Railway)

7979. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the posts reserved for Scheduled Castes in the Ticket-Checking Staff in Kota Circle on the Western Railway are still lying vacant ; and

(b) if so, the arrangements being made to fill up these posts ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) One post in scale Rs. 250-380(A).

(b) A selection is being held to fill up this post.

Railway Running Staff

7980. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Nitiraj Singh Chaudhary :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Guards, Drivers, Firemen and Brakemen are treated as running staff in Railways ;

(b) whether it is also a fact that T.T.Es. are not treated as running staff, although they are in running staff for all intents and purposes ;

(c) whether it is also a fact that they do not receive the facilities which are received by the running staff ; and

(d) whether Government propose to treat the T.T.Es. also as running staff in future ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) to (d). Only such categories of Railway Staff as are directly in charge of and respon-

sible for the movement of trains are treated as running staff. They are paid Running Allowance, which includes an element of Travelling Allowance and an incentive payment for the safe, punctual and expeditious movement of trains on which operating efficiency depends. T.T.Es., like several other categories of Railway staff, have to function on moving trains, but they are in no way responsible for the operation or movement of the trains. Therefore, it is not possible to treat them as running staff and pay them Running Allowance. They are paid Travelling Allowance when they perform journeys by trains.

Running staff are also entitled to running room facilities to which T.T.Es. are not, as a rule, entitled. However, they are allowed to avail of these facilities, if available. Wherever accommodation in the existing running rooms is not adequate, efforts are made to provide rest room accommodation for them.

चौथी पंचवर्षीय योजना में परामर्श पर होने वाला व्यय

7981. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में परामर्श के कार्य पर लगभग 200 करोड़ रुपये व्यय होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से इस राशि को कम करने के लिये कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) परामर्शदात्री सेवाओं की आवश्यकता के बारे में किये गये अध्ययन में पहले वाली चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1966-71) की अवधि में परामर्शदात्री सेवाओं की आवश्यकताओं का मोटा अनुमान लगाने का 1966 में प्रयोग किया गया था। उन परियोजनाओं जिनके लिये परामर्श दात्री सेवाएं पहले ही ली गई हैं को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रसामान्यकों को अपनाते हुये यह अनुमान लगाया गया था कि उस समय अस्थायी रूप से तैयार की गई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये आवश्यक परामर्शदात्री सेवाओं का मूल्य 200 करोड़ रुपये होगा। इसका यह अभिप्राय नहीं कि परामर्शदात्री सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय विदेशी मुद्रा का व्यय है क्योंकि परामर्श-दात्री सेवाओं का अधिकांश काम देश में ही किया जायेगा।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) जिसे योजना आयोग ने अब अन्तिम रूप दिया है, कि अवधि में जिन परामर्शदात्री सेवाओं की आवश्यकता होगी उनका मूल्य क्या होगा इसका अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) भारतीय परामर्श दात्री सेवाओं के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के विचार से यह निर्धारित किया गया है कि जहां भी भारतीय परामर्श दात्री सेवाएं उपलब्ध हैं केवल उन्हीं का प्रयोग ही किया जाय और यदि विदेशी परामर्श की आवश्यकता भी हो तो उससे भारतीय परामर्शदाताओं को भी सम्बद्ध किया जाये और नियमानुसार वे परामर्श में मुख्य माध्यम होने चाहिये।

देश में इंजीनियरी के विशिष्ट क्षेत्रों में काम कर रही तकनीकी परामर्शदात्री फर्मों की सूची तैयार करने के लिये पग उठाये गये हैं और ऐसी आशा है कि ऐसे मामलों में जिनमें उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है उनमें विदेशी तकनीकी परामर्शदात्री सेवाओं को आमंत्रित न किया जाये अथवा उसकी अनुमति न दी जाये ।

उद्योगों का वर्गीकरण

7982. **श्री बे० कृ०दासचौधरी :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ की कार्यकारी समिति ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि उसे औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंस विदेशी सहयोग तथा आय-कार सम्बन्धी रियायतों के प्रयोजनार्थ उद्योगों का वर्गीकरण करने की दिशा में अपने दृष्टिकोण को राष्ट्रवादी बनाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) सरकार को अभी हाल में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ की ओर से ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अजमेर में पिसाई मशीनों के औजार बनाने वाला कारखाना

7983. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर में पिसाई मशीनों के औजार बनाने वाले कारखाने में उत्पादन कब तक आरंभ होने की आशा है ; और

(ख) उस कारखाने पर अनुमानत: कितनी लागत लगेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) ग्राइन्डिग मशीन टूल संयंत्र का अजमेर में उत्पादन कई चरणों में होगा । प्रथम चरण में इसमें तीन प्रकार के पिसाई संयंत्रों तथा यूनिवर्सल टूल और कटर ग्राइंडर, वर्टीकल सरफेस

ग्राइन्ड, और क्रेन्क शैफ्ट ग्राइंडर का उत्पादन किया जायेगा । इन मशीनों का प्रारम्भिक संयोजन नवम्बर, 1969 तक प्रत्याशित है इसके उपरान्त उत्पादन होने लगेगा ।

(ख) प्रायोजना का कुल मूल्य 8.3 करोड़ रुपये के लगभग अनुमानित है ।

परामर्शदात्री सेवाओं में आत्म-निर्भरता सम्बन्धी गोष्ठी

7984. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परामर्शदात्री सेवाओं में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के सम्बन्ध में हुई तीन दिवसीय गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने भारतीय परामर्शदात्री संगठनों की आलोचना करते हुये कहा था कि वे आयातित मशीनों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं तथा देश में उपकरण बनाने के लिये स्वयं बहुत कम नमूनों की सिफारिश करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी प्रौद्योगिकी पर हमारी निर्भरता कम हो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उद्घाटन भाषण में देशी डिजाइनों तथा तकनालोजी के विकास की आवश्यकता पर बता दिया गया था कि विदेशी मशीनों तथा तकनालोजी की निर्भरता को कम किया जा सके ।

(ख) भारतीय परामर्शदात्री सेवाओं के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के विचार से यह निर्धारित किया गया है कि जहां भी भारतीय परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध हैं, केवल उन्हीं का ही प्रयोग किया जाये और यदि विदेशी परामर्श आवश्यक भी हो तो इससे भारतीय परामर्शदाताओं को भी सम्बद्ध किया जाये और नियमानुसार वे परामर्श के लिये मुख्य माध्यम होने चाहिये ।

विदेशी सहयोग के प्रत्येक मामले पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाता है और इसका भी ध्यान रखा जाता है कि क्या विशिष्ट उद्योग जिसके लिये विदेशी सहयोग मांगा जा रहा है हमारे औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक हैं और उसके लिये ऐसे वैकल्पिक तकनीकी जानकारी देश में उपलब्ध है जिसे व्यवसायिक स्तर पर प्रयोग किया जा सके । उचित मामले में अधिकतम व्यवहारिक सीमा तक पार्टियों को कहा जाता है कि वे विदेशी सहयोग के साथ भारतीय वैज्ञानिक तकनालोजी-कल तथा इंजीनियरी संस्थाओं को जोड़े ताकि विदेशी जानकारी को यथाशीघ्र अर्थव्यवस्था में समाविष्ट किया जा सके और देश कम आगे विकास किया जा सके । सरकार द्वारा विदेशी सहयोग की स्वीकृति प्रदान करते समय यह उल्लेख कर दिया जाता है कि देशी डिजाइन तथा

गवेषणा की सुविधाओं की स्थापना तथा विकास की व्यवस्था की जाये ताकि विदेशी तकनालोजी को समझौता अवधि में खपाया जाये । तकनीकी सहयोग करार को बढ़ाने के आवेदनों की अत्यन्त ध्यान पूर्वक जांच की जाती है और केवल उन्हीं करारों को बढ़ाने की अनुमति दी जाती है जहां सरकार संतुष्ट हो जाती है कि उनके बढ़ाने की प्रबल आवश्यकता है ।

पूर्व रेलवे में गाड़ियों का देरी से चलना

7985. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता की ओर से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पूर्व रेलवे में लगभग सभी गाड़ियां देरी से चलती हैं जिससे आम जनता को बहुत असुविधा होती है ;

(ख) यदि हां, तो शिकायत किस किस्म की है ;

(ग) उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(घ) लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). सवाल नहीं उठता ।

सीमेंट के धारण मूल्य

7986. **डा० सुशीला नैयर** :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट का धारण मूल्यों में वृद्धि के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद की मूल्य, उत्पादन तथा निर्यात समिति ने अपना प्रतिवेदन अन्तिम रूप से तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ग). जी, हां । तीन निम्नस्तर के एककों के अलावा जिनके लिये उनकी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग-मूल्य निर्धारित किये जायेंगे, 16 अप्रैल, 1969 से सीमेंट के सभी कारखानों के लिये कारखाने को चलते समय के 100 रु० प्रति मी० टन का

समान मूल्य निर्धारित करने का निश्चय किया गया है। यह भी निश्चय किया है कि 1 जनवरी, 1970 से सीमेंट के मूल्य और वितरण से सभी प्रकार के नियंत्रण हटा दिये जायें।

टाटा तथा बिड़ला उद्योग समूह में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अंश

7987. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा तथा बिड़ला उद्योग समूहों के नियंत्रणाधीन ऐसे कौन-कौन से कारखाने हैं जिनमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के साम्य अंश हैं ;

(ख) प्रत्येक कारखाने में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के साम्य अंशों का मूल्य तथा अनुपात कितना-कितना है ; और

(ग) टाटा तथा बिड़ला के ऐसे कौन-कौन से कारखाने हैं जिनमें निदेशक बोर्ड में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर एक्सप्रेस/मेल गाड़ियों में बिजली के बल्ब

7988. **श्री गार्डिलिगन गौड :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में अधिकांश एक्सप्रेस/मेल गाड़ियों में बिजली के बल्ब नहीं लगे होते हैं तथा सवारी गाड़ियों की दशा अत्यधिक खराब होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पूर्वोत्तर तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में उन गाड़ियों को बल्बों का पूरा कोटा देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) सवाल नहीं उठता।

न्यू कूच बिहार स्टेशन

7989. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लोको शेड से कर्मचारियों को वापिस बुला लिये जाने के कारण न्यू कूच बिहार स्टेशन पर लोको शेड

तथा कार्यालय की इमारत खाली पड़ी रहने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : न्यू कूच बिहार पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के न्यू जलपाई गुड़ी-न्यू बंगाईगांव खण्ड पर स्थित है। न्यू जलपाईगुड़ी और न्यू बंगाईगांव के बीच नयी बड़ी लाइन बन जाने पर न्यू कूच बिहार में एक लोको शेड खोला गया ताकि इस खण्ड पर चलने वाली 'वर्क ट्रेन' के इंजनों में कोयला डाला जा सके और रेल पथ के समेकन के लिये इस खण्ड की गिट्टी गाड़ियों में लगने वाले इन्जनों को खड़ा किया जा सके। रेल-पथ का समेकन हो जाने पर गिट्टी गाड़ियों के परिचालन की आवश्यकता नहीं रह गई और इस प्रयोजन के लिये वहां रखे गये रेल इंजनों को वहां से हटा लिया गया। इस खण्ड पर अधिकतम अनुमत रफ्तार में वृद्धि और बड़े रेल इंजनों के उपयोग के फलस्वरूप 'वर्क ट्रेन' के इंजनों में कोयला डालने की आवश्यकता भी समाप्त हो गयी है।

Filling up of Class III and IV Posts in North Eastern Railway

7990. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many sanctioned posts of Class III and Class IV employees in the North Eastern Railway and Divisional Offices are lying vacant due to economy drive and the present staff is entrusted with the work of these posts ;

(b) whether it is also a fact that Class I and Class II posts in all the said Offices have been filled up not caring for the economy drive ; and

(c) if so, the steps being taken to remove the discrimination ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). A few posts in Class III and Clast IV in Offices are kept vacant in view of the need for economy, it being the present policy to temporarily reduce the strength in administrative offices etc.

Death of Patients in Central Hospital, North-Eastern Railway, Gorakhpur

7991. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that six patients who were admitted in the New Medical Ward of the Central Hospital, North Eastern Railway, Gorakhpur from the 9th December, 1968 to the 12th December, 1968 died due to carelessness of the doctors and improper treatment ;

(b) if so, the action so far taken by Government in this regard;

(c) if not, the other causes of the death of these patients ;

(d) whether some aid has been given by the Department to the relatives of the deceased ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) One non-railway patient aged 70 years admitted in the New Medical Ward of Central Hospital, Gorakhpur on 10-12-68 died of Cardiac Asthma the same day.

(d) and (e). Do not arise.

Demands of Indian Railway Clerks' Union

7992. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Bali Ram Bhagat, the then Minister of State in the Ministry of External Affairs had inaugurated the Indian Railway Clerks' Union at Samastipur in Bihar on the 2nd January, 1969 ;

(b) if so, whether the aforesaid Union had submitted any memorandum containing their demands at that time ; and

(c) if so, the progress made so far in regard to action initiated in that connection.

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). It is understood that the All India Conference of the unrecognised Indian Railway Train Clerks' Union was held at Samastipur on 2-1-1969 and certain memoranda were also presented, relating to Service conditions etc. of Trains Clerks. Action, as is appropriate and necessary, is being taken on these demands.

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सम्बन्धी अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन

7993. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सम्बन्धी अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन के बारे में 18 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष राज्यों से उत्तर इस बीच प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). 18 फरवरी, 1969 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर में उल्लिखित राज्यों के अलावा तमिलनाडु, मैसूर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, पाण्डिचेरी, लक्कादीव, चण्डीगढ़ और त्रिपुरा की सरकारों के उत्तर भी प्राप्त हो गये हैं ।

(ग) शेष राज्य सरकारों को अपने उत्तर शीघ्र ही भेजने के लिये स्मरण कराया जा रहा है ।

Staff in Bhilai Steel Plant

7994. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the number of Class I, Class II, Class III and Class IV employees separately in Bhilai Steel Plant ;

(b) the number of employees in the said categories separately belonging to Madhya Pradesh ; and

(c) if the number of employees belonging to Madhya Pradesh in any of the said categories is less, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) The number of regular employees categorywise as on 28-2-1969 in the Bhilai Steel Plant was as under :—

	Class I	Class II	Class III	Class IV	Total
No. of employees ..	1,910	34	25,426	12,100	39,470

(b) and (c). The Bhilai Steel Plant is a Central Government Project. According to the recruitment policy announced by the Government, the recruitment to all Class I posts i.e. grade Rs. 400-950 and above, is made in an All India background through advertisement in leading newspapers. The policy for recruitment to lower grades particularly Class III and IV is that preference should be given to the local people and for this purpose media of Employment Exchanges is being used. In both cases, regular selection committees, on which the State Government is to be represented, are appointed for selecting the most suitable candidate. This procedure is being followed.

No State-wise list of employees, however, is being maintained.

Supply of New Bogies for Amritsar Express

7995. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that attention is not being paid to supply new first class bogies for the Amritsar Express and this is still being supplied with old bogies ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the reasons for which the Southern Express, Northern Express, Punjab Mail, the Frontier Mail and other Express and Mail trains have superior first class bogies while the Amritsar Express which covers a wide area and passes through the Capitals of many States is not supplied with new bogies ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Import of goods for Nepa Mills

7996. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that goods worth two crores of rupees have to be imported from abroad to run the Nepa Mills in Madhya Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that in case the machines for preparing pulp are imported from abroad, the import of pulp can be discontinued and pulp can also be prepared from reed and bamboo ;

(c) whether it is also a fact that foreign exchange worth eight crores of rupees is likely to be saved as a result thereof ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard and the time by which these steps would be taken ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). The Nepa Mills ordinarily do not require more than Rupees 20 lakhs of foreign exchange per annum for import of felts, wires, wire-cloth and spare parts for running their old plant with 30,000 tonnes annual capacity. However, for the New Paper Machine, which has commenced production during the current month, they would require imported pulp worth about 2 crores for the first two years till the new pulping section has also been started.

(c) At present Nepa Mills is producing about 30,000 tonnes newsprint every year resulting in saving of foreign exchange to the extent of about Rs. 3.5 crores. After the expansion programme has been fully implemented and the mills have started producing additional 45,000 tonnes newsprint, the total foreign exchange saving will be about Rs. 8 crores every year.

(d) Orders for the new pulp mill have already been placed, the work for design and drawings has been awarded and action for civil construction etc. has also been taken. It is expected that within next two years the new pulping section will be started.

Free Education to Children of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Backward Classes in Madhya Pradesh

7997. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the children of the members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes in Madhya Pradesh are imparted free education, distributed books free of cost and awarded scholarships ; and

(b) if so, the amount spent thereon during 1968-69 ?

The Minister of State in Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phul Renu Guha) : (a) Yes, Sir.

(b) The outlay was as below :—

Central Sector	Rs. 30.22 lakhs.
State Sector	Rs. 52.63 lakhs.

Figures of expenditure are not yet available.

अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट

7998. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट के लिखने

में, जो कि उनके कार्य के मूल्यांकन का आधार है, में उचित ध्यान नहीं दिया जाता और उस पर अच्छी तरह विचार नहीं किया जाता ;

(ख) गोपनीय रिपोर्टों से एक कर्मचारी की योग्यताओं का स्पष्ट, पूरा और सही पता चल सके इसके लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) ऐसी रिपोर्टों को कर्मचारियों को क्यों नहीं बताया जाता ताकि वे अपनी त्रुटियों का सुधार कर सकें ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). गोपनीय रिपोर्ट प्रपत्रों और निर्धारित प्रपत्रों को भरने के लिए जो अनुदेश जारी किये गये हैं, उनका उद्देश्य किसी कर्मचारी के काम और उसकी योग्यता का सही, यथावत् और निष्पक्ष मूल्यांकन करना है ।

(ग) आमतौर पर प्रतिकूल टिप्पणियों की सूचना कर्मचारी को दे दी जाती है ताकि वह अपने को सुधार सके ।

स्टेशन मास्टरों का ड्यूटी रोस्टर

7999. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्टेशनों की संख्या कितनी है जहां पर स्टेशन मास्टरों के 'सुपरवाईजिंग' ड्यूटी रोस्टर में सामान्य सुपरवाइजिंग ड्यूटी के साथ-साथ लाइन क्लीयर देने वाली ड्यूटी को मिलाकर लगातार चलने वाली ड्यूटी बना दिया है ;

(ख) कितने स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के पदों को यार्ड मास्टरों और सहायक यार्ड मास्टरों में परिवर्तित कर दिया गया है ;

(ग) कितने स्टेशनों पर 'लगातार ड्यूटी' वाले रोस्टरों को अत्यावश्यक सविरामी ड्यूटी और इन्टैन्सिव ड्यूटी 'लगातार ड्यूटी' में परिवर्तित किया गया है ;

(घ) 1 अप्रैल, 1965 से 31 दिसम्बर, 1968 तक जोनवार, डिवीजनवार और वर्षवार ऐसे कितने स्टेशन और केबिन हैं जहां पर स्टेशन मास्टरों के पद समाप्त किये गये हैं और कम किये गये ; और

(ङ) अब तक यह किस आधार पर किया गया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सियालदह डिवीजन (पूर्व रेलवे) पर तार की चोरी

8000. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के प्रत्येक सेक्शन में वर्ष 1968 और 1969 के

प्रथम दो महीने में तार की चोरी के कितने मामले हुए ;

(ख) इस कारण कुल कितनी राशि की हानि हुई ;

(ग) क्या 23 फरवरी, 1969 को सियालदह से लगभग 17 किलोमीटर दूर बारुईपुर और सोनारपुर स्टेशन के बीच 60 मीटर ऊपर की तारें चोरी हो गई थीं ;

(घ) यदि हां, तो उस घटना का ब्योरा क्या है ; और

(ङ) इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1968-69 (फरवरी, 1969 तक) के दौरान सियालदह मंडल में तार की चोरी के जिन मामलों की रिपोर्ट की गई थी, उनकी कुल संख्या नीचे दी गयी है :—

खण्ड का नाम	मामलों की संख्या जिनकी रिपोर्ट की गयी	
	1968	1969 फरवरी तक
1— ब्रेस ब्रिज-संतोषपुर	24	—
2— सियालदह दक्षिण खण्ड	12	4
3— सियालदह-बनगांव	5	5
4— दमदम जं०-दमदम कैंट	4	2
5— दमदम जं०-बराहनगर	3	—
6— कांकुड़गाछी-बालीगंज	1	—
7— नैहाटी-रानाघाट	3	1
8— नैहाटी-बैरकपुर	1	—
9— ब्रेस ब्रिज-नंगी	—	5

(ख) 1968 में कुल हानि 31,287 रुपये की हुई थी और 1969 में 8,979 रुपये की ।

(ग) जी हां । 23/24 फरवरी, 1969 की रात को ।

(घ) 24-2-69 को लगभग 04.50 बजे सोनारपुर ग्रिड सब-स्टेशन पर सर्किट ब्रेकर गिर गया था । इसे अलग करने पर पता लगा कि बरुईपुर और सोनारपुर के बीच अप लाइन खराब हो गयी है । लगभग 05.20 बजे कर्मचारी स्थान पर पहुंचे और कापर रिटर्न फीडर तार की चोरी की रिपोर्ट की ।

(ङ) तारों की चोरी रोकने के लिए निरोधात्मक उपाय के रूप में विभिन्न प्रभावित स्थानों पर विशेष शिविर चालू किये गये हैं और प्रभावित क्षेत्रों में रात में गस्त लगाने की भी व्यवस्था की गयी है। पुलिस और रेल सुरक्षा दल ने मिलकर छापा मारने का कार्य भी संगठित किया है। ताम्बे के तार के स्थान पर इससे सस्ते धातु के तार लगाये गये हैं।

स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये छुट्टी रिजर्व

8001. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के दिनांक 14 अगस्त, 1951 के पत्र संख्या ई० (ए० डी० जे०) 48 एल० आर० 1 के अनुसार स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के सभी ग्रेडों, जिसमें उच्च ग्रेड भी शामिल हैं, के लिये छुट्टी रिजर्व के पदों के बनाने की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे कार्यान्वित किया गया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या जोन के अधिकारियों ने बोर्ड के दिनांक 25 नवम्बर, 1968 के पत्र संख्या ई० (जी०) 67 एल० आर० आई०—11 को कार्यान्वित किया है विशेषत: स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के बारे में और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या रेलवे बोर्ड के कार्यालय में यह सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रक्रिया है कि रेलवे बोर्ड द्वारा एक बार जारी किये गये आदेश उचित अवधि में और ठीक प्रकार से लागू हों ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उक्त आदेशों की ठीक कार्यान्विति को सुनिश्चित करने में बोर्ड क्यों असफल रहा ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) बोर्ड के 14-8-1951 के पत्र में रेल प्रशासनों को, कुछ मध्यवर्ती ग्रेडों के सीनियर स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के सम्बन्ध में, प्रत्येक रेलवे में अपनाये गये स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, छुट्टी रिजर्व रखने की अनुमति दी गयी थी।

(ख) रेलों से प्राप्त सूचना से मालूम होता है कि कुछ रेलों में इन आदेशों पर सही रूप में अमल नहीं किया गया है। स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

(ग) जी हां। कुछ रेलों में इन आदेशों पर अमल करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

(घ) और (ङ). बोर्ड के आदेशों को रेल प्रशासन सदैव उचित समय के भीतर अमल में लाते हैं बशर्ते उनके सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण आवश्यक न हो या कोई दूसरी व्यवहारिक कठिनाई न हो।

पश्चिमी देशों में सिले सिलाये वस्त्रों की मांग

8002. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी देशों में खादी के सिले सिलाये कपड़ों की बहुत मांग है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय निर्यातकों में परस्पर प्रतियोगिता, माल के उत्पादन, डिजाइन तैयार करने और अन्य देशों में इस माल के प्रचार में समन्वय न होने के कारण से ऐसी मांग का अधिक लाभ नहीं हो पाता है ;

(ग) क्या सरकार ने खादी के माल के निर्यातकों का एक सार्थ संघ बनाने, इस सार्थ संघ को पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध करने पर विचार किया है ताकि पश्चिमी देशों में खादी के माल की मांग से पूरा लाभ उठाया जा सके ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Delay in sanction of Provident Fund Advances to Railway Employees at Kota (Rajasthan)

8003. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a provision for giving advance to the employees from the provident fund on the occasions of marriages etc. ;

(b) if so, the number of cases of provident fund advance pending with the Divisional Engineer, Kota (Rajasthan) in spite of the certificates from the D.M.O. and A.M.O. having been attached with them ; and

(c) the dates from which the said applications are pending and the reasons for not sanctioning the same ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes.

(b) Nil.

(c) Does not arise.

Changing of Coolie Numbers

8004. **Shri P. L. Barupal**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three years ago the coolies at Delhi Railway Station were permitted to change their number when they desired to do so ;

(b) if so, the reasons for which this facility has been withdrawn now ; and

(c) whether this facility has been withdrawn at Delhi station only or on all the stations in the Northern Zone ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Upto 1965, transfer of a Licensed Porter Number to a relative of the licensed porter was being permitted at Delhi station.

(b) Granting of this permission was stopped because it was decided to recruit licensed porters through a Selection Board and also because the permission given was being misused.

(c) Granting of this permission has been stopped for all the stations of Northern Railway having licensed porters.

Installation of Iron Pipe between Ballia and Ratanpura

8005. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a representation was submitted to Government regarding installing an eight inches diameter iron pipe between Ballia and Ratanpura on the North Eastern Railway for providing irrigation facilities ;

(b) if so, the action taken thereon so far ;

(c) whether it is also a fact that a sum of Rs. 1,000 was deposited in this connection nine months ago, but neither the money was returned nor were the pipes installed ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Plan and estimate for the work have been finalised.

(c) The work would involve an initial cost of Rs. 1,509 plus Rs. 101 towards annual maintenance charges. Of these, the party has deposited only Rs. 987/-. Despite reminders, the party has neither deposited the balance amount nor has he given any indication that he is no longer interested in the execution of the work.

(d) Does not arise.

आयकर अपील अधिकरणों में लंबित अपीलें

8006. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अपील अधिकरणों में बड़ी संख्या में अपीलें लंबित हैं जिनमें से आयकर विभाग द्वारा दायर की गई अपीलों की प्रतिशतता अधिक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जबकि अधिकरण में अपील दायर करने के लिये करदाता को 100 रुपये फीस देनी पड़ती है, आयकर विभाग को कोई अपील दायर करते समय इस प्रकार की कोई फीस नहीं देनी पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वांछनीय समझती है कि या तो आयकर विभाग इस प्रकार की फीस दे या विभाग द्वारा अपील हार जाने की स्थिति में विभाग करदाता को अपील का खर्च दे ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) पहली अप्रैल, 1969 को आयकर अपील अधिकरण के समक्ष लंबित अपीलों की संख्या 68,334 थी। इनमें से 14,611 अपीलें (अर्थात् लगभग 23 प्रतिशत) ऐसी थीं जो आयकर विभाग द्वारा फाइल की गई थीं।

(ख) जी हां।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

रीरोलिंग मिलों का बन्द होना

8007. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक को गत छः महीनों में रीरोलिंग मिलों के बन्द होने की अग्रिम जानकारी मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मिलों ने यह सूचना दी और उनके बन्द होने के क्या कारण थे ; और

(ग) इन मिलों को बन्द होने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1968 में स्टील रीरोलिंग मिल्स एसोसिएशन ने दो बार सूचित किया था कि बिलेटों की कमी के फलस्वरूप 25 पुनर्बेलन मिलें बन्द हो गई थीं। लोहा और इस्पात नियन्त्रक ने बताया है कि नवम्बर 1968 से मार्च 1969 के दौरान 17 मिलें, जिनके नाम संलग्न सूची में दिए गए हैं, भिन्न-भिन्न समय तक के लिए बन्द रहीं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 946/69]

(ग) पुनर्बेलन मिलों को बिलेट की प्राप्यता में सुधार के लिये सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्य उत्पादकों से यथासम्भव अधिकतम प्रेषण करने के लिये कहा गया है और इस दिशा में एक कदम यह उठाया गया है कि टिस्को को दुर्गापुर से 100,000 टन इस्पात पिण्ड दिलाकर अतिरिक्त बिलेट का उत्पादन करने के लिये कहा गया है। यह भी तय किया गया है कि बिना सरकार की पूर्वाज्ञा के बिलेट के निर्यात के लिए करार करने की अनुमति नहीं दी जायगी।

निर्वाचन लड़ने के लिये निरर्हता का हटाया जाना

8008. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य विधान सभा के लिये

श्री डी० पी० मिश्र का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है और उनको छह वर्षों तक निर्वाचन लड़ने के लिये निरर्हित करार दिया है ;

(ख) क्या निर्वाचन आयोग इस प्रकार की निरर्हता का अधित्याग पहले कर चुका है ;

(ग) यदि हां, तो किन व्यक्तियों के मामले में निर्वाचन आयोग ने यह निरर्हता अधित्यक्त की थी और उसके क्या कारण थे ; और

(घ) क्या श्री मिश्र के पक्ष में इस निरर्हता को अधित्यक्त करने के बारे में कोई प्रार्थना की गई है और उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) हां, कुछ मामलों में ।

(ग) निरर्हता व्यक्तियों के नाम और ऐसी निरर्हताओं को हटाने या उनकी कालावधि को कम करने के आधार संक्षेप में दर्शित करने वाला विवरण उपाबद्ध है (उपाबन्ध क) । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 947/69]

(घ) जी नहीं ।

आत्महत्या को अपराध न मानने के बारे में विचार

8009. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में हुई गोष्ठी में व्यक्त किये गये इस मत पर ध्यान दिया कि अपराध सम्बन्धी मनोविज्ञान में हुए व्यापक विकास को ध्यान में रखते हुए आत्म-हत्या को अपराध नहीं माना जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता में कोई उचित संशोधन लाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह): (क) से (ग). पिछले महीने नई दिल्ली में हुई सुधारात्मक सेवाओं सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी की सिफारिशों में आत्म-हत्या के विषय का भी निर्देश किया गया है । गोष्ठी की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। इस विषय पर कोई मत स्थिर नहीं किया गया है।

लघु उद्योगों के लिये ऋण सुविधायें

8010. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण सुविधाओं सम्बन्धी अखिल भारतीय गोष्ठी में लघु उद्योगों की ऋण आवश्यकताओं के लिये 1969 में एक सर्वेक्षण की मांग थी ;

(ख) यदि हां, तो किये गये सर्वेक्षण का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किये जाने वाले उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा संगठित क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों की ऋण की आवश्यकता की सूचना एकत्रित करने के लिए कदम उठाये गये हैं। नमूना सर्वेक्षण के आधार पर संगठित क्षेत्र को भी लेने और छोटे पैमाने के एककों के लिए चतुर्थ योजना काल में ऋण की मांगों की आवश्यक सूचना एकत्रित करने का प्रस्ताव है।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने समस्त देश में छोटे पैमाने के एककों के लिए विभिन्न प्रकार के ऋणों की आवश्यकता और उनके वर्तमान वित्तीय स्रोतों के निश्चित करने का काम हाथ में लिया था।

Cases of Malpractices under certain Acts

8011. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of businessmen found guilty of malpractices during the years 1966-67, 1967-68, 1968-69 and 1969-70 (so far) respectively under the Essential Commodities Act, 1955. Forward Trade (Regulation) Act, 1952 and Indian Standards Institution (Mark of Certification) Act, 1952; and

(b) the names, designations and addresses of the above persons and the steps taken to make the above Acts effective?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad): (a) and (b). A statement is attached. [**Placed in Library. See No. LT-948/69**]

नई दिल्ली की लघु उद्योग सेवा में देसी दवाइयां बनाने की योजना

8012. **श्री राम जी राम** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली लघु उद्योग सेवा संस्था के पास भारतीय देसी दवाईयां बनाने की कोई योजना नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चूना मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली के एक डा० कुंवर बलदेव सिंह ने लगभग नौ महीने पहले लघु उद्योग सेवा संस्था को (शिल्प योजना के अन्तर्गत) एक योजना भेजी थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). डा० कुंवर बलदेव सिंह ने भारतीय औषधियों का निर्माण करने के हेतु एक योजना स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली को प्रस्तुत की है, उसने लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली के 5 सितम्बर, 1968 को उसकी संभाव्यता तथा विपणन क्षमता की रिपोर्ट के बारे में पूछा था । यह रिपोर्ट बैंक को 11 अक्तूबर, 1968 को भेजी गई थी ।

Filing of Petitions by Defeated Candidates

8013. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the defeated candidates or the voters filed petitions challenging the elections after the last mid-term elections ;

(b) if so, State-wise details thereof ; and

(c) the time by which these petitions are likely to be disposed of ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) The information is being collected.

(c) Sir, it is not possible to indicate the time by which the petitions are likely to be disposed of. However, it may be pointed out that section 86 (7) of the Representation of the People Act, 1951, provides that a petition shall be tried as expeditiously as possible and that endeavour shall be made to conclude the trial within six months from the date on which the election petition is presented to the High Court for trial.

इस्पात कारखानों में इस्पात के उत्पादन को बढ़ाना

8014. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने और 1969-70 की अवधि में 10 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात उत्पन्न करने का एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). वर्ष 1968-69 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात कारखानों का विक्रेय इस्पात का उत्पादन 2.64 मिलियन टन था जिसमें 24,000 के लगभग तैयार मिश्र-इस्पात भी शामिल है । वर्ष 1969-70 के उत्पादन कार्यक्रम में 3.58 मिलियन टन विक्रेय इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 45,000 टन मिश्र-इस्पात भी शामिल है। इसके अतिरिक्त 1.1 मिलियन टन विक्रेय कच्चे लोहे के उत्पादन की योजना बनाई गई है ।

उत्तर रेलवे में आशुलिपिकों की भर्ती

8015. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी प्रकार की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद उत्तर रेलवे ने 130-300 रुपये ग्रेड में आशुलिपिकों की भर्ती की मांग रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद को भेजी थी और उसके फलस्वरूप आयोग ने 11-8-1966 को हुई एक परीक्षा के आधार पर 19 उम्मीदवारों की एक तालिका बनाई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है की पहली तालिका के 8 आशुलिपिकों को अभी भी नियुक्ति मिलनी बाकी है और उत्तर रेलवे द्वारा रखी गई मांग और बाद की परीक्षा ठीक नहीं थी ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि भर्ती पर प्रतिबन्ध के कारण तालिका वाले 19 उम्मीदवारों तथा अन्य 8 को नियुक्ति की पेशकश नहीं दी गई थी ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन तालिकाओं की अवधि बढ़ाने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (च). जबकि पहले वाले पैनल में अभी 8 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं भेजा गया था, प्रत्याशित आवश्यकताओं के लिये 11-8-1966 को रेल सेवा आयोग से 19 अतिरिक्त स्टेनोग्राफरों की मांग की गयी। किन्तु लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती पर लगे हुए प्रतिबन्ध को देखते हुए इन दो पैनलों के उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका।

नया पैनल बन जाने पर पुराना पैनल समाप्त हो गया। नये पैनल की अवधि भी समाप्त हो गयी है। वर्तमान नीति यह है कि रेलवे में भर्ती उसी हालत में की जाये जब ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक हो और कम से कम लोगों की भर्ती की जाये। इस नीति को ध्यान में रखते हुए इन दोनों पैनलों में से किसी पैनल की अवधि बढ़ाने का सरकार का विचार नहीं है। इसके अलावा रेल सेवा आयोग द्वारा चुने गये किसी उम्मीदवार की नियुक्ति की गारंटी नहीं दी जाती।

बालीगंज रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर आक्रमण

8016. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 फरवरी, 1969 को पूर्व रेलवे के बालीगंज रेलवे स्टेशन पर क्षुब्ध यात्रियों के एक दल ने आक्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी सम्पति को हुई हानि का ब्योरा क्या है ; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). 1-2-1969 को लगभग 200 यात्रियों ने बालीगंज स्टेशन के केबिनों के टेलीफोन, खिड़कियों के शीशे और रिकार्डों को नष्ट कर दिया था । लगभग 115 रुपये की मूल्य की सम्पत्ति नष्ट होने की सूचना मिली है । सियालदह रेलवे पुलिस ने 1-2-69 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/337/332/426 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया । इस सम्बन्ध में अब तक 4 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । अभी भी मामले की छान-बीन की जा रही है ।

कमर्शियल क्लर्क

8017. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री चंद्रिका प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री 19 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक कमर्शियल क्लर्कों की सभी मांगों पर विचार कर लिया गया हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मांग पर विचार करने से निकले परिणाम क्या हैं ;

(ग) सरकार ने कितनी मांगों को स्वीकार कर लिया है और कितनी को अस्वीकार कर दिया है ; और

(घ) प्रत्येक मद की अलग-अलग मांग को अस्वीकार कर देने के ब्योरेवार कारण क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) जी हां ।

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है जिसमें इन मांगों के सम्बन्ध में स्थिति बतायी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 949/69]

आल इंडिया रेलवे कमर्शियल क्लर्क एसोसिएशन से अभ्यावेदन

8018. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री चंद्रिका प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया रेलवे कर्मशियल क्लर्क एसोसिएशन से कमर्शियल क्लर्कों की कई वर्षों तक वेतन-वृद्धि रोकने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; जिसमें इसके विशिष्ट उदाहरण दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्योरा क्या है ;

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) उक्त कर्मचारियों में से प्रत्येक को कितनी कितनी वित्तीय हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन पश्चिम, पूर्वोत्तर, दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलों में कुछ व्यक्तियों के मामले में वार्षिक वेतन-वृद्धि के तथाकथित रोके जाने के विरुद्ध है ।

(ग) कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई, क्योंकि अभ्यावेदन, अनुशासन और अपील नियमानुसार उपयुक्त प्राधिकारी को देने चाहिये, जो उस पर आवश्यक कारवाई करेगा ।

(घ) इसका हिसाब नहीं लगाया गया है, क्योंकि जहां कहीं वार्षिक वेतन-वृद्धि रोके रखने का दण्ड दिया जाता हैं, उसमें इस तरह की हानि अन्तर्निहित होती है ।

रूपसा और बस्ता स्टेशनों के बीच गाड़ी रुकने वाले स्थान पर प्लेटफार्म

8019. **श्री स० कुण्डू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के चीफ कमर्शियल सुपरिटेंन्डेंट और डिवीजन सुपरिटेंन्डेंट ने एक श्री उपेन्द्र नाथ साहू से कहा था कि रूपसा और बस्ता स्टेशनों के बीच यात्रियों के लिये गाड़ियों के रुकने के स्थान पर प्लेटफार्म बनाने के लिये लोगों से श्रमदान देने को कहें ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र किस तिथि को भेजा गया था ;

(ग) क्या कोई उत्तर प्राप्त हुआ था और यदि हां, तो यह किस तिथि को प्राप्त हुआ था और उसमें क्या मुख्य बातें थीं ;

(घ) क्या उत्तर के आधार पर कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक और खड़गपुर के मंडल अधीक्षक ने श्री उपेन्द्र नाथ साहु से अनुरोध किया था कि इस बात का पता लगाने के लिये एक अभियान चलाएं कि रूपसा और बस्ता स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन बनाने के लिये किस हद तक श्रमदान मिल सकता है ।

(ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे के वाणिज्यिक अधीक्षक ने 10-1-69 को और खड़गपुर के मंडल अधीक्षक ने 17-1-69 को लिखा था ।

(ग) 25-2-69 को श्री राधा कृष्ण साहु से इस आशय का उत्तर मिला था कि गांव वालों द्वारा 2,000 रुपये के मूल्य की मिट्टी डालने के लिये श्रमदान किया जायेगा और

उन्होंने यह अनुरोध किया था कि वर्षा शुरू होने से पहले काम शुरू कर दिया जाये क्योंकि वर्षा शुरू होने के बाद मजदूर खेती के काम में लग जायेंगे।

(घ) अब यह विनिश्चय किया गया है कि रूपसा और बस्ता स्टेशनों के बीच एक हाल्ट स्टेशन की व्यवस्था की जाये और उपलब्ध श्रमदान के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिये दक्षिण पूर्व रेलवे को आदेश दिया गया है।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

'जेली' का उत्पादन

8020. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री गुणानन्द ठाकुर :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आइसक्रीम तथा भेषजीय 'केपस्युलों' में प्रयुक्त होने वाली 'जेली' बनाने वाली फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ख) वर्ष 1968-69 में इन फर्मों का कुल कितना उत्पादन था ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). भेषजीय कैपस्युलों में प्रयुक्त होने वाली जैली खाद्यमान जिलेटिन है जो सम्प्रति देश में नहीं बनाई जा रही है। आइसक्रीम तैयार करने में प्रायः जैली का प्रयोग नहीं किया जाता है।

नागपुर में छोटी कार परियोजना

8021. **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :
श्री द० रा० परमार :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में छोटी कार बनाने का कारखाना स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है तथा अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). देश में छोटी कारें बनाने की प्रायोजना की स्थापना का प्रस्ताव कुछ दिनों से सरकार के विचाराधीन है किन्तु इस विषय में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। यह प्रायोजना कहां स्थापित की जायेगी इस पर भी अभी विचार नहीं किया गया हैं। इस योजना को नागपुर में स्थापित करने के लिये महाराष्ट्र सरकार का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि छोटी कार योजना के प्रारम्भ करने का निर्णय हो जाने के उपरान्त अन्य राज्यों के अभ्यावेदनों के साथ उनके अभ्यावेदन पर भी विचार किया जायेगा।

संयुक्त सलाहकार समिति

8022. **श्री चन्द्रिका प्रसाद**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त सलाहकार समिति में रेलवे द्वारा नामनिर्देशित प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ;

(ख) उन्हें नामनिर्देशित करने के लिये क्या आधार अपनाया गया था ;

(ग) क्या संयुक्त सलाहकार समिति विभिन्न वर्गों के लिये संस्थाओं (केटेगोरिकल एसोसिएशन्स) के प्रतिनिधि भी लिये जाते हैं ;

(घ) यदि हां, तो इन सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद में रेलवे की ओर से नामित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक सूची संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 950/69]

(ख) से (ङ). संयुक्त परामर्श तंत्र योजना के उपबन्धों के अनुसार किसी श्रेणी के कर्मचारी केवल अपनी ऐसी संस्था/यूनियन के माध्यम से किसी संयुक्त परिषद पर प्रतिनिधित्व पा सकते हैं, जिसे इस प्रयोजन के लिये विधिवत मान्यता प्रदान की गयी हो। चूंकि कोटिवार एसोसिएशनों को मान्यता नहीं मिली है, इसलिये संयुक्त परामर्श तंत्र में उनके प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं उठता।

रेलवे के विभिन्न वर्गों के लिये संस्थायें (केटेगोरिकल एसोसिएशन्स)

8023. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में विभिन्न वर्गों के लिये कुछ संस्थाएं कार्य कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं के क्या नाम हैं ;

(ग) क्या इन संस्थाओं को रेलवे द्वारा मान्यता दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इन संस्थाओं को मान्यता न दी जाने के कारणों का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इन संस्थाओं की पूरी सूची सरकार के पास नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) दो दशकों से रेलों पर जो नियम लागू हैं उनके अनुसार ऐसी संस्थाएं जो केवल एक श्रेणी या सीमित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, मान्यता पाने की पात्र नहीं हैं ।

Report of Enquiry Conducted in respect of Companies

*8024. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the action taken on the detailed report, if rceived, of enquiry ordered under the Companies Act, 1956 in respect of :

(i) Ashok Marketing Limited ;

(ii) New Central Jute Mills Ltd. ;

(iii) Rohtas Industries Ltd. ;

(iv) M/s. Sahu-Jain Ltd. ; and

(v) Asia Industries Ltd.

(b) if not received, when it would be ready ; and

(c) the action taken on the Interim Report prepared by Government in respect of Bagalkot Cement Company Ltd. ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). The position in respect of the following four companies is as under :—

(i) Ashok Marketing Ltd. ;

(ii) New Central Jute Mills Ltd. ;

(iii) Rohtas Industries Ltd. ;

(iv) M/s. Sahu-Jain Ltd.

Investigation under section 237 (b) of the Companies Act, 1956 was ordered in respect of Ashoka Marketing Limited, New Central Jute Mills Company Limited, Rohtas Industries Limited and Sahu-Jain Limited, on 11th April, 1963. In respect of Ashoka Marketing Limited, an investigation under section 249 also of the Companies Act, 1956 was ordered.

2. The investigation could not be concluded as these companies filed writ petitions challenging the orders of investigation and were able to obtain stay orders from the High Courts of Calcutta and Patna. The single Bench of the Calcutta High Court dismissed the writ petitions filed by New Central Jute Mills Company Limited and Ashoka Marketing Limited and

upheld the orders of investigation under section 237 (b) but quashed the order of investigation under section 249 relating to Ashoka Marketing Limited. These two companies preferred appeals before the Division Bench of The Calcutta High Court. The Division Bench delivered its judgement on 7th March, 1969 in favour of the companies thus quashing the investigation orders. The Patna High Court dismissed the writ petitions filed by Rohtas Industries Limited but the Supreme Court in its judgement dated 16th December, 1968 decided in favour of the company and the order of investigation has been quashed.

3. As regards Sahu-Jain Limited, the order of investigation was quashed by the Single Bench of Calcutta High Court and the Government preferred an appeal before the Division Bench. The Division Bench dismissed the appeal in its judgement delivered on 18th February, 1969. In consultation with the Law Ministry it has been decided not to prefer an appeal to the Supreme Court.

4. There is no company by the name of Asia Industries Ltd. in respect of which an investigation was ordered. However if the reference is to Asia Udyog Limited in respect of which an investigation was ordered under section 235 (c) of the Companies Act, 1956 on 19-4-1963, the investigation is still in progress and the Inspectors have been granted extension of time upto 30th June, 1969 to submit their report.

(c) Bagalkot Cement Company Limited.

A petition under section 388-B and 388-D of the Companies Act, 1956 is pending in the Bombay High Court.

यात्री, पार्सल तथा माल यातायात

8025. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे में, अलग-अलग वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 की अवधि से प्रत्येक रेलवे द्वारा ढोये गये यात्री, पार्सल तथा माल यातायात के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक रेलवे में 1 दिसम्बर, 1966, 1 दिसम्बर, 1967 तथा 1 दिसम्बर, 1968 को रेलवे द्वारा नियुक्त कमर्शियल क्लर्कों की संख्या कितनी-कितनी थी ;

(ग) उपयुक्त भाग (क) में उल्लिखित अवधि में रेलवे के यातायात के आंकड़ों में अन्तर कितना है ;

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित अवधि में रेलवे के कमर्शियल क्लर्कों की संख्या में अन्तर कितना-कितना है ; और

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अन्तर के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ग). 1966-67 और 1967-68 में सरकारी रेलों पर प्रारम्भिक यात्रियों की संख्या और माल यातायात के मीटरिक टन, 1966-67

की तुलना में 1967-68 में अन्तर सहित, नीचे दिये गये हैं। 1968-69 के आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं।

(हजार में)

प्रारम्भिक यात्री (संख्या)	1966-67	1967-68	1966-67 की तुलना में 1967-68 में अन्तर
मध्य रेलवे*	467,715	470,337	2,622
पूर्व रेलवे	321,171	323,685	2,514
उत्तर रेलवे	219,854	236,395	16,541
पूर्वोत्तर रेलवे	131,150	135,976	4,826
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	46,753	47,394	641
दक्षिण रेलवे*	275,679	236,995	—38,684
दक्षिण-मध्य रेलवे*	50,438	111,752	61,314
दक्षिण-पूर्व रेलवे	104,385	107,137	2,752
पश्चिम रेलवे	574,365	587,679	13,314
जोड़—सरकारी रेलें	2,191,510	2,257,350	65,840
प्रारम्भिक मीटरिक टन			
मध्य रेलवे*	21,850	16,550	—5,300
पूर्व रेलवे	53,100	51,075	—2,025
उत्तर रेलवे	14,419	13,414	—1,005
पूर्वोत्तर रेलवे	7,813	6,086	—1,727
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5,439	5,714	275
दक्षिण रेलवे*	16,376	13,478	—2,898
दक्षिण मध्य रेलवे*	5,859	11,412	5,553
दक्षिण-पूर्व रेलवे	55,526	57,944	2,418
पश्चिम रेलवे	21,225	20,906	—319
जोड़—सरकारी रेलें	201,607	196,579	—5,028

*मध्य रेलवे और दक्षिण रेलवे के कुछ खण्ड का अन्तरण करके 2-10-1966 को दक्षिण मध्य रेलवे बनायी गयी थी। 1966-67 के लिये दक्षिण मध्य रेलवे के सामने दिखाये गये आंकड़े अक्तूबर, 1966 से मार्च, 1967 तक की अवधि के हैं। अप्रैल, सितम्बर, 1967 की अवधि में दक्षिण मध्य रेलवे के इन खण्डों पर ढोये गये यातायात के आंकड़े अविभाजित मध्य और दक्षिण रेलों के सम्बन्धित भागों में शामिल हैं।

रेलों पर ढोये जाने वाले पार्सल यातायात की मात्रा के आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) और (घ). प्रतिवर्ष पहली अप्रैल को वाणिज्यिक क्लर्कों की संख्या नीचे दी गयी है। पहली दिसम्बर को उनकी संख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

रेलवे	पहली अप्रैल को वाणिज्यिक क्लर्कों की संख्या			1966 की तुलना में 1967 में अन्तर	1967 की तुलना में 1968 में अन्तर
	1966	1967	1968		
मध्य रेलवे	5,128	5,223	4,967	+ 95	—256
पूर्व रेलवे	5,147	5,177	5,148	+ 30	— 29
उत्तर	5,627	5,666	5,694	+ 39	+ 28
पूर्वोत्तर	2,013	2,110	2,115	+ 97	+ 5
पूर्वोत्तर सीमा	2,085	2,063	1,981	— 22	— 82
दक्षिण	4,474	4,378	4,336	— 96	— 42
दक्षिण-मध्य	2,245	2,227	2,242	— 18	+ 15
दक्षिण-पूर्व	2,891	2,913	2,901	+ 22	— 12
पश्चिम	5,472	5,539	5,530	+ 67	— 9
जोड़	35,082	35,296	34,914	+214	—382

(ङ) यात्री यातायात में वृद्धि 1966-67 की तुलना में 1967-68 में थोड़ी सी है दक्षिण रेलवे में स्पष्ट कमी का कारण यह है कि इस रेलवे के कुछ खण्ड, मध्य रेलवे के कुछ खण्डों सहित 2-10-1966 से दक्षिण मध्य रेलवे में अंतरित कर दिये गये थे।

माल यातायात में 1966-67 की तुलना में 1967-68 में कमी मुख्यतः औद्योगिक गतिविधियों में मन्दी, सूखा और फसल के मारे जाने के कारण कम कृषि उत्पादन और कुछ हद तक बढ़ती हुई सड़क प्रतियोगिता के कारण हुई।

इन वर्षों में वाणिज्यिक क्लर्कों की संख्या में कुछ रेलों पर वृद्धि हुई और कुछ दूसरी रेलों पर कमी हुई। फिर भी अन्तर बहुत अधिक नहीं रहा। ये परिवर्तन रेलों द्वारा सम्हाले जाने वाले काम की मात्रा में कमी-बढ़ती के साथ-साथ मितव्ययता की दृष्टि से कर्मचारियों की आवश्यकता के लिये की गई समीक्षा के कारण जरूरी थे।

Development of Stations of Kota Division (Western Rly.)

8026. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the details regarding the provision made for development, improvement and construction of various stations of Kota Division on the Western Railway for the year 1969-70;

(b) the time and the cost involved in the said schemes;

(c) whether the scheme of constructing an overbridge at Sawai Madhopur Junction has also been included in the said schemes;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-951/69]**

(b) (i) All these works are anticipated to be completed by 31-12-1970.

(ii) Cost of schemes in progress is Rs. 4.68 lakhs and that of new schemes including in 1969-70 is Rs. 1.97 lakhs.

(c) No.

(d) Does not arise.

(e) Under the extant rules, proposal for construction of road over/under bridges in replacement of existing busy level crossings are required to be sponsored by the State Government indicating the relevant priority and the year in which they would be able to provide funds towards Road Authority's share of the cost. The Government of Rajasthan have not proposed inclusion of this work during 1969-70.

Development of Gangapur City Station

8027. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the details of the scheme regarding development and construction of Gangapur City Railway Station of Kota Division on the Western Railways for the year 1969-70 ;

(b) the details regarding various developmental works ;

(c) the details regarding the arrangements to be made for extension of Railway line at the said station in 1969-70 and the cost involved therein ;

(d) whether it is a fact that the development of this station is far behind as compared to other stations ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No scheme for development of Gangapur City station of Kota Division has been included in the Railway's Works Programme for 1969-70.

(b) Does not arise.

(c) There is no proposal for extension of railway lines at Gangapur City station.

(d) No.

(e) Does not arise.

Development of Sawai Madhopur Station

8028. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the details regarding the scheme submitted for development, construction and improvement of Sawai Madhopur Junction of Kota Division on the Western Railway for the year 1969-70;

(b) the cost involved in various developmental works ;

(c) whether the scheme of constructing an over-bridge at the said junction has also been included in the aforesaid Scheme ;

(d) if so, the details thereof and the cost involved therein ;

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). The following two works have been included in 1969-70 Works Programme for improvement of Sawai Madhopur Jn.

	Estimated cost Rs.
(i) Provision of 6 seated flush type latrines and 2 urinals	10,000/-
(ii) Converting existing pan type latrines into flush type at M. G. passenger platform	3,000/-

(c) No.

(d) Does not arise

(e) Under the extant rules, proposals for construction of road over/under bridges in replacement of existing busy level crossings are required to be sponsored by the State Government indicating the relevant priority and the year in which they would be able to provide funds towards Road Authority's share of the cost. The Government of Rajasthan have not proposed inclusion of this work during 1969-70.

Catering Stalls at Stations on Western Railway

3029. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of catering stalls at various stations on the Western Railway ;

(b) the number of those stalls out of them whose owners belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately ;

(c) the names of the owners of the catering stalls at various stations of Kota Division and caste of each of them ;

(d) whether it is a fact that preference is not given to the people of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the allotment of stalls ;

(e) if so, the reasons therefor ; and

(f) the time by which the time limit of the stalls of the said Division is going to expire and when stalls would be re-allotted ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(c) A statement giving names of contractors for catering stalls (which term excludes vending trollies and tea tables) at different stations on Kota Division, giving also the date of currency of the contract, is attached. **[Placed in Library. See. No. LT-952/69]** Particulars about the Caste of the contractors are not available but an indication has been given about those who belong to Scheduled Castes.

(d) Preference in accordance with laid down criteria is given.

(e) Does not arise.

(f) The duration of the present contracts has been given in the statement in reply to part (c). The contracts will be renewed from the dates of their expiry subject to service of the contractors being satisfactory.

दक्षिण-पूर्व रेलवे में कमजोर दृष्टि वाले 100 परिवहन कर्मचारियों को वाणिज्यिक श्रेणी में नौकरी देना

8031. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में विजयवाड़ा डिवीजन में कमजोर दृष्टि वाले लगभग 100 परिवहन कर्मचारियों को 205-280 रुपये तथा 250-380 रुपये के वेतन-क्रमों में वाणिज्यिक लिपिकों की श्रेणी में नौकरी पर नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्गवाह्य किये इन कर्मचारियों को स्थान देने के लिये इन वेतनमानों में काम करने वाले वाणिज्यिक लिपिकों को पदावनत किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो वर्ष 1967 और 1968 में वाणिज्यिक श्रेणी में 205-280 रुपये तथा 250-380 रुपये के वेतनक्रमों में कितने स्टेशन मास्टर तथा सहायक स्टेशन मास्टर नियुक्त किये गये हैं ;

(ङ) क्या इस बारे में सरकार को अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लिपिक संस्था की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(च) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे में श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों का स्थायी किया जाना

8032. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व, उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे में श्रेणी तीन और चार के कितने कर्मचारी स्थायी हैं और कितने अस्थायी तथा प्रत्येक अस्थायी कर्मचारी को 31 मार्च, 1969 तक नौकरी करते हुए कितनी अवधि हो गई थी;

(ख) अस्थायी कर्मचारियों को अपने वर्तमान ग्रेडों में अब तक स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अस्थायी कर्मचारियों से उन्हें स्थायी किये जाने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केबल और टेलीफोन तार कारखाने

8033. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केबल तथा टेलीफोन तार के कारखानों में इस समय केवल 50 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि केबल का आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देशी उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). मंदी और उसके परिणामस्वरूप विद्युत् बोर्ड और बड़े उपभोक्ताओं द्वारा मांग में कमी के कारण केबल शक्ति उत्पाद इकाई की कुछ क्षमता बेकार जा रही है, यह सच है। फिर भी यह कहना कि 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता बेकार जा रही है ठीक नहीं है, कुछ विशेष प्रकार के टेलीफोन के तारों का देश में आयात किया जा रहा है किन्तु देश में विद्युत केबलों का आयात नहीं किया गया है। दूसरी ओर पावर केबलों और घरेलू काम में आने वाले तारों का 6.50 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात किया गया।

केबल उद्योग को प्राथमिक उद्योग समझा गया है, और उत्पादकों को अधिकतम उत्पादन बढ़ाने के लिये कच्चे माल के आयात की सभी सुविधायें प्रदान की गयी हैं। केबल उत्पादकों को, टेलीफोन केबलों को छोड़कर 25 प्रतिशत क्षमता तक किसी भी प्रकार के केबल और तार जिनमें ए० पी० एस० आर० कन्डक्टर भी सम्मिलित हैं के उत्पादन में विविधता लाने की भी अनुमति दे दी गई है।

पिपरी डीह रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट छुरेबाजी

8034. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 अप्रैल, 1969 को पिपरी डीह रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट चार व्यक्तियों की, उन्हें चलती रेलगाड़ी से बाहर फैंके जाने के बाद छुरा मार कर हत्या कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) मऊ जकंशन टाउन में साम्प्रदायिक उपद्रव के परिणामस्वरूप 2-4-1969 को पिपरी डीह स्टेशन यार्ड में, 73 अप सवारी गाड़ी के रवाना होने के तुरन्त बाद दो लाशें मिली थीं। इसके बाद दो और लाशें मऊ जकंशन और पिपरी-डीह रेलवे स्टेशन के बीच मिलीं।

(ख) इस सम्बन्ध में मऊ जंकशन की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया था, जिसकी छान-बीन उत्तर प्रदेश राज्य गुप्तचर विभाग कर रहा है।

दिन और रात की सभी गाड़ियों के साथ सरकारी रेलवे पुलिस के सशस्त्र दल रहते हैं। इस क्षेत्र में संरक्षण उपायों को और भी कड़ा कर दिया गया है।

रेल इंजनों में 'गेजेट' का लगाया जाना

8035. **श्री तुलसीदास दासप्पा :**

श्री वी० नरसिम्हा राव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रेलवे इंजीनियर ने 'गेजेट' पुर्जे का आविष्कार किया है जिससे चालक के सो जाने की स्थिति में चलती रेलगाड़ी रुक जाती है;

(ख) यदि हां, नो क्या यह पुर्जा सब इंजनों में लगाये जाने का विचार है; और

(ग) इस पुर्जे की अनुमानित लागत कितनी है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यदि परीक्षण सफल हुआ तो इस सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

(ग) प्रति सेट की अनुमानित लागत लगभग 3500 रुपये है।

शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिये अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र

8036. **श्री तुलसीदास दासप्पा :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा आयोग ने सरकार को प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में विचार व्यक्त किया है कि शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के विभिन्न वर्गों की अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं उपेक्षित हैं; और

(ख) यदि हां, तो और प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने तथा वर्तमान संस्थाओं में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की वर्तमान सुविधाओं को अपर्याप्त समझा है और सिफारिश की है कि इस पहलू पर अधिक बल दिया जाए।

(ख) नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण के 3 केन्द्रों को भारत सरकार धन देती है। चौथा केन्द्र चालू वित्तीय वर्ष में काम करना शुरू कर देगा। सामान्य परीक्षाएं लेने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई है। बहरे व्यक्तियों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी देश में कई केन्द्र हैं। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण पर चतुर्थ योजना में और अधिक ध्यान दिए जाने की सम्भावना है।

Manufacture of Automobile

8037. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any proposal that the condition that permission of Central or State Government should be obtained compulsorily for establishing factories for manufacture of motor cycle, scooter, agricultural implements, motors and small cars in the country should be abolished ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No such proposal has been received by Government.

(b) Does not arise.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और लक्समबर्ग के टोर-इसटेग स्टील कारपोरेशन के बीच समझौता

8039. **श्री धी० ना० देव :**
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दे० अमात :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और लक्समबर्ग के टोर-इसटेग स्टील कारपोरेशन के बीच टिफलेड टोर स्टील के उत्पादन के बारे में कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उसी तरह के इस्पात के उत्पादन के सम्बन्ध में उस फर्म का कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास से कुछ देशी निर्माताओं के साथ पहले ही समझौता है;

(घ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने 31 मार्च, 1969 तक ऐसे इस्पात का कुल कितना उत्पादन किया है;

(ङ) जनवरी 1969 से मार्च, 1969 तक की अवधि में गैर-सरकारी फर्मों ने टोर स्टील का कुल कितना उत्पादन किया है; और

(च) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और गैर-सरकारी फर्मों ने इस किस्म के इस्पात का निर्यात करके कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, हां, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में कोल्ड टविस्टेड रिब्ड स्टील बार का उत्पादन करने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने टार-इस्टेग के साथ एक करार किया है इस

करार के अन्तर्गत टार-इस्टेग छड़ों के कोल्ड-टविस्टिग के लिए मशीनें और तकनीकी जानकारी देंगे और उनको स्वामित्व दिया जाएगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) मार्च 1969 के अन्त तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखानों में कुल 3360 टन टार स्टील तैयार हुआ था (2176 टन भिलाई में और 1184 टन दुर्गापुर में)

(ङ) गैर-सरकारी फर्मों के उत्पादन की मात्रा के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(च) अभी तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने इस प्रकार के इस्पात का निर्यात नहीं किया है । गैर-सरकारी फर्मों ने जनवरी-मार्च 1969 की अवधि में 8.12 लाख रुपये के मूल्य का तार-स्टील निर्यात किया है ।

नई दिल्ली में उत्तर रेलवे के डिवीजनल लेखा कार्यालय में ग्रेड 1 के लेखा-क्लर्क के विरुद्ध आरोप

8040 **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री 23 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8326 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में डिवीजनल लेखा कार्यालय के ग्रेड 1 के उक्त क्लर्क को, जिसके विरुद्ध विशेष पुलिस संस्थान ने आरोप लगाये थे, अब आरोप-पत्र दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की अब क्या स्थिति है; और

(ग) इस मामले का फैसला करने में प्रशासन को सम्भवत: कितना समय लगेगा;

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) कार्रवाई को जल्द पूरा करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

Enquiry into the Affairs of British India Corporation Group

8041. **Shri Shashi Bhushan:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the enquiry made into the affairs of the British India Corporation Group had revealed the prospects that Government would take over the whole group but actually Government took over the Cooper Allen Company which was running in loss ;

(b) whether it is also a fact that some traders have made a suggestion that the Cooper Allen Company be run on a contract basis ; and

(c) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No, Sir. Government's decision to take over the Cooper Allen and

the North West Tannery units of the British India Corporation Ltd., Kanpur, is independent of the enquiry into the affairs of the Corporation, which is still in progress.

(b) No, Sir, not to our knowledge.

(c) Does not arise.

गांधी शताब्दी समारोहों में रियायती दरों पर टिकटें जारी करना

8042. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे शताब्दी वर्ष में जारी किये गये सर्व मार्ग टिकट की तरह गांधी जन्म शताब्दी समारोह पर भी रियायती दरों पर टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे इन टिकटों को कब तक जारी करना आरम्भ कर देगी और उनका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). गांधी शताब्दी समारोह के अवसर पर, रेलवे शताब्दी वर्ष में जारी किये गये 'जैसे चाहो यात्रा करो' टिकटों की तरह के टिकट जारी करने का कोई विचार नहीं है । लेकिन 1-1-69 से लेकर 30-9-69 तक, रियायती परिभ्रमण टिकट जारी किये जा रहे हैं, जिनसे गांधी जी के जीवन से सम्बन्धित 30 स्थानों की यात्रा की जा सकती है । ये टिकट यात्रा शुरू करने की तारीख से 90 दिन तक वैध हैं । इसी अवधि, अर्थात 1-1-69 से 30-9-69 तक, के लिए पोरबन्दर से कम से कम 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित स्टेशनों से डेढ़ इकहरे किराये पर पोरबंदर के लिए वापसी टिकट भी जारी किये जा रहे हैं ।

बम्बई में वायदा व्यापार में लगे व्यापार गृहों में छापे

8043. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायदा व्यापार और तेजी मंडी व्यापार करने वाले 4 व्यापार गृहों में छापे मारे जाने के परिणामस्वरूप 7 अप्रैल, 1969 को बम्बई में 56 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए थे;

(ख) क्या इन छापों के दौरान अपराधारोपक दस्तावेज बरामद हुये थे; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चार व्यापार गृहों पर छापे के फलस्वरूप 56 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

(ख) और (ग). बम्बई पुलिस ने छापे मारे थे और कुछ दस्तावेज जिनमें खाता, रोकड़ तथा सौदा नन्ध, सौदे के फार्म, डायरियां, खुले कागज फाइलें, बिल बुक इत्यादि कब्जे में लिये थे। इन मामलों की जांच के समय इन दस्तावेजों की जांच की जायेगी ।

पत्तन न्यास रेलवे का कार्यभार सम्भालना

8044. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अब तक पत्तन न्यास रेलवे का कार्यभार न सम्भाल लिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इनका कार्यभार सम्भालने का विचार है; और यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पोर्ट ट्रस्ट रेलें सम्बन्धित पोर्ट ट्रस्टों के नियंत्रण में हैं क्योंकि इन रेलों के संचालन का जहाजरानी के काम से घनिष्ट सम्बन्ध है और यह काम पोर्ट ट्रस्टों के चार्ज में है।

(ख) इन रेलों को पोर्ट ट्रस्टों से ले लेने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

ए० ई० आई० (इण्डिया) के अंशधारियों द्वारा ज्ञापन

8045. **श्री स० कुण्डू** :
श्री प० मु० सईद :
श्री वीरभद्र सिंह :
श्री एस० कण्डप्पन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० रानेन सेन :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ए० ई० आई० (इण्डिया) लिमिटेड के अंशधारियों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें जी० ई० सी० (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं और अवैधताओं के बारे में शिकायत की गई है ;

(ख) क्या जी० ई० सी (इण्डिया) लिमिटेड ने विलय की कानूनी कार्यवाही किये बिना ही ए० ई० आई० (इण्डिया) से नियंत्रक अंश प्राप्त कर लिये हैं;

(ग) क्या जी० ई० सी० ने पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है ; और

(घ) सरकार उक्त ज्ञापन में लगाये गये आरोपों के बारे में जांच करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारतीय कर्मचारी बर्खास्त न किये जायें, क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या जी० ई० सी० (इण्डिया) लिमिटेड ने विलय की विधिवत प्रक्रिया के बिना ही ए० ई० आई० के नियंत्रक अंश प्राप्त कर

लिये हैं। सरकार को समवाय अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) सरकार को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि क्या जी० ई० सी० ने पश्चिमी बंगाल के उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अनेक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है।

(घ) मामले की जांच की जा रही है।

रेलवे के फालतू बिजली कर्मचारियों को अन्य परियोजनाओं पर लगाना

8046. **श्री गणेश घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार रेलवे के फालतू बिजली कर्मचारियों को अन्य नई परियोजनाओं में उसी वेतन तथा संवर्ग में लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्कुलर रेलवे जैसी अन्य नई परियोजनाओं में ऐसे कर्मचारियों को लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति ने अपनी 17 वीं रिपोर्ट में जो सुझाव दिया था, वह सरकार के विचाराधीन है।

रेलवे के महाप्रबन्धकों को सेवा-निवृत्ति-पूर्व छुट्टी देने से इन्कार

8047. **श्री गणेश घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में जिन महा प्रबन्धकों को गत 10 वर्षों में सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी देने से इन्कार किया गया था उनके नाम क्या हैं ;

(ख) भारतीय रेलवे में जिन महा प्रबन्धकों को गत 10 वर्षों में सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी देने से इन्कार नहीं किया गया उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या विशेष कारण थे ?

रेलवे मंत्री (डा० सुभग सिंह) :

(क) 1. श्री बी० अरोड़ा
2. श्री आर० बी० लाल
3. श्री के० रामचन्द्रन
4. श्री एम० के० कौल
5. श्री बी० बी० माथुर
6. श्री डी० आर० खन्ना
7. श्री एस० एन० बध्वा

8. श्री पी० एच० संरमा
9. श्री एस० एस० रामसुब्बन
10. श्री एच० डी० सिंह
11. श्री वाई० पी० कुलकर्णी
12. श्री रतन लाल
13. श्री पी० एस० वेंकटारमन
14. श्री के० के० मुखर्जी
15. श्री ओ० एस० मूर्ति

(ख) 1. श्री एस० चक्रवर्ती
2. श्री डी० वी० रेड्डी
3. श्री पी० एन० मूर्ति
4. श्री डी० एन चोपड़ा
5. श्री आई० हैदरी
6. श्री ई० जी० कोटीश्वरन

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर में दी गयी सूची के अधिकारियों में से प्रत्येक क मामले का निर्णय जन-हित को देखते हुए, गुण-दोष के आधार पर किया गया।

रेलवे विद्युतीकरण में नैमित्तिक मजदूरों को बर्खास्त करना

8048. **श्री गणेश घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विद्युतीकरण में काफी नैमित्तिक मजदूरों को 19 सितम्बर, 968 की हड़ताल के सम्बन्ध में निकाल दिया गया है ;

(ख) क्या रेलवे में नैमित्तिक मजदूरों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के रूप में माना ाता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सम्बन्ध में जारी किया गया अध्यादेश रेलवे के नैमित्तिक कर्मचारियों पर भी लागू होता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें वापस सेवा में लेने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) हड़ताल में भाग लेने के बाद केवल 224 मित्तिक मजदूर नौकरी से हटाये गये।

(ख) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के निमित्त उन्हें रेल कर्मचारी माना जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) रेलों को इस आशय के अनुदेश जारी किये गये हैं कि 19-9-68 को जिन नैमित्तिक जदूरों का हड़ताल में भाग लेना केवल काम पर अनुपस्थित रहने तक सीमित था, उन्हें काम पर

वापिस लिया जा सकता है बशर्ते उनके विरुद्ध कोई दूसरे गम्भीर आरोप न हों और उनको फिर काम पर लगाने में कोई जोखिम न हो और किसी तरह की क्षति, तोड़ फोड़ आदि का खतरा न हो ।

रेलवे कर्मचारियों के भरती सम्बन्धी नियम का उल्लंघन

8049. **श्री गणेश घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में ऐसा कोई नियम है कि केवल स्थायी रेलवे संगठन ही रेलवे सेवा आयोग के माध्यम से कर्मचारियों को भरती कर सकते हैं ; और

(ख) क्या इस नियम का कोई उल्लंघन हुआ है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) ऐसा कोई नियम नहीं है । सम्भवतः प्रश्न का आशय रेलों से भिन्न परियोजनाओं से है । नियमों के अनुसार रेलों के तीसरे दज में सीधी भर्ती चाहे वह किसी रेलवे में हो या किसी परियोजना में, रेलवे सेवा आयोग (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मामले में विशेष भर्त्ती समिति) के माध्यम से की जानी चाहिये, जब तक कि रेलवे बोर्ड द्वारा किसी अन्य प्रकार से सीधी भर्ती के लिए विशेष रूप से अधिकार न दिया गया हो । रेलवे बोर्ड ने कुछ मौकों पर तत्कालिक परिस्थितियों के अनुसार किसी रेलवे या परियोजना में स्थानीय रूप से भर्ती करने के लिये विशेष अधिकार दिया है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

दिल्ली में शराब की दुकानें खोलना

8050. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में शराब की दुकानों को खोलते समय उनके आस-पास के क्षेत्रों को ध्यान में नहीं रखा जाता है जिस कारण स्कूलों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के निकट ऐसी दुकानें खुल गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Wine Shop on Pusa Road, Delhi

8051. **Shri Ram Autar Sharma :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that a wine shop has been opened near a school which is located on the Pusa Road in Delhi ;

(b) whether Government are aware of the fact that this school is a co-educational school ; and

(c) if so, the efforts being made by Government to remove this shop ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Considering location of the School, the question of the removal of the wine shop is under active consideration of Delhi Administration.

बिहार में छोटा नागपुर और संथाल परगना के आदिवासी लोग

8052. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में कितने क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं ;

(ख) बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के अन्तर्गत अब तक आदिवासी लोगों को कितनी भूमि वापिस दे दी गई है ; और

(ग) क्या उपर्युक्त विनियम को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से आदिवासी लोगों को उनकी भूमि के अवैध हस्तांतरण के विरुद्ध मुकदमें दायर करने के लिये निःशुल्क कानूनी सलाह दिलाने का सरकार का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) सारे क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गये प्राक्कलन उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता, रांची जिले में दुरभिसंधिपूर्ण हक वादों के निम्नलिखित आंकड़ों से भूमि अन्य संक्रामण सम्बन्धी रुख का पता चलता है :

वर्ष	डिगरी किये गये वादों की संख्या
1964	499
1965	930
1966	645
1967	1291

(ख) ये विनियम 8 फरवरी, 1969 से प्रवृत्त हुए थे तथा क्लेक्टरों की अदालतों

में अभी भी याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। अभी परिणामों को आंकने का समय नहीं आया है।

(ग) राजस्व दावों में जहां पक्षों द्वारा वकील नहीं रखे जाते हैं, कानूनी सहायता आवश्यक नहीं है। जहां कहीं आवश्यक हो 'कानूनी सहायता' की वर्तमान योजना के अधीन सहायता दी जा सकती है।

प्रवर वेतनमान वाले अधिकारियों से सम्बद्ध स्टेनो

8053. **श्री विद्याधर बाजपेयी :**

श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने अपने अप्रैल, 1965 के पत्र में यह स्वीकार कर लिया था कि प्रवर वेतनमान वाले अधिकारियों से सम्बद्ध स्टेनों का वेतनमान 210-425 होना चाहिए न कि 130-300 ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दूसरे वेतन आयोग ने यह निर्धारित किया था कि स्टेनों का वेतन मान अधिकारी की पद-स्थिति के अनुसार होना चाहिए न कि उस कार्यालय के अनुसार जहां कि वह कार्य कर रहा हो ; और

(ग) यदि हां, तो प्रवर वेतनमान वाले अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासक, अन्त: प्रशासक, वरिष्ठ प्रशासक और डिवीजनल अधीक्षक से सम्बद्ध स्टेनो के वेतनमान में भेद न करने के क्या कारण हैं जब कि प्रत्येक अधिकारी की पद-स्थिति बिल्कुल अलग-अलग है और इस निराशा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क)से(ग). जी हां। वेतन आयोग ने यह व्यवस्था कर रक्खी है कि स्टेनोग्राफरों का वेतनमान कार्यालयों के महत्व के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसका सम्बन्ध उनके कार्य तथा उनकी जिम्मेवारियों से होना चाहिए। जो यद्यपि सभी मामलों में नहीं, लेकिन सामान्यतया उस अधिकारी के ओहदे पर निर्भर है, जिससे स्टेनोग्राफर सम्बद्ध रहता है। वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों से कम ओहदे वाले अधिकारियों से सम्बद्ध स्टेनोग्राफरों का वेतनमान 130-300 रुपये है और वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों से तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों से सम्बद्ध स्टेनोग्राफरों का वेतनमान 210-425 रुपए है। महाप्रबन्धकों से सम्बद्ध स्टेनोग्राफरों में से एक स्टेनोग्राफर 380-530 रुपए के उच्चतर वेतन-मान में है। महाप्रबन्धकों और विभाग अध्यक्षों से सम्बद्ध स्टेनोग्राफर 50 रुपये प्रतिमाह विशेष वेतन पाते हैं और मण्डल अधीक्षकों से सम्बद्ध स्टेनोग्राफरों को 30 रुपये प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जाता है। वरिष्ठ वेतनमान के ओहदे से ऊपर के कुछ अधिकारियों से सम्बद्ध स्टेनोग्राफरों को भी, उनके काम के स्वरूप तथा उनकी जिम्मेवारियों के आधार पर 30 रुपये प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जाता है।

रेलवे में स्टेनोग्राफर

8054. **श्री विद्याधर बाजपेयी :**

श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में 210-425 के वेतनमान में कार्य कर रहे बहुत से स्टेनोग्राफर वेतन की अधिकतम सीमा तक पहुंच गये हैं और वहीं रुके हुए हैं ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने 13 अक्तूबर, 1966 को रेलवे प्रशासन के महाप्रबन्धकों को पत्र लिखकर यह सूचित किया था कि रेलवे स्टेनोग्राफरों के पदोन्नति के अवसर बढ़ाना वांछनीय है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का स्टेनोग्राफरों के वेतन तथा सेवा शर्तों में किस प्रकार सुधार करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । यह पत्र इस विषय में केवल कुछ जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजन से लिखा गया था । आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गयी ।

(ग) स्टेनोग्राफरों सहित तीसरी श्रेणी की कोटियों के जो कर्मचारी कुछ समय से अपने वेतनमान के अधिकतम पर हैं, उन्हें कुछ राहत देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और आशा है इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उत्पादन लक्ष्य

8055. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने वर्ष 1969-70 के लिये अपनी निर्माण तथा विक्रय की योजनाओं में परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो परिवर्तित योजना में निर्माण का लक्ष्य क्या रखा गया है और उसकी अन्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) 1969-70 में कम्पनी के कहां तक लाभदायक उपक्रम होने की सम्भावना है ;

(घ) कम्पनी के उत्पादों का उत्पादवार, निर्यात लक्ष्य क्या रखा गया है ; और

(ङ) क्या इस्पात की छड़ों का निर्यात करने का विचार है और यदि हां, तो 1969-70 में कितना निर्यात किया जायेगा और देश की आंतरिक आवश्यकताएं पूरी करने के बाद निर्यात करना कहां तक सम्भव होगा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशक मण्डल ने वर्ष 1969-70 के लिये उत्पादन और विक्रय कार्यक्रम निश्चित कर लिया है। उत्पादन कार्यक्रम में 11 लाख टन कच्चा लोहा, 35.4 लाख टन विक्रय इस्पात, 45,000 टन तैयार मिश्र इस्पात और 4,00,000 टन कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन का लक्ष्य रक्खा गया है। इसकी तुलना में वर्ष 1968-69 में विक्रय कच्चे लोहे का 11 लाख टन, विक्रय इस्पात का 26 लाख टन, तैयार मिश्र इस्पात का 24,000 टन और कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट का 2,36,000 टन उत्पादन था। मौजूदा लागत और मूल्यों के आधार पर ऐसी आशा है कि इस साल के अधिक उत्पादन से कम्पनी के कार्य-परिणाम में काफी सुधार होगा।

(घ) उत्पाद आधार पर 1969-70 के लिये निर्यात लक्ष्य शीघ्र ही तय किये जायेंगे।

(ङ) आन्तरिक मांग की पूर्ति के बाद निर्यात के लिये इस्पात पिण्ड मिल सकेगा या नहीं इस पर अभी विचार किया जा रहा है।

मशीनी औजार उद्योग के बारे में कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

8056. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीनी औजार उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में भारी औजारों की अनुमानतः कितनी मांग होगी और इस उद्योग में निर्माण का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है और कितनी अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जायेगी, जो कार्यकारी दल द्वारा आंकी गई है ;

(ग) इस कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस उद्योग की कितनी-कितनी अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ताकि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निरन्तर मन्दी की स्थिति को रोका जा सके ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की तैयारी के सम्बन्ध में मशीनी औजारों के कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन मशीनी उद्योगों के योजना दल को जुलाई, 1968 में प्रस्तुत कर दिया था।

(ख) कार्यकारी दल से 1973-74 तक 92 करोड़ रुपये के मशीनी औजारों की वार्षिक मांग का अनुमान लगाया है। जिसमें निर्यात के लिये 8 करोड़ रुपये की मशीनी औजारों की व्यवस्था भी सम्मिलित है। और इसने उस वर्ष तक 71 करोड़ रुपये के मशीनी औजारों के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य की सिफारिश की है। दल ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में नई क्षमता स्थापित न करने की सिफारिश की है और उसने सुझाया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्यमान 23 करोड़ रुपये की क्षमता को कुछ संतुलन उपकरणों को लगा कर 28 करोड़ रुपये कर दिया जाये और सरकारी क्षेत्र में 38 करोड़ रुपये की क्षमता को पूर्व नियोजित अथवा चालू परियोजनाओं के कार्यन्वयन से 48 करोड़ रुपये कर दिया जाय।

(ग) मांग के अनुमान, क्षमता के लक्ष्य, उत्पादन तथा निर्यात के लक्ष्य, विनियोजन के अनुमान और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के अतिरिक्त कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें इन से सम्बन्धित हैं—(1) निर्यात के लिये सहायता, (2) उत्पादन सम्भाव्यता का अनुमान लगाने के उद्देश्य से मशीनी औजारों की आवश्यकता का विश्लेषण (3) गवेषण सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा (4) विदेशी तकनीकी जानकारी की सहायता से तकनालोजी की खाई को कम करने के अभ्युपाय करना। कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया संलग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 953/69]।

(घ) यद्यपि कार्यकारी दल के अनुमानों को मशीनी उद्योगों के योजना दल की रिपोर्ट के प्रयोजन के लिये अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया गया था। किन्तु योजना दल ने योजना आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि जितना शीघ्र सम्भव हो और जैसे ही मशीनी औजारों की गणना से तथा अन्य स्रोतों से जानकारी उपलब्ध हो, कम से कम प्रारम्भिक तौर पर इनका आगे पुनर्वीक्षण किया जाए। जांच और उस पुनर्वीक्षण की दृष्टि से कार्यकारी दल के मशीनी औजारों के अनुमानों तथा अन्य सिफारिशों को पुनरीक्षित किया जाये।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप (1969-74) जिसे हाल ही में सभा के पटल पर रखा गया था में वर्ष 1973-74 में 65 करोड़ रुपये के मशीनी औजारों के उत्पादन के अनुमान की कल्पना की गई है। योजना प्रारूप में यह भी निहित है कि प्रेसों का निर्माण सरकारी क्षेत्र में मेसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा किया जायेगा और उसके लिये 300 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। अजमेर मशीनी औजार परियोजना जोकि सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है के लिये 596 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। जहां तक इंजीनियरी उद्योगों (जिनमें मशीनी औजार उद्योग भी सम्मिलित है) का सम्बन्ध है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में यह भी निहित है कि योजना अवधि में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में स्थापित क्षमता को और अधिक पूर्णता से प्रयोग को सुनिश्चित करना भी एक जरूरी काम होगा। यह भी भय व्यक्त किया गया है कि अनेक उद्योगों में क्षमता का पर्याप्त रूप से प्रयोग न हो पाये। अतः निर्यात क्रयादेशों को प्राप्त करने के हर सम्भव यत्न किये जाने की आवश्यकता है। योजना में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्थिति की समय-समय पर इस दृष्टि से समीक्षा की जाये कि किस सीमा तक योजना कार्यक्रमों में फेर बदल किया जा सकता है जिससे कि क्षमता का और अधिक प्रयोग किया जा सके।

(ङ) (1) सरकार के प्रोत्साहन तथा सहायता के उद्योग द्वारा उत्पादन में विविधता लाने के सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि ऐसे मशीनी औजारों जो अब तक आयात किये जा रहे हैं का निर्माण देश में ही किया जा सके। (2) अगस्त, 1967 में वार्तालाप एवं गोष्ठी की गई थी ताकि उत्पादकों को परियोजना प्राधिकारों की मशीनी औजारों की मांग का अन्दाज हो जाये और वे अपने उत्पादन कार्यक्रम में इसके अनुसार विविधता लाने में सुयोग्य हो सकें। इस चर्चा में मशीनी औजारों के उत्पादकों और गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के परियोजना प्राधिकारियों ने भाग लिया था। आरम्भ में परियोजनाओं के लिये 40-45 करोड़ रुपए के मशीनी औजारों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था जिसमें से 28 करोड़ रुपए के मशीनी औजार का आयात किया जाना था। वार्तालाप के फलस्वरूप परियोजना प्राधिकारी तथा उत्पादक इसके लिये सहमत हो गये थे कि 17 करोड़ रुपए की मशीनों का जिन्हें पहले आयात किया जाना था प्रतिस्थापन देशी मशीनों से किया जा सकता है। इसी आधार पर परियोजनाओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिये उत्पादन में विविधता लायें।

(3) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त आयात आवेदनों की कड़ाई से जाँच की जाती है ताकि ऐसी मशीनों का आयात बचाया जा सके जिसे देश के निर्माता सम्भरित कर सकते हों। लाइसेंसों को जारी करने से पूर्व या पूंजीगत वस्तुओं के ऐसे आयात लाइसेंसों के नवीकरण करने से पूर्व जिनकी जांच एक साल से अधिक समय पहले की गई थी आयात की जाने वाली वस्तुओं की सूची की जांच तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा देश में उपलब्धि की दृष्टि से पुनः की जाती है। सूचियों के जांच के समय न केवल उन वस्तुओं जोकि प्रतिबन्धित सूची में होती हैं बल्कि उन वस्तुओं को भी काट दिया जाता है जो कि देशी निर्माताओं के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित होती हैं। वर्तमान आयात व्यापार नियन्त्रण नीति के अनुसार 7.5 लाख रुपये से अधिक मशीनों की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंडियन ट्रेड जनरल में विज्ञापित करना आवश्यक है ताकि देशी निर्माता उनके लिये निविदायें दे सकें।

(4) सरकार ने देश में स्थापित मशीनों की गणना का काम प्रारम्भ किया है। इस गणना से देश में लगी मशीनों के स्वरूप तथा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही मशीनों की आयु के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। इस जानकारी के संबलित हो जाने से इंजीनियरी एकक देश तथा विदेश में अपने जैसे एककों से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को जान पायेंगे। यह आंकड़े आगामी वर्षों में मशीनी औजारों के बुद्धिसंगत अनुमान लगाने का आधार भी होंगे।

(5) मशीनी औजारों के निर्यातकों को 25 प्रतिशत तक का नगद उपदान दिया जाता है तथा 20 प्रतिशत तक आयात की छूट दी जाती है। इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट बैंक आफ इण्डिया के माध्यम से ग्राहकों द्वारा मशीनी औजारों की खरीद के लिये मशीनी औजार उद्योग को आस्थगित अदायगी की सुविधायें भी उपलब्ध की गई हैं।

उपरोक्त (1)से (5) अभ्युपाय चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में मशीनी औजारों के निर्माण के लिये देश की क्षमता का और अधिक प्रयोग करने में सहायक होंगे।

ब्रेक-वैन के बिना रेलगाड़ियों को चलना

8057. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रेलें अभी भी सामान्य नियम 93 (ग) और 144 (क) का उल्लंघन करके ब्रेक-वैन के बिना रेलगाड़ियां चला रही हैं ;

(ख) यदि रेलों में ब्रेक-वैनों की कमी है तो ब्रेक-वैन अधिक न बनाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अखिल भारतीय गार्ड परिषद्, आसनसोल डिवीजन ने इस संबंध में एक ज्ञापन दिया है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सामान्य नियम 93 (ग) के अनुसार विशेष हिदायतों के अन्तर्गत बिना ब्रेक-वैन के गाड़ी चलाने की अनुमति है ।

(ख) ब्रेक-वैन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं । ब्रेक-वैन का निर्माण एक कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है ।

(ग) रेल प्रशासन द्वारा ज्ञापन पर विचार किया गया था लेकिन उपयुक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुये इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

ब्रेक-वैन के बिना रेलगाड़ियों का चलना

8058. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे में आसनसोल डिवीजन के अन्दाल मुख्यालय के एक गार्ड श्री आर० डी० प्रसाद को 25 मार्च, 1969 को डिवीजन सुपरिंटैन्डेन्ट आसनसोल के परिपत्र संख्या टी० जी० एम०/1164/64 बी० वैन, दिनांक 31 जनवरी, 1969 के अनुसार ब्रेक-वैन के बिना 11 अप चारा पायलाट के रेलगाड़ी इन्जन पर यात्रा करते हुये घातक चोटें आई थीं, और तत्पश्चात् इन चोटों के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी ;

(ख) सामान्य नियम 93 (ग) और 114 (क) का उल्लंघन करके ब्रेक-वैन के बिना रेल-गाड़ी चलाने के क्या कारण थे और ऐसे गैर-कानूनी आदेश जारी करने के लिये जिम्मेदार अधि-कारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) मृत गार्ड के परिवार को कितना मुआवजा दिया गया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 25-3-1969 को दो इंजनों द्वारा चालित चारकोल पायलट गाड़ी जिसमें एक इन्जन सामने और दूसरा इन्जन पीछे लगा था अंडाल स्टेशन से 5.40 बजे छूटने के बाद 5.45 बजे सिगलन के लिये ग्रांट ट्रंक समपार फाटक पर रुक गई । कुछ बदमाशों द्वारा एक माल डिब्बे के कप्लिंग का वियोजन कर दिये जाने के कारण, जब गाड़ी

फिर से चली, तो गाड़ी का पिछला हिस्सा अगले हिस्से से टकरा गया जिसके फलस्वरूप गाड़ी का गार्ड, जो पिछले इन्जन में यात्रा कर रहा था, गिर पड़ा और बुरी तरह से घायल हो गया। यह घटना तब भी घटी होती यदि वह ब्रेकवैन में यात्रा कर रहा होता।

(ख) सामान्य नियम 93 (ग) के अनुसार विशेष हिदायतों के अधीन बिना किसी ब्रेकवैन के गाड़ी चलाने की अनुमति है जैसा कि इस मामले में किया गया था। आगे जबकि सामान्य नियम 144 (क) में बगली बत्ती दिखाने की व्यवस्था निर्धारित है, जो तभी किया जा सकता है जब गाड़ी में ब्रेकवैन लगा हो लेकिन सामान्य नियम 144 (ख) में कोयला पाइलट गाड़ी के लिये इसमें छूट दी गई है। इस प्रकार किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ था और बिना ब्रेकवैन के कोयला पाइलट गाड़ी का चलाना गैर-कानूनी नहीं था। क्योंकि विशेष हिदायतों के अन्तर्गत प्राधिकृत यह एक पुरानी परिपाटी है और गाड़ियों में ब्रेकवैन लगाने के बारे में सामन्य नियमों में इस तरह की विशेष हिदायतें देने की अनुमति है।

(ग) मृतक की विधवा को अनुग्रह के रूप में 400 रुपये का भुगतान किया गया है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत भी 10,000 रुपये की रकम देय है और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत कमिश्नर को इस रकम के भुगतान का सत्यापन करने और इस दिशा में आगे कार्यवाही करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

Industrial Development in Fourth Plan

8059. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether industrial development would be stepped up during the Fourth Five-Year Plan in order to provide employment to all unemployed ; and

(b) the extent and nature of development in the sphere of commerce, industries, railways, steel, mines and metals so as to provide employment to the unemployed ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) : (a) and (b). The programmes of development in the various fields of industries, railways, steel, mines, metals etc. have been indicated in the book 'Fourth Five Year Plan (1969—74)-Draft' brought out by the Planning Commission. Considering the overall development of industries envisaged during the Fourth Five Year Plan, it is expected that a growth rate of 8 to 10% will be achieved in the industries sector during the Plan period, and this will generate substantial employment opportunities though it is not possible to precisely quantity the new employment opportunities.

Impersonation during Mid-term Elections in U. P.

8060. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the mid-term elections votes were cast by other persons on behalf of Harijan voters in Itwan Mahulia Police Station, Unaibanna, and Mataudh

Jaurahi and when the the real voters turned up to cast their votes they were prevented from doing so ; and

(b) if so, whether Government propose to conduct an enquiry in this regard ?

The Minister of Law and Social Welfare (Shri P. Govinda Menon) : (a) No such complaint has been received.

(b) Do not arise.

औद्योगिक लाइसेंसों के लिये उत्तर प्रदेश से आवेदन-पत्र

8061. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने लाइसेंस मंजूर किये गये; और

(ग) इस समय इन आवेदन-पत्रों की ब्योरे सहित स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) गत तीन वर्षों अर्थात 1966, 1967 तथा 1968 में उत्तर प्रदेश से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कुल 198 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) 19 लाइसेंस मंजूर किये गये हैं, इसके अलावा दो अनुज्ञापत्र तथा 19 आशयपत्र जारी किये गये हैं।

(ग) शेष बचे 158 आवेदनपत्रों में से 26 आवेदनपत्र उन उद्योगों के बारे में हैं जिन पर से नियंत्रण हटा दिया गया है और उनके लिये औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं रह गया है उनमें से 43 आवेदनपत्र अभी विचाराधीन हैं। 89 आवेदनपत्रों को रद्द किये जाने का मुख्य कारण अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की गुंजाइश का न होना था इस योजना को उचित न समझा जाना था।

आवेदकों के नामों तथा आवेदनपत्रों का ब्योरा जिस पर अभी निर्णय किया जाना है, के बारे में सामान्य रूप से बता पाना सम्भव नहीं है।

पूर्वोत्तर रेलवे के आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)

8062. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में प्रत्येक डिवीजन में प्रत्येक वेतनमान वाले आशुलिपिकों (स्टेनोग्राफरों) की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) प्रत्येक डिवीजन में 130-300 रुपये के वेतनमान वाले कितने आशुलिपिकों को 210-425 रुपये के वेतनमान के लिये चयन से छूट दी गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे आशुलिपिकों को कब तक के लिये 210-425 रुपये के वेतनमान में अस्थायी रूप से काम करने का अवसर देने का है जब तक कि रिक्त पदों को भरने के लिये चयन पूरा नहीं हो जाता ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन

8063. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने 1969-70 में राज्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजनाएं भेजी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश को अम्बर चरखों की सप्लाई

8064. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को वर्ष 1968-69 में कितने अम्बर चरखे दिये गये ;

(ख) इस अवधि में उनमें से कितने अम्बर चरखे प्रयोग में लाये गये ; और

(ग) इस अवधि में इस प्रयोजन के लिये कितना धागा उपलब्ध किया गया ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

फिरोजपुर जिले में माखू रेलवे स्टेशन से केनाल कालोनी तक रेलवे लाइन पर बेकार पड़े रेलवे इंजन और माल डिब्बे

8065. **श्री क० प्र० सिंहदेव :**
श्री वी० नरसिम्हा राव :
श्री नं० कु० सांघी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिरोजपुर जिले में माखू रेलवे स्टेशन से केनाल कालोनी तक 26,000 फुट लम्बी रेलवे लाइन पर आठ लाख रुपये के मूल्य का एक इंजन और कुछ माल डिब्बे वर्ष 1955 से बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे की ऐसी कोई लाइन नहीं है। लेकिन पंजाब सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा 1950-51 में अपने खर्च से एक साइडिंग का निर्माण किया गया था। वहां पर रेलवे का कोई इंजन या माल डिब्बा बेकार नहीं पड़ा है।

जिस चल-स्टाक का जिक्र किया गया है वह सम्भवतः पंजाब सरकार का अपना स्टाक है।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

सवारी कारों के मूल्य में परिवर्तन

8066. **श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर गाड़ी निर्माता संघ ने सवारी कारों के मूल्यों में परिवर्तन के बारे में उनके वक्तव्य पर चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) क्या उद्योग ने प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के आधार पर मूल्य में वृद्धि करने की स्वीकृति देने के लिये सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) अब तक मोटरगाड़ी निर्माताओं की एसोसियेशन की ओर से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के अतिरिक्त तीन कार निर्माताओं ने अपनी कारों के मूल्य बढ़ाने के लिये निवेदन किया है। उन्हें सूचित कर दिया गया है कि जब तक कि कारों के उचित विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन पर निर्णय नहीं ले लिया जाता है तब तक मूल्य में बढ़ोत्तरी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आशा की जाती है कि यह निर्णय एक या दो मास में ले लिया जायेगा।

तमिलनाडू में उद्योग

8067. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडू में एक उद्योग स्थापित करने के लिये जिसके लिये "आशय-पत्र" जारी किया गया था लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया ;

(ख) क्या तमिलनाडू के उद्योग मंत्री ने यह शिकायत की है जैसा कि समाचारपत्रों में छपा है कि राज्य सरकार के अपने प्राकृतिक संसाधनों से विभिन्न उद्योग स्थापित करने के अनुरोध के प्रति केन्द्रीय सरकार न्याय नहीं कर रही है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां। सम्भवतः यह मामला मैसर्स टी० एन० के० मद्रास द्वारा पोलीस्टर फाइबर का उत्पादन किये जाने के सन्दर्भ में है, जिसमें कि इस पार्टी को आशयपत्र जारी किया गया था और इस परियोजना में संतोषजनक प्रगति न हो सकने से उसे रद्द कर किया गया था।

(ख) इस मंत्रालय को इस सम्बन्ध में तमिलनाडू के उद्योग मंत्री का कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है। फिर भी, सरकार को इस विषय में छपी खबर के बारे में जानकारी है।

(ग) लाइसेंस स्वीकृत किये जाने से सम्बद्ध सभी आवेदनपत्रों के मामलों में गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है और योजनाओं की उपयुक्तता के सम्बन्ध में कच्चे माल की उपलभ्यता, प्रस्तावित स्थान की उपयुक्तता, संयंत्र तथा मशीनों के आयात पर खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा तथा विदेशी सहयोग की शर्तें आदि, यदि कोई हों पर विचार करके लाइसेंस मंजूर किये जाते हैं। विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवेदनों पर लाइसेंस स्वीकृत करने के मामले में कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता है, सब बातें समान होने पर उद्योग के मामले में अविकसित क्षेत्रों के आवेदनों को प्राथमिकता दी जाती है।

एशियाटिक आक्सीजन एण्ड एसीटिलीन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को काली सूची में रखा जाना

8068. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाटिक आक्सीजन एण्ड एसीटिलीन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को उनके मंत्रालय ने या किसी अन्य सरकारी विभाग ने 1966 से काली सूची में रखा हुआ है;

(ख) इस कम्पनी ने सरकार को कितनी राशि देनी है ; और

(ग) उसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भूतपूर्व लोहा और इस्पात मंत्रालय ने जुलाई 1966 में मैसर्स एशियाटिक आक्सीजन एण्ड एसीटिलीन कम्पनी लिमिटेड को काली सूची में रखा था । काली सूची में रखने का आदेश 8 मार्च, 1968 को प्रतिसंहृत किया गया था ।

(ख) सरकार ने कम्पनी से कुछ नहीं लेना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल कार्स्टिग कम्पनी, नास्करपारा जूट मिल्स कम्पनी, कलकत्ता तथा इंडियन रबर रिजेनेरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई

8069. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल कार्स्टिग कम्पनी कलकत्ता, नास्करपारा जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, इंडियन रबड़ रिजेनेरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ने लाइसेंस के लिए कब आवेदन-पत्र दिये थे और उन्होंने कब कार्य आरम्भ किया ;

(ख) इन कम्पनियों को चलाने के लिये क्या शर्तें निर्धारित की गई थीं और उनके द्वारा किन-किन वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है ; और

(ग) इनकी स्थापना के समय से अब तक इनके द्वारा कुल कितना उत्पादन किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

एशियाटिक सोप कम्पनी लि०, कलकत्ता, एटलस एण्ड यूनियन जूट प्रेस कम्पनी लि०, कलकत्ता और जयपुर उद्योग लिमिटेड को लाइसेंस

8070. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाटिक सोप कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, एटलस एण्ड यूनियन जूट प्रेस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता और जयपुर उद्योग लिमिटेड ने किन-किन तारीख को लाइसेंसों के लिए आवेदन दिये थे और ये कम्पनियां कब चालू हुई थीं ;

(ख) इन कम्पनियों को चलाने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई थीं और उनके द्वारा किन-किन वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है ; और

(ग) इनकी स्थापना के समय से अब तक इनके द्वारा कुल कितना उत्पादन किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कुछ फर्मों को लाइसेंस

8071. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमानी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, बंगाल जूट मिल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, एशियाटिक ग्लास फैक्टरी कम्पनी लि०, कलकत्ता ने किन-किन वस्तुओं के निर्माण के लिये लाइसेंस मांगे थे ;

(ख) लाइसेंस किस तिथि को मंजूर किये गये थे और काम कब चालू हुआ था ;

(ग) क्या इन कम्पनियों ने उन वस्तुओं के अतिरिक्त जिनके निर्माण के लिए उन्हें लाइसेंस दिये गये थे अन्य वस्तुओं का निर्माण क्या ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

एशियाटिक आक्सीजन एण्ड एसेटीलीन कम्पनी तथा बरदाही लुबरीकेंट्स कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता को लाइसेंस

8072. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाटिक आक्सीजन एण्ड एसेटीलीन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता तथा बरदाही लुबरीकेन्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता ने किस तारीख को लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र भेजा था और उपरोक्त कम्पनियों ने कब कार्य करना आरम्भ किया था ;

(ख) इन कम्पनियों की स्थापना सम्बन्धी शर्तें क्या थीं और इन कम्पनियों द्वारा किस प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं ; और

(ग) आरम्भ से लेकर इन कम्पनियों का कुल उत्पादन कितना हुआ है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों का विकास

8073. **श्री जुगल मंडल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1968-69 में उस राज्य में उद्योगों के विकास और औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उस योजना का अनुमोदन कर दिया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) उस योजना के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में कितनी वृद्धि हो जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). राज्य सरकार की 1968-69 की वार्षिक योजना स्वीकृत की जा चुकी है । इसमें सम्मिलित परियोजनायें साथ के विवरण में संलग्न हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 954/69]

(घ) अतिरिक्त रोजगार दिलाने का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

8074. **श्री जुगल मंडल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1967-68 में पश्चिम बंगाल के कितने विद्यार्थियों को कम आय वर्ग की छात्रवृत्तियां दी गई थीं ;

(ख) कुल कितनी राशि थी ;

(ग) जिन विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां दी गई थीं उनके अभिभावक किस-किस आय वर्ग के थे ; और

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आय की क्या सीमा निर्धारित की गई है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). सही स्थिति यह है कि कम-आय-वर्ग के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, परन्तु उन पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति भारत सरकार करती है ।

(ग) और (घ). उच्च आय सीमा 2,400 रुपये प्रति वर्ष विहित की गई है। इस सीमा के नीचे उनको प्राथमिकता दी जाती है, जिनकी आय सब से कम होती है ।

पश्चिम बंगाल सरकार को औद्योगिक विकास के लिए ऋण

8075. **श्री जुगल मंडल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल को औद्योगिक विकास के लिये कितनी धनराशि का ऋण मंजूर किया गया है ;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें ऋण की न्यूनतम तथा अधिकतम राशि दी गई तथा वह धनराशि कितनी-कितनी थी ;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत-सी कम्पनियों ने ऋण लेने के बावजूद औद्योगिक एकक स्थापित नहीं किये हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में मध्यम दर्जे के उद्योगों का विकास

8076. **श्री जुगल मंडल** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1968-69 में उस राज्य में मध्यम दर्जे के उद्योगों के विकास के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है और उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) उस योजना को क्रियान्वित करने के फलस्वरूप प्रत्येक उद्योग की उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ जायेगी ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है और यदि हां, तो उसमें क्या संशोधन किये हैं ; और

(ङ) उससे रोजगार के अवसरों में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास

8077. **श्री जुगल मंडल** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की औद्योगिक परियोजना के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 955/69] राज्य में लघु क्षेत्र में पंजीकृत एककों की संख्या 1965-66 में 9431 से बढ़कर 1967-68 में 11957 हो गई है । राज्य में पिछले तीन वर्षों की अवधि में लघु उद्योगों तथा औद्योगिक बस्तियों के विकास पर किया गया व्यय निम्न प्रकार था :

	1966-67 (वास्तविक)	1967-68 (वास्तविक)	1968-69 (पूर्वानुमानित) (लाख रु० में)
लघु उद्योग	44.09	39.08	28.14
औद्योगिक बस्तियां	1.93	8.30	4.90

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं के बारे में योजना आयोग द्वारा तैयार की गई "चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) का मसौदा" नामक पुस्तक में बताया गया है। चौथी योजना के मसौदे में राज्य क्षेत्र में लघु तथा मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के लिये 1147 लाख रुपये की और ग्रामीण तथा लघु उद्योगों और औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिये 795 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

सूरजमल नागरमल, कलकत्ता, बम्बई गैस कम्पनी और सी० एण्ड ई० मार्टन (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता को लाइसेंस

8078. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरज मल, नागर मल, कलकत्ता, बम्बई गैस कम्पनी, बम्बई और सी० एण्ड ई० मार्टन (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता ने किन-किन वस्तुओं के निर्माण के लिए लाइसेंस मांगे थे ;

(ख) लाइसेंस किस तिथि को मंजूर किए गए थे और काम कब चालू हुआ था ;

(ग) क्या इन फर्मों ने उन वस्तुओं के अतिरिक्त जिनके लिए लाइसेंस दिए गए थे अन्य वस्तुओं का निर्माण किया ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई तथा जयश्री टेक्सटाइल लिमिटेड, कलकत्ता को लाइसेंस

8079. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई और जयश्री टेक्सटाइल्स लिमिटेड, कलकत्ता ने लाइसेंस के लिए कब आवेदन-पत्र दिया था और कब उन्होंने कार्य आरम्भ किया था ;

(ख) इन कम्पनियों को चलाने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई थीं और उनके द्वारा किन-किन वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है ; और

(ग) इनकी स्थापना के समय से अब तक इनके द्वारा कुल कितना उत्पादन किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कम्पनियों के निदेशक तथा अंशधारी

8080. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर, कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, एशियाटिक आक्सीजन एण्ड एसीटिलीन कम्पनी लिमिटेड, बंगाल, जूट मिल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता और श्री हनुमान जूट मिल्स, कलकत्ता के निदेशकों तथा सर्वाधिक अंशों वाले 20 व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैसर्स जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर के अधिकतम अंश रखने वाले प्रथम 20 निदेशकों के नाम विवरण में दिये गये हैं जो कि सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 956/69] शेष कम्पनियों के अधिकतम अंश रखने वाले प्रथम 20 निदेशकों के नाम एकत्र किये जा रहे हैं और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे ।

कुछ कम्पनियों के निदेशक तथा अंशधारी

8081. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डब्ल्यू० एच० हार्टन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, नस्करपारा जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, कमानी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, जयपुर उद्योग लिमिटेड, एशियाटिक सोप कम्पनी के निदेशकों तथा प्रमुख अंशधारियों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जयपुर उद्योग लिमिटेड के बारे में जानकारी नीचे दी गई है :—

28-2-1968 को मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड के निदेशकों के नाम निम्नलिखित थे ;

1. श्री शान्ति प्रसाद जैन
2. श्री रामनाथ पोडर
3. श्री चुन्नीलाल जयपुरिया
4. श्री चिरंजीतलाल झुनझुनवाला
5. श्री दिनेश किशोर सैक्सेना

मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड के अधिकतम अंश रखने वाले प्रथम 10 अंशधारियों के नाम ये हैं :—

1. मैसर्स भारत निधि लिमिटेड
2. मैसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
3. मैसर्स भारत का जीवन बीमा निगम
4. मैसर्स रिशाब इन्वैस्टमैंट लिमिटेड
5. मैसर्स साहू जैन लिमिटेड
6. इलाहाबाद बैंक नामीनीज लिमिटेड
7. दी यूनियन बैंक आफ इंडिया लिमिटेड
8. दी पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड
9. दी पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड
10. दी पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड

शेष जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये उपकरण

8082. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के लिये कुछ अतिरिक्त उपकरण तथा सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से हाल ही में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) भारतीय दल के दौरे के क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). दुर्गापुर इस्पात कारखाने पर ब्रिटिश इस्पात निगम की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के लिये इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मण्डल हाल में यू० के० गया था । बातचीत का उद्देश्य दुर्गापुर इस्पात कारखाने की भारी मरम्मत के काम के लिये जो आजकल चल रहा है, आवश्यक उपकरणों, फालतू पुर्जों आदि के लिये धन की व्यवस्था करना तथा कुछ विशेष कार्यों के लिये अंग्रेज प्रविधिज्ञों को परामर्शदाता के रूप में रखना था । अपेक्षित प्रबन्धों के लिये एक समझौता हो गया है बशर्ते इस समझौते का दोनों सरकारें अनुसमर्थन करें ।

रेल कर्मचारियों के लिये तीसरा वेतन आयोग

8083. **डा० रानेन सेन :** **श्री न० रा० देवघरे :**
श्री तुलसीदास दासप्पा : **श्री रा० कृ० सिंह :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय रेल कर्मचारी राष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष एवं संसद् सदस्य श्री बसावड़ा के 18 अप्रैल, 1969 को विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए भाषण की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने रेल कर्मचारियों के लिये तीसरा वेतन आयोग नियुक्त करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ द्वारा इस आशय के पास किये गये संकल्प की ओर ध्यान गया है ।

(ख) सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये न केवल रेलवे कर्मचारियों, तीसरे वेतन आयोग की स्थापना के प्रश्न के साथ इस मांग पर विचार किया जायेगा ।

बादली औद्योगिक बस्ती, दिल्ली

8084. **श्री प० मु० सईद :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के निकट वर्तमान बादली औद्योगिक बस्ती में निर्मित फैक्टरी-शेडों को अलाटियों को किराया खरीद आधार पर हस्तांतरित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो शैड अलाटियों को किराया खरीद आधार पर कब हस्तांतरित कर दिए जाएगें और किन शर्तों पर ; और

(ग) प्रत्येक शैड का मूल्य कितना है और अलाटियों को कितनी अवधि के अन्दर किराया खरीद की अन्तिम किस्त देनी होगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). बादली औद्योगिक क्षेत्र में आवन्टियों को दिये जाने वाले शेडों की किराया खरीद शर्तों के विवरण को दिल्ली प्रशासन ने अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

पश्चिम रेलवे के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी बम्बई के कार्यालय के कनिष्ठ लेखापाल

8085. **श्री पी० पी० एस्थोस :**

श्री के० एम० अब्राहम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिये तबादले के निमित्त पश्चिम रेलवे के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी, बम्बई के कार्यालय में रखे प्राथमिकता रजिस्टर में 1 जनवरी, 1968 तक दर्ज तथा इसके बाद दर्ज कनिष्ठ लेखापालों के नाम क्या हैं ;

(ख) इस बीच किस किस कनिष्ठ लेखापाल का दिल्ली के लिये तबादला किया गया है और क्या हर तबादले के आदेश उक्त रजिस्टर में दी गई प्राथमिकता के अनुसार किये गए हैं ;

(ग) यदि कोई तबादले प्राथमिकता सूची के अनुसार नहीं किये गये हैं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) अन्य कर्मचारियों के प्रति किये गये अन्याय को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कनिष्ठ लेखापालों के नाम और रजिस्ट्रेशन की तारीखें नीचे दी गई है :—

1. श्री देस राज खत्री	28-5-63
2. श्री मोहन नारायण सिंह	7-1-64
3. श्री हीरानन्द	11-10-65
4. श्री पी० एन० त्रेहन	4-11-65
5. श्री योगेन्द्र पाल	10-2-66
6. श्री जी० एस० गिल	31-5-66
7. श्री आर० आर० धवन	13-6-66
8. श्री हरबंस सिंह	27-6-66

(ख) से (घ). श्री योगेन्द्र पाल और श्री देस राज खत्री को क्रमश: अप्रैल, 1966 और नवम्बर, 1967 में बड़ौदा से दिल्ली कार्यालय में स्थानान्तरित किया गया था। श्री योगेन्द्र पाल यद्यपि सूची में पांचवे नम्बर पर थे, फिर भी उन्हें मानवीय आधार पर दूसरों की अपेक्षा पहले स्थानान्तरित कर दिया गया क्योंकि पोलियों के प्रभाव के कारण वे दाईं टांग से लंगड़ाते हैं और इस तरह शारीरिक दृष्टि से अशक्त हैं। बड़ौदा में उनकी देख भाल करने

वाला कोई नहीं था। दिल्ली में उनकी बहन और बहनोई हैं। जो उनकी देखभाल करेंगे।

दिल्ली कार्यालय में जब कभी जगह होंगी, अन्य कर्मचारियों को सामान्यतः अपनी अग्रता के आधार पर स्थानान्तरित किया जायेगा।

पश्चिम रेलवे, दिल्ली के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि दिया जाना

8086. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

श्री के० एम० अब्राहम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे, दिल्ली के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय के कुछ कर्मचारियों का मार्च, 1969 में देय वेतन-वृद्धि का भुगतान करने से इन्कार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो देय वेतन-वृद्धि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) जिम्मेदारी निश्चित करने के लिये और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम रेलवे, दिल्ली के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

8087. **श्री उमानाथ :**

श्री पी० पी० एस्थोस :

श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे, दिल्ली के अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को वेतनमान प्रणाली के अन्तर्गत उनकी सेवा में रेलवे क्वार्टर आवंटन किया न जाना सम्भव है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस वर्ष में क्वार्टर आवंटित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त कार्यालय के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन करने की व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) क्वार्टरों के आवंटन के लिए उनके नाम पहले से ही अन्य कर्मचारियों के नामों के साथ दर्ज किये जा रहे हैं।

(ख) नाम दर्ज किये आने के क्रम में जब उनकी पारी आयेगी तब उन्हें क्वार्टर आवंटित किये जायेंगे।

(ग) सवाल नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर में कर्मचारियों का स्थायीकरण

8088. **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री प० गोपालन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय, अजमेर में कर्मचारियों को पिछली बार कब स्थायी किया गया था ; और

(ख) क्या तत्सम्बन्धी स्टाफ कार्यालय आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पिछली बार मार्च, 1969 में स्थायीकरण किये गये थे ।

(ख) 29-3-1969 के सम्बन्धित कार्यालय आदेश संख्या टी ए/ए डी एम/406 की प्रति-लिपि अनुबन्ध 'क' के रूप में संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 957/69]**

लघु उद्योग स्थापित करने में अफ्रीकी देशों को भारत द्वारा सहायता

8089. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अफ्रीकी देशों ने लघु उद्योग तथा उनसे सम्बन्धित उद्योग स्थापित करने में भारत की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में भारत के सहयोग का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) केनिया सरकार ने नैरोबी में औद्योगिक बस्ती स्थापित करने के लिये भारत सरकार से सहायता मांगी है। केनिया सरकार ने भारत सरकार से व्यापारियों को नैरोबी में

ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए तत्पर करने को कहा है जिनके उत्पादन का वहां पर्याप्त क्षेत्र है। संयुक्त गणराज्य सरकार ने कैरो के निकट हैलबम स्थित नासर मोटरकार कम्पनी के लिए आवश्यक मोटर गाड़ी के हिस्सों के उत्पादन के लिये सहायक एकक स्थापित करने के हेतु भारतीय तकनीकी की सहायता मांगी है। संयुक्त अरब गणराज्य ने मैसूर में औद्योगिक बस्ती स्थापित करने के लिये भी सहायता मांगी है। सहायक उद्योगों की स्थापना करने, औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने और संयुक्त अरब गणराज्य का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिये कुछ विशेषज्ञों की भी सहायता मांगी है।

बिजली तथा डीजल के इंजनों का निर्यात

8090. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन और वाराणसी स्थित इंजन बनाने के कारखानों में निर्यात के लिये बिजली तथा डीजल द्वारा चलाये जाने वाले इंजन तथा कल-पुर्जे बनाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 में विदेशी मुद्रा के रूप में कितना निर्यात होने की सम्भावना है ; और

(ग) किन-किन देशों ने उन्हें खरीदने की पेशकश की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). इस समय चित्तरंजन और वाराणसी में बिजली और डीजल रेल इंजनों के निर्माण की पूरी क्षमता भारतीय रेलों के लिए अभीष्ट है। लेकिन इन उत्पादन एककों में निर्यात के लिये भी रेल इंजन बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने को बर्मा रेलवे से लगभग 4.14 लाख रुपये कीमत के 5 भाप रेल इंजन बायलरों का एक आर्डर मिला है। इस आर्डर का माल 1969-70 में दिये जाने की सम्भावना है। सीरिया की हैडजान रेलवे से चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने को भाप रेल इंजन के लगभग 40,000 रुपये की कीमत के पुर्जों का एक और आर्डर भी मिला है। इस आर्डर का माल भी 1969-70 में दिये जाने की सम्भावना है।

जहां तक डीजल और बिजली रेल इंजनों के पुर्जों का सम्बन्ध है, कैनेडा को इस्पाती फोर्मिंग और फ्रांस को इस्पाती कास्टिंग निर्यात करने का प्रयास किया गया है। इसकी शुरुआत उत्साहवर्द्धक रही है और इस मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है।

महिलाओं तथा लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, 1956

8091. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं तथा लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, 1956 के द्वारा कुछ सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) यह अधिनियम अपने प्रकट प्रयोजन में काफी सफल रहा है तथा यह बुराई जहां परम्परागत वाणिज्य के रूप में विद्यमान थी, वहां से वेश्यालय समाप्त हो गये हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

गोआ में स्कूटर बनाने का कारखाना

8092. **श्री शिंकरे** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोआ के उद्योगपतियों से वहां पर स्कूटरों के निर्माण के लिये एक कारखाने लगाने के बारे में आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उनमें निर्माण के लक्ष्य बताये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार गोआ में सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का एक कारखाना शुरू करने की किसी योजना को अन्तिम रूप दे रही है ; और

(ग) यदि सरकार का विचार निकट भविष्य में सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का एक कारखाना लगाने का नहीं है तो क्या वह गैर-सरकारी पक्षों द्वारा इसके लिये प्रस्तुत योजना को स्वीकृति देने के लिए तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय- कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1965 में देश के उद्योगपतियों द्वारा स्कूटर उत्पादन के लिये बहुत संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे उनमें से तीन आवेदन-पत्र गोआ में स्कूटर उत्पादन के लिये थे । इन तीनों उद्यमियों द्वारा बताई गई क्षमता 18,000, 30,000 और 50,000 स्कूटर प्रति वर्ष थी । अन्य आवेदनों के साथ इन आवेदनों पर भी विचार किया गया और इन्हें लाइसेन्स देने योग्य नहीं समझा गया अतएव सितम्बर, 1967 में उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया ।

(ख) इस समय गोआ में सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का संयंत्र चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सकरी और पंडौल (उत्तर रेलवे) स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन

8093. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे की सकरी और पंडौल के बीच उग्ना हाल्ट स्टेशन के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). हाल्ट के निर्माण-कार्य की प्रगति रुक गई है ।

(ग) हाल्ट के लिये मिट्टी का काम "श्रमदान" द्वारा पूरा किया जाना था । स्थानीय जनता श्रमदान द्वारा मिट्टी का अपेक्षित काम पूरा करने के लिये राजी नहीं हुई और उसने अनुरोध किया है कि हाल्ट दूसरे स्थान पर बनाया जाये । किसी दूसरे स्थान पर गाड़ी हाल्ट की व्यवस्था करने की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

बी० आर० उद्योग समूह का निरीक्षण

8094. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० आर० उद्योग समूह के किन समवायों के कारोबार का निरीक्षण किया गया है और विभिन्न समवायों के निरीक्षण प्रतिवेदन किन-किन तिथियों को प्रस्तुत किये गये थे;

(ख) इन समवायों में से प्रत्येक समवाय के बारे में निरीक्षण करने वाले अधिकारियों ने क्या-क्या निष्कर्ष निकाले हैं और यदि कोई सिफारिशें की हैं तो क्या; और

(ग) इनमें से प्रत्येक समवाय के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई और आगे क्या कार्यवाही की जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत बी० आर० ग्रुप के जिन समवायों का निरीक्षण किया गया था उनकी सूची सभा-पटल पर रख दी गई है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 958/69]**

(ख) और (ग). निरीक्षण अधिकारियों के निष्कर्ष सम्बन्धित समवायों की उपलब्ध लेखपुस्तकों के परीक्षण पर आधारित हैं । इन प्रतिवेदनों पर बाद में की जाने वाली कार्यवाही के रूप में निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(i) लक्ष्मी रतन काटन मिल्स के मामले में केन्द्रीय जांच विभाग के पास एक अधिकारिक सूचना दर्ज कराई गई है । जांच के परिणामस्वरूप केन्द्रीय जांच विभाग ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी० और धारा 409 के अधीन कम्पनी के निदेशकों और श्री आर० आर० गुप्त के विरुद्ध मुकदमा चला दिया है ।

(ii) प्रादेशिक निदेशक, बम्बई को बी० आर० काटन मिल्स, बम्बई को अनिवार्य रूप से बन्द करने के लिए कार्यवाही करने को कहा गया है ।

(iii) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 433/439 के अधीन इन्जीनियरिंग वर्क्स आफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को बन्द करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दे दी गई है।

(iv) धारा 433/439 के अन्तर्गत अग्रवाल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, गुप्त एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरपुर डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, विष्णु कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड और श्याम कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध इनको बन्द करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है। इन समवायों ने समवाय अधिनियम की धारा 394 के अन्तर्गत पांचों फर्मों को मिलाने के लिए एलाहाबाद उच्च न्यायालय में आवेदन-पत्र दिया है।

शेष मामलों में पाई गई अनियमितताओं को या तो नियमित कर दिया गया अथवा उनकी संतोषजनक व्याख्या कर दी गई है अथवा उनकी जांच की जा रही है। इनका परीक्षण विभिन्न अवस्थाओं में किया जा रहा है।

मैसूर में मांडया नगर में पुल

8095. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसूर राज्य में मांडया नगर में एक नया पुल अथवा नीचे का पुल बनाने के बारे में स्थानीय अधिकारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को चालू वर्ष के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने का है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए माण्डया नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है।

(ग) अभी यह बताना आसामयिक होगा।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों के बारे में जांच

8096. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक रेलवे कर्मचारियों को, जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था, वापस नहीं लिया गया हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों और विशेष कर उत्तर रेलवे के दिल्ली, बीकानेर, मुरादाबाद तथा फिरोजपुर डिवीजनों के कर्मचारियों के बारे में जांच पूरी हो चुकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब जांच पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। अधिकांश कर्मचारी ड्यूटी पर वापस ले लिये गये हैं ।

(ख) और (ग). समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार इस तरह की जांच की गयी है और अभी की जा रही है।

कागज की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

8097. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल 1968 में विनियन्त्रण के पश्चात एक वर्ष की अवधि में कागज उद्योग ने एक बार फिर कार्टेल के रूप में अपनी वस्तुओं के विक्रय मूल्यों में वृद्धि कर दी है;

(ख) 1 अप्रैल, 1969 से लागू किये गये मूल्यों में 250 रुपये प्रति टन से 400 रुपये प्रति टन तक वृद्धि की गई है, जबकि मई 1968 में भी इतनी ही वृद्धि की गई थी;

(ग) क्या इस उद्योग ने इस एक पक्षीय और तत्काल मूल्य में वृद्धि के बारे में सरकार के साथ परामर्श नहीं किया है;

(घ) क्या बड़े-बड़े कारखानों की पर्याप्त विस्तार की कोई योजनाएं नहीं हैं और शीघ्र ही कागज की कमी होने की सम्भावना है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रकार के कदाचारों को कठोर कार्यवाही करके रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ऐसी सूचना मिली है कि अधिकांश कागज मिलों ने कागज की कुछ किस्मों के विक्रय मूल्य को 1 अप्रैल, 1969 से बढ़ा दिया है।

(ख) हाल ही में की गई कथित मूल्य वृद्धि 95 रुपये से 150 रुपये प्रति टन के बीच है।

(ग) इस मामले में सरकार से परामर्श नहीं लिया गया है।

(घ) ऐसा पता चला है कि कुछ बड़े एकक अपनी विद्यमान क्षमता में विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं।

(ङ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

डीजल से चलने वाले 8 अश्वशक्ति के ट्रैक्टर का निर्माण

8098. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीनों का कारोबार करने वाली एक फर्म ने विदेशी सहयोग के बिना ही डीजल से चलने वाला 8 अश्वशक्ति का एक ट्रैक्टर बनाया है;

(ख) क्या इस ट्रैक्टर के नमूने की जांच की गई है और इसको भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्त पाया गया है और यदि हां, तो इस ट्रैक्टर की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस फर्म द्वारा इस प्रकार के ट्रैक्टरों की कितनी निर्माण क्षमता स्थापित की जायेगी और यह कारखाना किस स्थान पर लगाया जायेगा; और

(घ) आशय पत्र जारी करने के बारे में प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नई दिल्ली की एक फर्म की ओर से अश्वशक्ति के डीजल ट्रैक्टर के उत्पादन का एक प्रस्ताव हाल ही में सरकार को प्राप्त हुआ है । जिसमें विदेशी सहयोग और विदेशी मुद्रा का व्यय नहीं होगा । यह भी पता चला है कि विदेशी सहयोग के बिना मेरठ की एक फर्म ने 8 अश्वशक्ति का ट्रैक्टर तैयार किया है । किन्तु उन्होंने अब तक इस सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) ट्रैक्टरों के आद्यरूपों का परीक्षण बुंदनी स्थित ट्रैक्टर ट्रेनिंग एण्ड टैस्टिंग स्टेशन पर नहीं किया गया है । नई दिल्ली की फर्म द्वारा बनाए जाने वाला ट्रैक्टर चार पहियों वाला आरोही (राइडिंग) प्रकार का होगा जिसमें 8.2 अश्वशक्ति का डीजल इंजिन होगा ।

(ग) 1969 के अन्त में या 1970 के प्रारंभ से 2000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष उत्पादन करने का दिल्ली की फर्म का प्रस्ताव है । वे इस ट्रैक्टर के अधिक उत्पादन के लिए कलकत्ता के एक फर्म के कारखानों में प्रबन्ध कर रहे हैं ।

(घ) ट्रैक्टर ट्रेनिंग एण्ड टैस्टिंग स्टेशन, बूंदी द्वारा ट्रैक्टर के आद्यरूप को उचित घोषित किये जाने पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

पश्चिम घाट रेलवे

8099. **श्री शिंकरे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत के पश्चिमी घाट पर कोलाबा से कोचीन तक के लोग उस क्षेत्र की जो प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर खनिज अयस्कों में बहुत समृद्ध हैं आवश्य-

कताओं को पूरा करने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही वहां एक बड़ी रेलवे लाइन बिछाने की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी घाट रेलवे की अपनी मांग को मनवाने के लिए गोआ तथा महाराष्ट्र के कोंकन क्षेत्र के लोगों ने बड़े पैमाने पर आन्दोलन करने की योजना बनाई है; और

(ग) क्या सरकार इसको प्राथमिकता देने और चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल करने के बारे में किसी योजना को अन्तिम रूप दे रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). कोंकण क्षेत्र के रास्ते बम्बई से मेंगलूरु तक एक तटीय रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन मिले हैं। धन की कमी के कारण इस तरह के रेल सम्पर्क के निर्माण पर विचार करना इस समय सम्भव नहीं है।

गोआ में कच्चे लोहे के कारखाने की स्थापना

8100. **श्री शिंकरे** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोआ के खान मालिकों से कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है कि उस क्षेत्र में कच्चा लोहा तैयार करने का एक कारखाना आरम्भ किया जाये;

(ख) क्या सरकार को गोआ में बड़े पैमाने पर निकलने वाले लोह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क की जानकारी है जो कच्चे लोहे के एक बड़े कारखाने की आवश्यकता को पूरा कर सकता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृति देने का है अथवा सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे का एक कारखाना आरम्भ करने की किसी योजना को अन्तिम रूप देने का है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). मेसर्स वी० एम० सालगाओकर ई० इरमाओ लिमिटेड गोआ, को 300,000 टन वार्षिक क्षमता का कच्चे लोहे का कारखाना लगाने के लिए आशय-पत्र दिया गया है। इस कारखाने के लिए गोआ में प्राप्य लौह-अयस्क का उपयोग होगा। आशय-पत्र 31 मार्च, 1969 तक वैध था। आशय-पत्र की वैधता 31 मार्च 1969 से आगे बढ़ाने के लिए फर्म की कोई प्रार्थना सरकार को नहीं मिली है। निकट भविष्य में गोआ में कच्चे लोहे का कोई कारखाना सरकारी क्षेत्र में लगाने का विचार नहीं है। निजी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने के लिए भी कोई प्रार्थना पत्र विचार के लिए नहीं पड़ा हुआ है।

मैसर्स हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता

8101. **श्री डी० बसुमतारी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता ने 1968-69 में सेफेटी ग्लास के लिए मशीनों के आयात करने हेतु आयात लाइसेंस प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या लाइसेंस दिया गया था;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस कम्पनी ने झूठे बहाने से मशीनरी का आयात किया है और मशीनें कलकत्ता में उनके गोदामों में बेकार पड़ी हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां । शीशे को सुखाने, धोने, काटने की मशीनों के आयात के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ था जो कि उसके साथ दिये गये साहित्य के अनुसारन शीशे की चादरों को आगे परिष्कृत किये जाने जिसमें उन्हें कड़ा करना भी सम्मिलित है, के अनुकूल बनाने के लिये है ।

(ख) आवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) और (घ). सरकार को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि मेसर्स हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता ने कड़े शीशे के निर्माण के लिये मशीनों का आयात किया है । इस शिकायत की जांच की जा रही है ।

मेसर्स हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता

8102. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता ने लाइसेंस के लिए किस तिथि को आवेदन पत्र दिया था;

(ख) इस फर्म ने किन शर्तों पर कार्य करना था और इसके द्वारा किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) इस कम्पनी ने अपने आरम्भ से अब तक कितना उत्पादन किया है और इसको शीशे का सामान बनाने वालों में किस प्रकार वितरित किया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मेसर्स हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता उद्योग, विकास और

विनियमन अधिनियम 1951 के अन्तर्गत 19-9-1952 को पंजीकृत हुआ। उसने 3-10-1959 को अपनी क्षमता के पर्याप्त विस्तार के लिए आवेदन पत्र दिया था। उन्होंने नई वस्तुऐं जैसे, बायर्ड, फियर्ड ग्लास, पारभासक कांच और रीडैड कांच के औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भी 16-9-1960 को आवेदन पत्र दिया था।

(ख) फर्म को, ग्लास शीटें, वायर्ड और फिगर्ड कांच, रीडैड कांच के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की सामान्य शर्तों पर लाइसेंस प्रदान किया गया।

(ग) इन वस्तुओं के उत्पादन के आंकड़े (प्रारम्भ से ही) इस समय प्राप्य नहीं हैं। उन्हें इकट्ठा करके सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। ऊपर बतायी हुई वस्तुओं के वितरण पर नियंत्रण (कंट्रोल) नहीं है, अतएव अनेक वितरण की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

मेसर्स हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता

8103. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता ने किन बस्तुओं के निर्माण हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया था ;

(ख) उक्त कम्पनी को किस तारीख को लाइसेंस दिया गया था और इस कम्पनी ने किस तारीख को काम करना आरम्भ कर दिया था ;

(ग) क्या इस कम्पनी ने उन वस्तुओं के अतिरिक्त, जिनके लिये इसको लाइसेंस दिया गया था अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). मैसर्स हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 19-9-1952 के ग्लाशशीटों के उत्पादन के लिये पंजीकृत हुई, उसने शीट ग्लास की क्षमता जो बढ़ाने और नई वस्तुओं जैसे वायर्ड फिगर्ड ग्लास, पारभासक कांच रीडेड कांच के उत्पादन के लिये पर्याप्त विस्तार करने के हेतु आवेदन पत्र दिया था और तदनुसार 13-7-60 को विस्तार के लिये और 10-2-1961 को नई वस्तुओं के उत्पादन के लिये लाइसेंस प्रदान किये गये।

(ग) और (घ). फर्म ने सेफ्टी ग्लास के उत्पादन का प्रबन्ध भी कर लिया है ऐसी सूचना है, इस उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। सरकारी सूचना के अनुसार फर्म ने इस प्रकार का उत्पादन अभी प्रारम्भ नहीं किया है।

मैसर्स गुजदार कोल माइन्स लिमिटेड, तथा मैसर्स कलकत्ता सेफ डिपोजिट्स लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही

8104. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री 19 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4337 तथा 27 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 699 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स गुजदार कोल साइन्स लिमिटेड के विरुद्ध समवाय अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) ऐसे ही अपराधों के कारण मैसर्स कलकत्ता सेफ डिपोजिट्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध मुकदमों में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कम्पनी के सेफ डिपाजिट वाल्ट में जिन लोगों ने अपनी मूल्यवान वस्तुएं रखी हैं, उनके हितों की रक्षा किस प्रकार करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) क्या सम्बन्धित अंशधारियों के हितों की उपेक्षा करते हुए उक्त दोनों समवायों को बन्द करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) **गुजदार कोल माइन्स लिमिटेड**

जहां तक 31-12-1965 तक संतुलन पत्र तथा 30-6-1966 तक वार्षिक विवरण दर्ज न कराने का प्रश्न है, समवाय अधिनियम की धारा 162 (1) 168,210 (5) और 220 (3) के अन्तर्गत मुकदमा चलाये जाने के बाद भी यह त्रुटियां जारी रहीं। न्यायालय के निदेशों का पालन न करने के कारण अधिनियम की धारा 614 क (2) के अन्तर्गत उक्त दस्तावेजों के लिये 21-8-1968 को मुकदमा चलाया गया था जिसमें निदेशकों की दोषसिद्धि हुई थी। जहां तक 31-12-1966 को संतुलन पत्र दर्ज न कराने तथा 30-6-1967 तक वार्षिक विवरण न देने का प्रश्न है, धारा 162 (1), 168, 210 (5) और 220 (3) के अन्तर्गत 20-8-1968 को मुकदमा चलाया गया था जो न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा है। जहां तक 31-12-1967 तक संतुलन पत्र और 30-6-1968 तक वार्षिक विवरण देने का प्रश्न है 24-8-1968 और 6-9-1968 को क्रमश: दोष सम्बन्धी नोटिस जारी किये गये और मामलों पर कार्यवाही की जा रही है।

(ख) **मैसर्स कलकत्ता सेफ डिपोजिट्स कम्पनी लिमिटेड**

कम्पनी 31-3-1965 तक संतुलन पत्र देने में असफल रही और अधिनियम की धारा 210 (5) 220 (3) के अन्तर्गत मुकदमा चलाये जाने के बावजूद कम्पनी ने संतुलन पत्र नहीं दिये और 5-8-1967 को धारा 614 क (2) के अन्तर्गत और मुकदमा चलाया गया था। न्यायालय द्वारा मुकदमें की सुनवाई की गई थी और दोषी निदेशकों को छोड़ दिया गया था।

जहां तक 31-3-1966 तक कम्पनी का संतुलन पत्र देने का प्रश्न है 7-10-1967 को धारा 210 (5) और 220 (3) के अन्तर्गत मुकदमें चलाये गये थे। इस मामले में भी निदेशकों को छोड़ दिया गया था। जहां तक 31-3-1967 तक संतुलन पत्र देने तथा 30-9-1967 तक वार्षिक विवरण देने का प्रश्न है धारा 162 (1) 168, 210 (5) और 220 (3) के अन्तर्गत आवश्यक मुकदमें चलाये गये थे और ये मुकदमें अभी तक अनिर्णीत हैं।

(ग) उनके हितों से संरक्षण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि सेफ डिपाजिड लाकरों के मालिक अपनी इच्छानुसार जब भी चाहें अपनी मूल्यावान वस्तुओं आदि को निकाल सकते हैं, चाहे कम्पनी दिवालिया ही क्यों न हो जाये।

(घ) इन दोनों कम्पनियों को बन्द करने सम्बन्धी याचिकाएं देते समय अंशधारियों के हितों को ध्यान में रखा गया है। यह समझा गया है कि इन दोनों कम्पनियों के बन्द होने से अंशधारियों के हितों की आहुति नहीं दी जायेगी बल्कि कम्पनियों की आस्तियों की वसूली से उनके हितों का कुछ सीमा तक बचाव होगा। कम्पनी को बन्द किये बिना इसकी आस्तियां भी खत्म हो जायेंगी जोकि अंशधारियों के हितों के पूर्णतया विरुद्ध होगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारतीय दूतावास के एक अधिकारी की जकार्ता हवाई अड्डे पर गिरफ्तारी का समाचार

Shri Kameshwar Singh (Khagaria): I draw the attention of the Hon. Minister to the following matter of Urgent Public Importance and request him to give a statement:

"The reported Arrest of an Indian Embassy Official at Djakatra Airport."

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): 16-17 अप्रैल की रात को जकार्ता हवाई अड्डे की पुलिस ने जकार्ता स्थित भारतीय राजदूतावास के अमले के एक सदस्य को रोक लिया था। दूसरे दिन भारतीय राजदूतावास के हस्तक्षेप करने पर उसे छोड़ दिया गया था। हमारे राजदूत ने जो सूचना दी है उसके अनुसार यह काम वियना अभिसमय का उल्लंघन था। हमारे राजदूत ने इन्डोनेशिया की सरकार का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया है।

Shri Kameshwar Singh: The Hon. Deputy Minister has just now stated that the detention was in violation of the Vienna convention. I would like to know from the Hon. Minister as to when the news of this arrest was received in Delhi?

Secondly, this incident occurred on the night of April 16-17. I would like to know whether Indonesian Government have begged an appology from the Government of India in this regard?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : ज्योंही हमें इस घटना की सूचना मिली या यों कहिये कि ज्योंही जकार्ता स्थित हमारे राजदूत को इस घटना की सूचना मिली उन्होंने तुरन्त यह मामला जकार्ता के विदेश विभाग के साथ उठाया और सम्बद्ध अधिकारियों का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि यह गिरफ्तारी वियाना अभिसमय के विरुद्ध है। ज्योंही उनको यह बताया गया, उन्होंने सहयोग दिया और अन्ततः उस अधिकारी को रिहा कर दिया गया अतः क्षमायाचना का प्रश्न नहीं उठता।

Shri George Fernandes (Bombay South) : The Hon. Minister has not stated the reason for the arrest of the official. I want to know the reason which has been stated by Indonesian Government or the police officer concerned, which necessitated the arrest of an Indian Embassy official.

The Hon. Minister has stated that it was told to them that the detention was in violation of the Vienna Convention and after that the matter was treated closed. I want to know how this matter was closed so easily. We have seen that when any action is taken by us against any Embassy official of any foreign country, a big hue and cry is raised by the concerned Embassy and you have closed this matter so easily. I want to know whether any strong protest has been made in this matter.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं इस घटना का कुछ और ब्योरा देना चाहता हूं। सम्बन्धित अधिकारी का नाम श्री सब्बरवाल है। वह जकार्ता स्थित भारतीय दूतावास में लिपिक हैं। वह 16 तारीख की रात को अपने कुछ अतिथियों अथवा संबंधियों का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर गया था। जब उसके सम्बन्धी नहीं आये तो उसने वापस जाने का निर्णय किया। जब वह भवन से बाहर निकल रहा था, उस समय दो अथवा तीन व्यक्ति जिनमें से एक के हाथ में एक सूटकेस था उसके पास आये और उससे पूछा कि क्या वह सूटकेस उसका था। इससे पहले कि वह कोई उत्तर देता, दो तीन पुलिसमैन भी वहां आ गये और उन्होंने भी वही प्रश्न किया कि क्या वह सूटकेस उसका है। उसने कहा कि वह सूटकेस उसका नहीं है। इसके बाद उसे थाने चलने को कहा गया और वहां उसे रोक लिया गया। इसके बाद 17 तारीख को सुबह लगभग 2 बजे वह भारतीय दूतावास से सम्पर्क स्थापित कर सका। हमारे दूतावास ने तुरन्त इस मामले की ओर इन्डोनेशिया के सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान दिलाया और उन्हें बताया कि यह गिरफ्तारी गैर कानूनी है तथा वियाना अभिसमय के विरुद्ध है। इन्डोनेशिया के अधिकारियों ने उसे रिहा कर दिया। हमारे राजदूत का अनुमान है कि यह घटना पुलिस की गलतफहमी के कारण हुई। हमें इस घटना को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। अग्रेतर कार्यवाही के रूप में हमने अपने राजदूत के माध्यम से इन्डोनेशिया को विरोध पत्र भेज दिया है जिसमें कहा गया है कि यह गिरफ्तारी गैर कानूनी, गैर जरूरी तथा वियाना अभिसमय के विरुद्ध थी और हम आशा करते हैं कि ऐसी घटना भविष्य में नहीं होगी। हमने दिल्ली स्थिति उनके कार्यवाहक राजदूत को भी बुलाया था और उसे भी इस गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अपनी राय बता दी है, ताकि वह तदनुसार इन्डोनेशिया के अधिकारियों को सूचित करे।

Shri George Fernandes : The Hon. Minister has not replied to my points. I wanted to know the charges levelled against that official. He has not stated to whom that suit case belonged. After all Indonesian Government must have told the charges on which he was arrested. I want to know whether he was charged with theft or smuggling. It has also not been told as to what were the contents of that suit case, whether there were some smuggled or contraband articles in that suit case.

The Hon. Minister has stated that Shri Sabarwal went to the airport to receive his relatives who were arriving there by a particular flight. After all Shri Sabarwal is an Embassy official and it is expected from him that he must be knowing by which flight his relatives were arriving. It is credible that he came to know about the non-arrival of his relatives only after reaching there. I want to know when his relatives who were expected by that particular flight reached there.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : उस पर लगाये गये आरोपों के बारे में मेरा उत्तर यह है कि उस पर स्थानीय पुलिस द्वारा चोरी का आरोप लगाया गया था । यह आरोप जबानी लगाया गया था। उनका कहना था कि उसने किसी अन्य व्यक्ति का सूटकेस चुराया था । परन्तु बाद में उस आरोप को सिद्ध नहीं किया गया और ज्योंही इस मामले में हस्तक्षेप किया गया, उसे रिहा कर दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : सूटकेस में क्या वस्तुएं थीं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : उस सूटकेस को खोला नहीं गया था । उसे हमारे सामने पेश भी नहीं किया गया था । अतः हमें पता नहीं है कि उसमें क्या वस्तुएं थीं । उस पर जो आरोप लगाया गया था, उसकी भी पैरवी नहीं की गई थी । जहां तक रिश्तेदारों के स्वागत का सम्बन्ध है, अपने रिश्तेदारों का स्वागत करना भारतीय दूतावास के कर्मचारी के लिये एक सामान्य बात है । इस मामले में उसके रिश्तेदार दूसरे हवाई जहाज द्वारा अगले दिन वहां पहुंचे थे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड और हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं श्री फरूद्दीन अली अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) (क) हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-937/69]

(दो) (क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान फोटो मिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 938/69]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 416 के हिन्दी संस्करण की एक प्रति जो दिनांक 22 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०- 939/69]**

अशोक होटल्स तथा जनपथ होटल्स लिमिटेड के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) जनपथ होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनपथ होटल्स, लिमिटेड, नई दिल्ली का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 940/69]

चुने हुए संगठनों का कार्य निष्पादन बजट, 1969-70 खण्ड दो

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्री प्र० चं० सेठी की ओर से चुने हुए संगठनों के कार्य निष्पादन बजट, 1969-70 खण्ड दो की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 941/69]**

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
87वां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया : वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्रालय—ऊन, नायलोन, ऊनी धागे तथा ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए अन्य ऊनी उत्पादों का आयात तथा अक्तूबर, 1962 से विभिन्न एककों को उनके आवंटन के बारे में प्राक्कलन समिति का 87वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

36वां, 53वां, 61वां, 67वां, 75वां, 76वां, 77वां, 78वां, 79वां, 80वां, 81वां और 82वां प्रतिवेदन

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के दूसरे, तीसरे और सातवें प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

(2) प्रतिरक्षा सेवाओं के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 51वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) और 19वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 53वां प्रतिवेदन।

(3) शिक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 61 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) और 14वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 61वां प्रतिवेदन।

(4) अतिरिक्त भुगतान तथा परिहार्य व्यय के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 60 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 67वां प्रतिवेदन।

(5) शिक्षा, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता उद्योग मन्त्रालयों तथा समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 59 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 75वां प्रतिवेदन।

(6) राजस्व प्राप्तियों—आयकर तथा सामान्य—के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 17 वें और 29 वें प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 76वां प्रतिवेदन।

(7) राजस्व प्राप्तियों—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क—के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 24 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 77वां प्रतिवेदन ।

(8) बाल चलचित्र सोसायटी के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 42 वें और 62 वें प्रतिवेदनों (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 78वां प्रतिवेदन ।

(9) वित्त, औद्योगिक विकास तथा कम्पनी-कार्य (औद्योगिक विकास विभाग) तथा इस्पात, खान तथा धातु (लोहा तथा इस्पात और खान तथा धातु विभाग) मंत्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखे (सिविल) 1965-66 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, (सिविल), 1967 के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 26 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 79वां प्रतिवेदन ।

(10) सड़क कूटने के इंजनों की खरीद के बारे में लोक लेखा समिति के पहले प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के बारे में उसके 28 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 80वां प्रतिवेदन ।

(11) त्रुटिपूर्ण टायरों की खरीद के बारे में लोक लेखा समिति के 64 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के बारे में उसके चौथे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 81वां प्रतिवेदन ।

(12) सूचना तथा प्रसारण, निर्माण, आवास तथा पूर्ति (निर्माण, आवास विभाग) तथा खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता (कृषि तथा खाद्य विकास) सम्बन्धी विनियोग लेखे (सिविल) 1965-66, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1967 तथा लेखापरीक्षा तथा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1967के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 27 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 82वां प्रतिवेदन ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
PUBLIC UNDERTAKINGS COMMITTEE

32वां, 35वां, 40वां, 41वां, 45वां, 46वां तथा 49वां प्रतिवेदन

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरनतारन) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 9 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 32वां प्रतिवेदन ।

(2) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1962—अध्याय आठ तथा नौ—पर लोक लेखा समिति (तीसरी लोक सभा) के सातवें प्रतिवेदन में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बारे में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 35 वां प्रतिवेदन ।

(3) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1963 पर लोक लेखा समिति (तीसरी लोक सभा) के 23 वें प्रतिवेदन में सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 40वां प्रतिवेदन ।

(4) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के छठे प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 41वां प्रतिवेदन ।

(5) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की मिश्रित इस्पात परियोजना तथा कोयला धोने के कारखानों की परियोजना के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 31 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 45वां प्रतिवेदन ।

(6) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में 46 वां प्रतिवेदन ।

(7) भारत के औद्योगिक वित्त निगम के बारे में 49वां प्रतिवेदन ।

वित्त विधेयक
FINANCE BILL

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1969-70 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्यरूप देने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि किस विधेयक पर विचार किया जाये । दो विधेयक हैं, जिनमें से एक 28 फरवरी, 1969 को पुर:स्थापित किया गया था और जिसे पहले परिचालित किया गया था और दूसरे विधेयक को बाद में परिचालित किया गया था । हमें ऐसी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है जिसके अनुसार पहले विधेयक में संशोधन शामिल करके और उसकी दूसरी प्रति को परिचालित करके संशोधन किये जा सकते हैं । यदि दोनों विधेयक समान होते तो भी कोई बात नहीं थी, दोनों में से किसी एक पर विचार किया जा सकता था । परन्तु दोनों विधेयकों को मोटे तौर पर देखने से ही

ज्ञात हो जाता है कि दोनों में अन्तर है। वित्त विधेयक का निर्वाचन कर-अधिकारियों तथा न्यायालयों द्वारा किया जाता है। अतः इस विधेयक के प्रति अवहेलना का भाव नहीं रखा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मूल विधेयक भी वैसा है जैसा कि दूसरा तथा इनमें कोई अन्तर नहीं है सिवाय इसके कि इसमें पंक्ति संख्या दी गई है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : जी, नहीं, कई स्थानों पर अन्तर है। आप देखिये मूल विधेयक में "पृष्ठ 57 पर" आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 उल्लिखित है, जबकि नये विधेयक में अन्य शब्द उल्लिखित हैं। मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि सही प्रति कौन सी है। इस समय तो हम यह ही नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से विधेयक पर विचार किया जाना है। मंत्री महोदय द्वारा यह बताये जाने के बाद कि कौन सा विधेयक सही है, मैं दो अथवा तीन व्यवस्था के प्रश्न और उठाऊंगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : A point of order was raised by me on the Budget day also, but at that time you did not give due weight to my point. Now this point will be raised again and again. I support the point raised by Shri Srinibas Misra and appeal to you that due weight should be given to this matter. The business of the House should be transacted in accordance with the Rules.

श्री मोरारजी देसाई : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने दूसरा विधेयक परिचालित नहीं किया। इसे लोक सभा सचिवालय द्वारा परिचालित किया गया है और इसमें विधेयक की संख्या दी गई है। वास्तव में दोनों विधेयकों में कोई अन्तर नहीं है। एक विधेयक में आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 लिखा हुआ है तथा दूसरे में 1947 का 18वां अधिनियम लिखा हुआ है। वास्तव में इन दोनों बातों में कोई अन्तर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल विधेयक सभा के समक्ष है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : यह कैसे हो सकता है ? संशोधन नये विधेयक के अनुसार दिये गये हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपको याद होगा कि जिस समय बजट भाषण दिया गया था, उस समय उसमें कृषि सम्पत्ति पर धन कर के बारे में एक नया पैरा जोड़ा गया था। यह पैरा पहले नहीं था तथा मंत्री महोदय ने उसे उसी समय जोड़ा था। उस समय हमने इस पर आपत्ति की थी, क्योंकि भाषण की मूल प्रति में यह शामिल नहीं था। वित्त विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के समय भी इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया था। कुछ तकनीकी आपत्तियां उठाई गई थीं, परन्तु उस समय हम चुप रहे थे। परन्तु इस समय वित्त विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। यह विधेयक वर्ष 1969 के मूल विधेयक से बिल्कुल भिन्न है। अतः प्रश्न यह उठता है कि क्या विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के बाद उसमें संशोधन करने का वित्त मंत्रालय को अधिकार है। इसमें संशोधन तो सभा द्वारा ही किया जा

सकता है, न कि वित्त मंत्रालय द्वारा। इस समय सभा के समक्ष दो विधेयक हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिये। अतः मेरी राय है कि वित्त मंत्री इस विधेयक को प्रमाणीकृत करें कि यह मूल विधेयक है अन्यथा दूसरा विधेयक निष्प्रभावी हो जायेगा।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The Hon. Minister has stated that the other Bill has been circulated by the Lok Sabha Secretariat. I want to know whether the Lok Sabha Secretariat has got the right to make improvements and amendments in the Bill ?

उपाध्यक्ष महोदय : मूल विधेयक को यहां पुरःस्थापित किया गया था। अतः उसमें संशोधन करने का कोई प्रश्न नहीं है। हम उसी विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, जो यहां पुरःस्थापित किया गया था।

श्री स० मो० बनर्जी : फिर दो विधेयक क्यों हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : शायद माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये।

श्री स० मो० बनर्जी : हम एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार कर रहे हैं। सभा की अनुमति के बिना तो एक अर्धविराम अथवा पूर्णविराम को भी नहीं बदला जा सकता। इसमें सदस्यों की सुविधा का प्रश्न नहीं है।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मंत्री जी ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि जहां तक उनका सम्बन्ध है वह पहले विधेयक को, जो उन्होंने पुरःस्थापित किया था, मान्यता देते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि दूसरा विधेयक लोक सभा सचिवालय द्वारा वितरित किया गया है। क्या इसका अर्थ यह है कि लोक सभा सचिवालय द्वारा अप्रमाणीकृत तथा अनधिकृत दस्तावेजों का वितरण किया जाता है ? हमें तो सब दस्तावेज लोक सभा सचिवालय द्वारा ही दिये जाते हैं, तो क्या हम समझें कि वे अप्रमाणीकृत होते हैं ? इस समय हमारे पास दो दस्तावेज हैं तथा हम नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा दस्तावेज सही है। यदि माननीय मंत्री कहते हैं कि पहला दस्तावेज सही है, तो दूसरे दस्तावेज की जिम्मेदारी किस पर है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका उत्तर नहीं देंगे, इसलिये मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। हमारा झगड़ा उनसे नहीं है, हमारा झगड़ा आप से है। आप हमें उपाय बताइये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री नाथपाई को बताना चाहता हूं कि केवल एक स्थान पर "वर्ष 1947 का 18वां" यह व्याख्यात्मक टिप्पणी जोड़ा गया है। इन पंक्तियों के बारे में यह भी लिखा गया है "सुविधा के लिये"। इसके अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं है। परन्तु यदि इसके अतिरिक्त भी कोई अन्तर होगा तो मूल विधेयक को जिसे पुरःस्थापित किया गया था, सही माना जायेगा।

श्री मोरारजी देसाई : दोनों विधेयकों का सार समान है।

श्री नाथपाई : यदि दोनों विधेयक समान हैं, तो दो विधेयक क्यों दिये गये हैं, एक ही क्यों नहीं ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये लोक सभा सचिवालय द्वारा ऐसा किया गया है। यदि माननीय सदस्यों को आपत्ति है तो भविष्य में ऐसा नहीं किया जायेगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या कोई भी, चाहे वह लोक सभा सचिवालय हो अथवा हम में से कोई सदस्य, अपनी सुविधा के अनुसार सरकारी दस्तावेज में संशोधन कर सकता है ? हम करों के सम्बन्ध में विधान बना रहे हैं, क्या इसमें किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार किन्हीं शब्दों को जोड़ा जा सकता है ? जहां तक लोक सभा सचिवालय का प्रश्न है, मंत्री महोदय ने अपने को बचाने के लिये लोक सभा सचिवालय पर आरोप लगाया है। मंत्री महोदय यह कह कर कि दोनों दस्तावेज बिल्कुल समान हैं, होशियारी दिखा रहे हैं।

श्री मोरारजी देसाई : मैं होशियारी शब्द पर आपत्ति करता हूं। मैंने लोक सभा सचिवालय पर कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने तो केवल यही कहा था कि उसे लोक सभा सचिवालय द्वारा परिचालित किया गया है। शायद माननीय सदस्य मुझसे अधिक चालबाजी से काम ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शांति शांति, यह ठीक नहीं है। यह कहा गया है कि दो व्याख्यात्मक शब्दों के अतिरिक्त दोनों दस्तावेजों में कोई अन्तर नहीं है। फिर भी यदि किसी अन्य स्थान पर भी कोई तबदीली हुई तो हम मूल विधेयक को, जिसे पुरःस्थापित किया गया था, सही मानेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये ऐसा किया गया है और आशा करता हूं कि श्री नाथ पाई तथा श्री मुकर्जी इस मामले पर और अधिक समय नष्ट नहीं करेंगे। माननीय सदस्य इस मामले पर अधिक जोर न दें। यदि कोई माननीय सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे विधेयक का उल्लेख करना चाहे तो ऐसा कर सकता है, परन्तु संशोधन पहले विधेयक के, जो कि सभा में पुरःस्थापित किया गया था, अनुसार ही पेश किये जायेंगे।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मेरा व्यवस्था का दूसरा प्रश्न यह है। आप कृपया नियम 70 देखिये, जो इस प्रकार है :—

"जिस विधेयक में विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिये स्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हों, उसके साथ एक और ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याख्या होगी और उनकी व्यापति की ओर ध्यान दिलाया जायेगा तथा यह भी बताया जायेगा कि वे सामान्य रूप की हैं अथवा अपवादस्वरूप की"

विधेयक के उपबन्धों से ज्ञात होता है कि खण्ड 28 तथा 32 दोनों में करों का विनियमन करने के लिये शक्तियों का प्रत्यायोजन अन्तर्ग्रस्त है। इसलिये यहां नियम 70 लागू होता है। इन खण्डों के सम्बन्ध में ज्ञापन प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, वह क्यों नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने खण्ड 28 तथा 32 को पढ़ा है। इनमें शक्तियों का कुछ प्रत्यायोजन अन्तर्ग्रस्त है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बात को देखते हुए वह ज्ञापन को ठीक करें। इस आधार पर अब हम आगे कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि यह वित्त विधेयक है तथा कोई सामान्य चर्चा नहीं है। मैं समझता हूं कि ज्ञापन के बिना इस सम्बन्ध में आगे चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में स्पष्टीकरण दें।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य को, मैं उनके विश्लेषण के लिये बधाई देता हूं। ये तकनीकी बातें हैं, फिर भी मैं यह नहीं कहता कि उनकी अवहेलना की जानी चाहिये। इस बात का उल्लेख किया गया है कि चूंकि खण्ड 26 में किसी दर का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिये वास्तव में यह प्रत्यायोजन है। अन्य सब शुल्कों में अधिकतम दरों का उल्लेख किया गया है तथा उसके अन्दर-अन्दर सरकार निर्धारित कर सकती है। हमेशा ऐसी ही प्रथा रही है। इसलिये इस दृष्टि से यह प्रत्यायोजन नहीं है, क्योंकि सरकार अधिकतम से अधिक कर नहीं लगा सकती है। यह सभा की प्रथा रही है और इसीलिये ऐसा किया गया है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसका भी उल्लेख किया जाये, तो भविष्य में ऐसा अवश्य किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 32 के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : खण्ड 28 तथा 32 में कोई अन्तर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि खण्ड 28 तथा 32 में कुछ प्रत्यायोजन है। परन्तु माननीय मंत्री का कथन है कि पहले यह प्रथा रही है कि नियमित शुल्क की अधिकतम तथा न्यूनतम दर का उल्लेख किया जाता रहा है तथा उसके साथ-साथ कुछ शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता रहा है, जिनका उल्लेख नहीं किया जाता।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलावा) : केवल इतना कहना कि यह प्रथा रही है, पर्याप्त नहीं है। इस समय हम वित्त विधेयक पर विचार कर रहे हैं तथा हमें बहुत सतर्क रहना चाहिये। मंत्री महोदय ने यह बात स्वीकार की है कि अधिकतम का उल्लेख किया गया है परन्तु एक तरह से अधिकतम निर्धारित करने की सरकार को छूट दी गई है। इसको ही प्रत्यायोजन कहते हैं। खण्ड 26 के बारे में उन्होंने स्वीकार किया है कि यह असीमित प्रत्यायोजन है। परन्तु इस विशिष्ट मामले में खण्ड 32 में भी अधिकतम सीमा तक प्रत्यायोजन किया गया है। अतः जब तक विधेयक में उन बातों का उल्लेख नहीं किया जाता जिन्हें सभा चाहती है। तब तक इस मामले में आगे विचार नहीं होना चाहिये। पहले जो गलती होती रही है, इस समय भी दोहराना ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री ने कहा है कि कई वर्षों से इस सभा में इस प्रथा का पालन किया जाता रहा है। श्री कुन्टे का मत है कि यदि किसी प्रक्रिया को चाहे उसका कितने ही वर्षों से पालन किया जाता रहा है, चुनौती दी जाती है तो वह बात संगत हो जाती है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह बात ठीक है। इसलिये इस ज्ञापन में कुछ संशोधन की आवश्यकता है और वह संशोधन कर दिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : संशोधन के बिना कार्यवाही को आगे बढ़ाना सम्भव नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई : मैं इसे स्वीकार करता हूं, परन्तु..... (**अन्तर्बाधायें**)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उसे आज परिचालित किया जाये और इस कार्यवाही को कल लिया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसे बहुत से मामले हुये हैं जिनमें विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभा के सम्मान की रक्षा करें। दो अथवा तीन घण्टों का विलम्ब होने से कोई हानि नहीं होगी।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : विधेयक के खण्ड 24 के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण आक्षेप लगाया गया है जिसके अनुसार कृषि भूमि को सम्पत्ति कर के अन्तर्गत लाने के लिये परिसम्पत्ति की पुनः व्यवस्था की जा रही है।

संविधान के अनुसार कृषि-भूमि का मूल्य तथा इसके द्वारा प्राप्त आय राज्य विषय के अन्तर्गत आता है, सातवीं अनुसूची की सूची के प्रविष्टि 82 में लिखा है कि कृषि आय को छोड़कर शेष अन्य आय पर कर। यह केन्द्रीय विषय है। प्रविष्टि 86 में यह उल्लिखित है कि कृषि भूमि को छोड़कर लगान पूंजी एक केन्द्रीय विषय है।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि उन्होंने महान्यायवादी से सलाह मशविरा किया है जिन्होंने कहा है कि कृषि भूमि को परिसम्पत्ति के अन्तर्गत लाया जा सकता है। यह आश्चर्य का विषय है। मैं नहीं जानता कि महान्यायवादी ने यह राय कैसे दी है। यह आवश्यक है कि महान्यायवादी को यहां बुलाया जाये ताकि वे अपनी स्थिति स्पष्ट करें। स्पष्टतः संविधान इसके विरुद्ध है।

राज्य सूची के सूची 2 के प्रविष्टि 46 से 49 में कहा गया है कि अगर भूमि तथा भवन पर कर लगाने का सम्बन्ध है तो यह राज्य सूची के अन्तर्गत आयेगा और संघ सूची में नहीं होगा। अतएव संसद् कृषि भूमि पर कर लगा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री महोदय ने महान्यायवादी के दृष्टिकोण को सभा के समक्ष रख दिया है। मैं नहीं समझता कि उच्चतम कानूनी विशेषज्ञ की राय प्राप्त हो जाने पर मामलों को पुनः यहां प्रस्तुत किया जाये, फिर भी आप महान्यायवादी को यहां बुलाने के लिये स्वतंत्र हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): You might aware that I tried to express my opinion as soon as the Finance Bill was introduced. I was entitled to express my viewpoints but th Speaker did not allow me. I want to raise one thing that this Finance Bill does not come under the Rule 219. Therefore we have no right to discuss over it. The Financial proposals of the Government come in this Bill. But there is no reflection as such in this bill. Therefore it is not a financial bill. There is a great difference between Finance Bill and Financial Bill. The Finance Bill should reflect the items contained in the Budget Speech. The Bill should be reintroduced afresh.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मेरा निवेदन है कि संघ सूची के प्रविष्टि 86 में स्पष्ट है कि कृषि सम्पत्ति पर कर का लगाना शामिल नहीं है। संविधान के अन्तर्गत जिन पर कर लगाना शामिल नहीं है उन पर अवशिष्ट शक्तियों के अन्तर्गत कर नहीं लगाया जा सकता है। चाहे महान्यायवादी कहें या न कहें। नहीं तो इसके लिये आपको भारत के संविधान में परिवर्तन लाना होगा।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण के परिशिष्ट में यह कहा है कि वास्तविक किसानों पर कृषि सम्पत्ति कर लागू नहीं होगा, उदाहरण के लिये अगर कोई व्यापारी फार्म लेकर उस पर कृषि करता है तो उस पर कृषि कर लगेगा। परन्तु एक वास्तविक किसान कृषि कार्य के लिये फार्म का विकास करता है तो उस पर कृषि कर नहीं लगेगा। अतएव संविधान के अनुसार यह भेदभाव करने वाली बात होगी। इसलिए यह प्रस्ताव असंवैधानिक है और इस पर सभा द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : सम्भवतः वित्त मंत्री महोदय ने आक्षेप का पूर्वानुमान लगा लिया और इसलिए महान्यायवादी से इस बारे में सलाह लेकर सभा के समक्ष रखी। परन्तु इस प्रकार से संसद के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। मैं आपका ध्यान इससे पूर्व की हुई घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जब कि अनिवार्य जमा योजना को लागू किया गया था और इसके लिए यहां पर महान्यायवादी को बुलाया गया था, अतएव मेरा विनीत अनुरोध है कि इसके लिये भी महान्यायवादी को यहां बुलाया जाये। चूंकि इसके बारे में दो राय हैं अतएव महान्याय-वादी को यहां आकर वक्तव्य देना चाहिये यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेरा विश्वास है कि देश ने कृषि को कुछ दिया है अतएव उसको एक भाग भी लेने का अधिकार है। मेरी जो आपत्ति है वह संवैधानिक है। इसलिए मेरी संवैधानिक आपत्ति को कृषि कर सम्बन्धी आर्थिक पहलू से न जोड़ा जाये। यह हमारा अधिकार है कि हमारी शंकाओं को दूर किया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरे माननीय मित्र श्री नाथपाई ने कहा है कि जब अनिवार्य जमा योजना को इस सभा में पुरःस्थापित किया गया तो यह सवाल हुआ कि क्या यह उचित है या अनुचित, अतएव महान्यायवादी को बुलाया गया था तथा उनसे प्रश्न किये गये। अब वित्त मंत्री महोदय कहते हैं कि महान्यायवादी से सलाह मशविरा किया गया था। मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि या तो महान्यायवादी की लिखित राय को सभा-पटल पर रखा जाये नहीं तो उन्हें यहां बुलाया जाये।

श्री मोरारजी देसाई : अगर सभा यह चाहती है कि महान्यायवादी को यहां बुलाया जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे यहां आकर भाषण दे सकते हैं। दूसरी बात आपने श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर अपना निर्णय नहीं दिया है। हम इस पर आपका निर्णय चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा 2.15 म० प० तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.15 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till quarter past Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर 16 मिनट (म० प०) पर पुनः समवेत हुई।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at Sixteen Minutes past Fourteen of the Clock.

सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में
REGARDING ARREST OF MEMBERS

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : आज सबेरे 11.30 बजे श्री गोपालन, श्री चक्रपाणि और श्री ज्योतिर्मय बसु को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। यह घटना तब हुई जब वे संसद में आ रहे थे।

दूसरा समाजवादी युवा संघ से सम्बन्धित 56 बेरोजगार व्यक्तियों को जो कि केरल से आये थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वे इस सभा को अभ्यावेदन देना चाहते थे परन्तु उन्हें रोक दिया गया। इस प्रश्न को गम्भीरता से लेना चाहिए तथा मंत्री महोदय को इस पर वक्तव्य देना चाहिए। आप सरकार को उन तीन माननीय सदस्यों को तुरन्त रिहा करने को कहिए ताकि वे सभा में उपस्थित हो सकें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : नियम 229 के अनुसार अगर कोई सदस्य किसी अपराध के आरोप अथवा अन्य आरोप में पकड़ा अथवा दण्डित किया जाता है तो सम्बन्धित न्यायाधीश अथवा मैजिस्ट्रेट सभापति महोदय को गिरफ्तार किये जाने के कारणों को बताएंगे। क्या उन्होंने इस मामले में कुछ किया है। केरल से ये बेरोजगार व्यक्ति यहां आकर सभा में एक याचिका पेश करना चाहते थे। मेरा अनुरोध है कि आप इस पर विचार करें। क्या आपको इसके बारे में कोई सूचना मिली है अगर नहीं तो यह लज्जा की बात है। आज संसद् की तीन समितियों में मतदान होने वाला है। क्या हम यह कहें कि संसद् सदस्यों को मतदान में भाग लेने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक तीन संसद् सदस्यों का प्रश्न है, मैं मंत्री महोदय से तथ्य पता करके सभा-पटल पर रखने के लिए कहूंगा। मुझे और कोई सूचना नहीं मिली है। आपने केरल से आए व्यक्तियों के बारे में सरकार को बताया है और सरकार इसको ध्यान में रखेगी ।

श्री उमानाथ : प्रश्न मंत्री महोदय के वक्तव्य से नहीं है अपितु तीन सदस्यों से है जो कि इस सत्र में उपस्थित होने आ रहे थे। उनको यहां उपस्थित होने से रोका गया है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे हिरासत में हैं। उनको इस सभा में उपस्थित होने का अवसर मिलना चाहिए। अगर आप केवल मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए कहेंगे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। उनको अवश्य ही सभा में उपस्थित होने का अवसर मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्यों से अवगत होना है। अगर ऐसी कोई बात हुई है जिससे सभा का अपमान हुआ है तो हम इसको देखेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : अगर उन तीन संसद् सदस्यों को 4·30 बजे तक नहीं छोड़ा गया तो वे संसद् की तीन समितियों के महत्वपूर्ण चुनावों में मतदान नहीं कर सकेंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अगर उनको सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आते समय गिरफ्तार किया गया है तो वास्तव में ही यह गम्भीर बात है ऐसे शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए जिससे उनको रिहा किया जा सके तथा वे सभा की कार्यवाही में भाग ले सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानते ही हैं कि अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो गिरफ्तारी से कोई छुटकारा नहीं है। सभा के प्रसीमा में कोई भी पुलिस आकर गिरफ्तार नहीं कर सकती है परन्तु बाहर वे कानून भंग करने के अपराध में गिरफ्तार कर सकते हैं।

जहां तक सूचना का प्रश्न है, मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है। मंत्री महोदय आवश्यक कदम उठायेंगे।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : यहां लोग अपने महत्वपूर्ण मामलों को लेकर आते हैं और यह सरकार उनका दमन करती है। संसद् सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है। यह सब क्या हो रहा है।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : आज सबेरे 3 संसद् सदस्य गिरफ्तार किये गये हैं और हम उत्सुक हैं कि वे इस सभा में उपस्थित हों। सभा इस बात के लिए उत्सुक है कि उसे उनके बारे में सूचना उपलब्ध कराई जाये। मगर मालूम यह होता है कि मंत्रियों को इस बारे में कोई सूचना ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप बता सकते हैं कि यह कब हुआ ?

एक माननीय सदस्य : 11 बजे।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार उनको सूचना देनी चाहिए थी। इस शहर में अगर किसी भी कारण से तीन संसद् सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है तो इसकी सूचना शीघ्र देनी चाहिए।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : गृह-कार्य मंत्री श्री चह्वाण बाहर गये हुये हैं। गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शुक्ला राज्य सभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे हैं। हमने उन्हें यहां आने के लिए कहा है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): You are right in this respect that if any member commits any offence then he should be arrested. But do you not agree that if he involves himself in a bailable offence then whether he should not be released on bail immediately so that he may attend and vote in Committee elections.

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब बातों पर विचार किया जायेगा।

वित्त विधेयक—जारी
FINANCE BILL—Contd.

श्री रंगा (श्री काकुलम) : यह हम सब जानते ही हैं कि भूमि को राज्य की सूची में रखा गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सूची में भी यह स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा तीसरी सूची भी है जिसके अन्तर्गत जो विषय राज्य सूची अथवा केन्द्रीय सूची के अन्तर्गत नहीं आते उन्हें केन्द्रीय सूची में रखा जाता है। जब कृषि में हरी क्रांति हुई तो वे किसानों को करारोपण के केन्द्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत लाना चाहते हैं। अतएव उनको इस कराधान में शामिल किया गया है।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि महान्यायवादी चाहे कुछ भी कहें परन्तु अगर आपने हमारी चेतावनियों की ओर ध्यान नहीं दिया तथा इसको कराधान में शामिल किया तो मैं किसानों की ओर से धन इकट्ठा करके उच्चतम न्यायालय में इस मामले को ले जाऊंगा ताकि इसको रद्द किया जा सके। फिर भी उपाध्यक्ष महोदय अपने सामान्य ज्ञान से यह सोचें कि क्या यह सभा अथवा केन्द्र के अधिकार के अन्तर्गत आता है।

ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इस विधेयक अथवा इसके इस भाग पर चर्चा करना सभा के अन्तर्गत आता है। अतएव इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए तथा किसी भी तरह इसे पारित नहीं करना चाहिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे विधेयक के इस भाग को सभा के अधिकार सीमा से बाहर घोषित कर दें और वित्त विधेयक पर बिना इस भाग के चर्चा होने दें तथा मतदान करायें। जहां तक कृषि भूमि पर सम्पत्ति कर लगाने का सम्बन्ध है, मैं चाहूंगा कि वे इसे इस सभा के अधिकार सीमा के बाहर घोषित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था कि क्या सभा कृषि सम्पत्ति पर कर लगा सकती है। वित्त मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार कर लिया है और महान्यायवादी को यहां बुलाया है। फिर भी जब वह खंड सभा के समक्ष आयेगा तभी उस पर चर्चा की जायेगी तथा महान्यायवादी को उस पर विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया जायेगा। अगर भाषण देने के बाद भी संदेह रह जाता है तो इस पर अध्यक्ष अपना स्वविवेक निर्णय दे सकते हैं। परन्तु अगर इस पर निर्णय उच्चतम न्यायालय में ही देना है तो तब यह मामला वहीं जायेगा। इस बारे में इस समय मेरा कुछ कहना सम्भव नहीं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The Finance Bill contains those proposals of the Budget Speech which are to be implemented. I submit that twenty fourth clause of the Finance Bill is not in accordance with the budget proposals. If it is changed then there will be great difference in the estimate of the receipts. If the Government want to alter the policy theu it can be done through amendment. But I am talking about the budget speech. The proposals contained in the budget speech do not conform with the proposals of Finance Bill and in this way it is not a Finance Bill in accordance with the Constitution. First you declare that it is not a Finance Bill and ask the Finance Minister to deliver his speech after making amendment, then only the Finance Bill will be according to the Budget and the Rule of the Constitution.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : मेरे माननीय मित्र का कहना है कि मैंने उसमें कुछ जोड़ा है और इस प्रकार सारे तथ्य ही बदल दिये हैं, परन्तु अगर मैंने ऐसा किया है तो इसका मुझे अधिकार है। संविधान अथवा अन्य कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वक्तव्य हमेशा लिखित होना चाहिए। ऐसा इसलिये किया जाता है ताकि सदस्य उसे भली भांति समझ सकें। मैं इसको अन्तिम समय में भी बदल सकता हूं। अतएव इसका प्रश्न ही नहीं उठता कि नियम 219 का उल्लंघन किया गया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह विधेयक उस नियम के अनुरूप नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सुस्पष्ट है कि वक्तव्य में निहित वित्तीय प्रस्ताव उस वित्त विधेयक के अनुरूप होना चाहिये जो कि सभा पटल पर रखा जाता है। सरकार को यह अधिकार है कि अन्तिम समय तक इसमें संशोधन ला सकती है। यह प्रश्न इसलिये उत्पन्न हो गया क्योंकि एक विशेष वक्तव्य अथवा अनुबंध बाद में परिचालित किया गया।

श्री मधु लिमये : क्या यह अनुबंध या संशोधन है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अनुबंध।

श्री मधु लिमये : अगर यह वक्तव्य का अनुबंध है तो यह विधेयक का संशोधन कैसे हो सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह ऐसी भूल है जिसके कारण इस विधेयक को अमान्य घोषित कर दिया जाये और सरकार को इसे पुनः पुरस्थापित करने को कहा जाये ? वित्त मंत्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि केवल इसको छोड़कर बाकी सभी मुख्य बातें इस विधेयक में उल्लिखित

हैं परन्तु उनका कहना है कि वे उचित समय पर वित्त विधेयक में आवश्यक संशोधन करेंगे। यह समय तभी आयेगा जब हम इस पर खण्डवार चर्चा करेंगे। अतएव ऐसी कोई बात नहीं है कि इसे अमान्य कर दिया जाये।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मैं काश्तकारी कानून की धारा 3 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें 'भूमि' की परिभाषा दी हुई है। क्या पम्पिंग सेट्स तथा नलकूप 'भूमि' की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर उन्हें किसी महसूल पर आपत्ति है तो वे उचित समय पर इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : मैं पम्पिंग सेट्स पर कोई कर नहीं लगा रहा हूं। इसलिये इसको न उठाया जाये।

बजट वक्तव्य में जो महत्वपूर्ण बातों की व्याख्या मैंने दी थी उनको व्याख्यात्मक ज्ञापन द्वारा सब माननीय सदस्यों को परिचालित कर दिया गया था अतएव मैं इस पर और कुछ कह कर मैं सभा का समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं केवल विधेयक के उपबन्धों में लाये जाने वाले परिवर्तनों की ही व्याख्या करूँगा।

माननीय सदस्यों ने जो अमूल्य सुझाव दिये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि इससे संशोधनों को लाने में बड़ी मदद मिली है।

विधेयक में अग्रिम कर का भुगतान करने की योजना को सरलीकरण तथा युक्तसंगत बनाने के लिये प्रस्ताव हैं। कम्पनियों का कुछ वर्ग 31 दिसम्बर को अपना खाता बंद कर रहा है और अग्रिम कर की अन्तिम किस्त 15 दिसम्बर तक देने से उनको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अतएव मैं एक उपबन्ध द्वारा प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड को यह अधिकार देना चाहता हूं कि वे कम्पनियों को अग्रिम कर की अन्तिम किस्त 15 दिसम्बर के बदले 15 मार्च तक के लिये कर दें।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने अपने बजट के वक्तव्य में कहा था कि सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वास्तविक किसानों को किस प्रकार इस कर से मुक्त किया जाये। इसके लिए विभिन्न सुझावों पर विचार किया गया तथा संवैधानिक वैधता की भी जांच की गई। इसलिये यह विचार हुआ कि वास्तविक किसानों को इस कर से छूट देने के लिये एक अलग व्यवस्था की जाये।

तदनुसार मैं 1.5 लाख रुपये तक मूल्य की कृषि भूमि को छूट देने का प्रस्ताव रखता हूं। यह उन व्यक्तियों के मामले में जिनकी शुद्ध सम्पत्ति 1 लाख रुपये की है तथा अविभाजित हिन्दू परिवार जिनकी 2 लाख रुपये की है, के अतिरिक्त होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक किसान, जिसके पास 2.5 लाख रुपये मूल्य की कृषि भूमि है और उसका गैर कृषि कार्यों में धन

नहीं लगा है, इस कर की सीमा के अन्तर्गत नहीं आयेगा। अविभाजित हिन्दू परिवार के मामले में भी उसी स्थिति में कोई सम्पत्ति कर नहीं लगेगा बशर्ते उसकी शुद्ध सम्पत्ति 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होती है। इस समय एक व्यक्ति जिसके पास शहरी क्षेत्र में, जहां जनसंख्या 10,000 से अधिक नहीं है, एक रिहायशी मकान है तो उसे ऐसे मकान की कीमत पर सम्पत्ति कर से छूट होगी बशर्ते कि वह 1 लाख रुपये तक का हो। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति तो शहर में रह रहा हो और उसके पास एक लाख रुपये मूल्य का रिहायशी मकान हो तो उसे उसकी कृषि भूमि में 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। अगर उसका शहर में एक लाख रुपये से कम मूल्य का मकान हो यथा 60,000 रुपये का हो तो उसको 90,000 रुपये तक की छूट मिलेगी।

इस विधेयक के अन्तर्गत सम्पत्ति विवरण तथा लेखा और दस्तावेज को न देने की हालत में दण्ड देने की व्यवस्था है। ऐसा कहा गया है कि संशोधित दण्ड मान से उन मामलों में परेशानी होगी जहां निर्धारित सम्पत्ति वैयक्तिक मामलों में 1 लाख रुपये की तथा संयुक्त हिन्दू परिवारों में 2 लाख रुपये की छूट है। अतएव मैं यह बता देना चाहता हूं कि ऐसे चूकों के लिये दण्ड प्रारम्भिक छूट द्वारा घटाये गये निर्धारित सम्पत्ति पर होगा।

मैं अब उत्पादन शुल्क के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उर्वरकों और बिजली से चलने वाले पम्पों पर कर लगाने की बड़ी आलोचना की गई है। इस बारे में मैंने तथा मंत्रिमंडल के अन्य साथियों ने काफी विचार-विमर्श किया। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बिजली से चलने वाले पम्प पर उत्पादन शुल्क को हटा दिया जाये ताकि छोटे किसानों को, जो ये पम्प लगाना चाहते हैं, राहत मिल सके और वे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये इन पम्पों को प्रयोग में ला सकें।

हमारा यह विचार है कि उर्वरकों पर कर 10 प्रतिशत की दर से लगे रहना चाहिये। इस प्रकार के भय की कोई गुंजाइश नहीं है कि इससे उर्वरकों के प्रयोग पर रुकावट पड़ेगी क्योंकि कुछ वर्षों से इसका प्रयोग काफी हो रहा है और कृषि उत्पादन का लाभकारी मूल्य भी काफी मिल रहा है।

तैयार और परिरक्षित खाद्य जिन्हें विशेषकर कुटीर तथा गृह उद्योग तैयार करते हैं पर कर लगाने की बड़ी आलोचना हुई है। यह निर्णय किया गया है कि अधिकतर सब्जी उत्पाद व फल उत्पाद को राहत दी जाये, इस प्रकार कुटीर व गृह उद्योगों को राहत मिलेगी। यह भी विचार किया गया है कि 'मुरब्बा' जैसे उत्पाद को भी राहत मिलनी चाहिये क्योंकि इनमें खुले बाजार की चीनी का प्रयोग होता है।

कपड़ा मिल उद्योगों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। उनका कहना है कि सूती कपड़ों के कुछ किस्मों पर यथा मूल्य लगाने से उन कपड़ों के मूल्य बढ़ जायेंगे जिनका उपयोग गरीब लोग करते हैं। तदनुसार केन्द्रीय उत्पादन टैरिफ के मद 19 के उप-मद/(1) के अन्तर्गत आने वाले सूती कपड़ों पर शुल्क घटा दिया गया है।

दक्षिण भारत की मिलों से भी मुझे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और मैंने उनका अध्ययन करके यह विचार किया है कि कपास के सूत पर 22-29 एन०एफ०, 14-22 एन० एफ० और 14 एन० एफ० के समूह पर क्रमशः आठ पैसा, पांच पैसा और तीन पैसे प्रति किलोग्राम पर उत्पादन शुल्क घटा दिया जाये। सूती कपड़ा उद्योग के विद्युत चालित करघों के क्षेत्र ने भी यह अभ्यावेदन दिया है कि सूती कपड़े की कुछ किस्मों में जो यथा मूल्य लगाये गये हैं, वे अधिक हैं। इस बात को देखते हुए कि विद्युत चालित करघों को सूती कपड़ा मिल उद्योग से प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है अतएव केन्द्रीय उत्पादन टैरिफ के मद 19 के उप-मद /(1) के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक किस्मों पर शुल्क घटाने का विचार है। इसी प्रकार सीमेण्ट पर से भी शुल्क घटाया गया है।

उत्पादन शुल्क पर जो विभिन्न परिवर्तन लाए गए हैं, उनसे 5.09 करोड़ रुपयों की आय की हानि होगी।

डाक शुल्क के क्षेत्र में मैं 60 ग्राम तक के रजिस्टर्ड अखबार की प्रति पर डाक दर 5 पैसे से घटाकर 2 पैसे कर देने का विचार कर रहा हूं। इससे वर्ष में लगभग 32.81 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है। डाक व तार बजट का संतुलन बनाये रखने के लिये डाक से भेजी जाने वाली वस्तुओं का रजिस्ट्रेशन 70 पैसे से बढ़ाकर 75 पैसे कर दिया गया है। ये परिवर्तन अधिसूचना द्वारा जारी किए जाएंगे और भारतीय डाक घर अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में—जारी
REGARDING ARREST OF MEMBERS—Contd.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैंने सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में जो सूचना एकत्रित की है, उसके अनुसार तीन संसद सदस्य केरल युवा संघ के प्रदर्शन को ले जाते हुए गिरफ्तार किए गए हैं, उन्होंने उस क्षेत्र में आने का प्रयत्न किया जहां धारा 144 लागू है। जब दंडाधिकारी ने उन्हें उस क्षेत्र में न आने को कहा तब उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया गया। इस प्रकार उस क्षेत्र में आने के फलस्वरूप तीन संसद सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।

मेरे को यह भी सूचना मिली है कि उस क्षेत्र में घुसने के फलस्वरूप हाथापाई भी हुई और इस दौरान एक सदस्य के हाथ की घड़ी खो गई जो बाद में मिल गई थी तथा लौटा दी गई। उन्हें पार्लियामेण्ट स्ट्रीट थाने में ले जाया गया। अधिकारियों ने नियमों के अनुसार अध्यक्ष महोदय को सूचना दे दी है। मैंने इस बात की भी पुष्टि की है कि दंडाधिकारी ने अध्यक्ष महोदय को सरकारी सूचना दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है कि कानून का उल्लंघन करने के फलस्वरूप उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता परन्तु उन्होंने वित्तीय समितियों के निर्वाचन में मतदान करना है, क्या यह सम्भव है कि उन्हें जमानत पर छोड़ा जाये ताकि वे यहां आकर मतदान में भाग ले सकें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : चूंकि उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया है अतएव यह दंडाधिकारी पर है कि वह क्या निर्णय लेता है। हमें तो दंडाधिकारी के निर्णय को मानना पड़ेगा।

श्री स० कुन्दू : मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां हाथापाई हुई, यह हाथापाई कैसे शुरू हुई। जब वे अपने आपको गिरफ्तारी के लिये पेश करना चाहते थे तो तब भी पुलिसवालों ने उन्हें धक्का दिया जिसके फलस्वरूप वे गिर पड़े तथा उनको चोट लगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने जो कुछ हुआ है उसका पूरा ब्योरा दे दिया है। अब यह प्रश्न नहीं उठता और मैं इस पर आगे चर्चा नहीं चाहता।

वित्त विधेयक—जारी
FINANCE BILLC—ontd

श्री चं० चु० देसाई (साबर कंठा) : मैंने वित्त मंत्री महोदय का वित्त विधेयक पर वक्तव्य ध्यान पूर्वक सुना। ऐसा मालूम होता है, कि वे अपने वक्तव्य से बहुत प्रसन्न हैं परन्तु वे इस तथ्य से अवगत नहीं है कि उन्हीं के दल के सदस्य उनका तथा उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं।

वित्त मंत्री महोदय समझते हैं कि भारत की अर्थ-व्यवस्था में नया मोड़ आ रहा है। वह नहीं जानते कि 20 वर्ष का कांग्रेस शासन भूखी-नंगी जनता के दुःख दर्द को दूर करने में सफल नहीं हुआ।

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

सरकार की अर्थ नीति का मूल्यांकन, उससे देश पर पड़ने वाले प्रभाव से ही आंका जा सकता है। हम सभी ने समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाया है और स्वतंत्र पार्टी इसमें किसी से भी पीछे नहीं है। कांग्रेस द्वारा प्रसारित अथवा व्यवहार में लाये जा रहे समाजवाद की तुलना में हम गांधीवादी समाजवाद के पक्ष में हैं।

कांग्रेस का समाजवाद बिना उचित मुआवजा दिये सम्पत्ति को जब्त करने, राजाओं के जेब खर्च के बारे में दिये गये वचनों को भंग करने में विश्वास रखता है, जोकि साम्यवादी ढंग है।

हमारा गांधीवादी समाजवाद में विश्वास है जिसमें धनी कम धनी और निर्धनी कम निर्धन बनते हैं। इसमें अर्थ व्यवस्था तथा कृषि स्वतंत्र रहते हैं, उत्पादन अधिक उचित, वितरण यातायात के अच्छे साधन तथा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं।

कांग्रेस का समाजवाद गांधीवाद का हनन करता है।

बैंक, बीमा, यातायात, वितरण के साधनों के राष्ट्रीयकरण का अभिप्राय है, सम्पूर्ण जीवन पद्धति का राष्ट्रीयकरण गांधीवादी विचारधारा में तथा गांधीजी द्वारा रचित पुस्तकों में इन सबके लिए स्थान नहीं है।

वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछला वर्ष भारत की अर्थ-व्यवस्था के लिए अच्छा रहा है।

स्पष्ट है कि उन्होंने सदन में वितरित आर्थिक समीक्षा का अध्ययन नहीं किया जिसके अनुसार भारत की आय चार वर्ष पहले की अपेक्षा, हर व्यक्ति पीछे 10% घटी है। अनाज के उत्पादन में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए नगण्य रही। वाणिज्यिक फसलों तथा अनाजों का उत्पादन 1964-65 के हर व्यक्ति पीछे उत्पादन से कम है।

वह इस बात पर संतोष अनुभव करते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में सामान्य मूल्य स्तर कुछ नीचा है। सरकार का भी कथन है कि पिछले 5 वर्ष में मूल्यों में 60% की वृद्धि हुई है और 20 वर्ष के आयोजनों में मूल्यों में $2\frac{1}{2}$ गुनी वृद्धि हुई है।

इस बात में इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस अवधि में धनी और निर्धन के मध्य विद्यमान दूरी बढ़ी है और एकाधिकरणों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कांग्रेसी स्वयं निजी औद्योगिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं क्योंकि उनसे उनको चन्दे मिलते हैं।

सरकार द्वारा देश के अन्दर लिये गये ऋणों की राशि 1961-68 के मध्य तीन गुनी बढ़ गई है। विदेशी ऋण की स्थिति और भी शोचनीय है। देश के स्वतंत्र होने के समय हमारी 1000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की लेनदारी थी और 22 वर्ष की अवधि में उलटी 6000 करोड़ रुपये की देनदारी हो गई है। विदेशी ऋणों को चुकाने के लिए हमें प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं जोकि हमारी आयात से होने वाली आय का एक बड़ा प्रतिशत है।

उप-प्रधान मंत्री ने अनेक देशों की राजधानियों में जाकर ऋणों के भुगतान की अवधि बढ़ाने की प्रार्थना की जिनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हमारे देश को दिवालिया समझा जाने लगा है।

वित्त मंत्री एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं अतएव उन्होंने सरकारी क्षेत्र की उपलब्धियों की चर्चा नहीं की और निजी क्षेत्र की सफलता की चर्चा स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष ने की थी। सरकारी संस्थानों की समिति के सदस्य के नाते मुझे त्रुटिपूर्ण आयोजना तथा कुप्रबन्ध से होने वाली हानियों का प्रत्यक्षदर्शी होने का अवसर मिला। जब विकास कार्यों में निजी धन उपलब्ध नहीं तब सरकारी क्षेत्र का अस्तित्व अनिवार्य बन जाता है परन्तु उसका प्रबन्ध इस प्रकार किया जाना

चाहिए जिससे पर्याप्त लाभ हो सके। जो हानि हुई है उसके लिए सामाजिक सेवा और निर्माण अवधि की ओट लेना निरर्थक है। यदि 10% लाभांश न दिये जायें तो गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का दिवाला निकल जाता है। सरकारी क्षेत्र के संस्थानों की स्थापना लागत, उत्पादन-क्षमता उत्पादन-व्यय को ध्यान में रखे बिना ही की जाती है और प्रबन्धकों को शीघ्र बदल दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र में उच्चतम वेतनों की सीमा 3000-4000 रुपये है जबकि निजी क्षेत्र में एक कम्पनी के मामले में यह 2,80,000 वार्षिक थी।

वित्त मंत्री ने बताया कि वेतनों और भत्तों में वृद्धि के कारण 49 करोड़ रुपये का अधिक व्यय होगा जोकि अंधाधुंध बढ़ रही कीमतों के कारण अनिवार्य हो गया है। असमान्य रूप से मौसमों की खराबी को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, जिसे जानकार लोग स्वीकार नहीं कर सकते।

इस बजट में वित्त मंत्री महोदय ने असैनिक व्यय पर 142 करोड़ रुपये की वृद्धि की है जिससे मुद्रा स्फीति होना अनिवार्य है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या, जो 1956 में 18 लाख थी, 1968 में 27 लाख हो गई है। इसके लिये कौन उत्तरदायी है।

रक्षा-व्यय में भी वृद्धि हुई है। इसके लिये सरकार अथवा विदेश मंत्रियों में राजनीति की कमी अथवा अयोग्यता है।

विकास तथा रक्षा की आवश्यकताओं के लिए यह आवश्यक है कि भूमिहीन श्रमिकों एवं पढ़े-लिखे बेकार व्यक्तियों के लिए समुचित रोजगारों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

एक ओर तो वित्त मंत्रालय खर्च की मंजूरी देती रहती है और दूसरी ओर जब संसद सदस्यों के वेतनों और भत्तों में वृद्धि की मांग होती है तो उनका ध्यान बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति की ओर जाता है। इस सम्बन्ध में संयुक्त समिति के निर्विरोध निर्णयों को भी कार्यान्वित नहीं किया गया। उक्त समिति में सभी दलों के सदस्य थे। क्या उसका कोई कांग्रेसी सदस्य उनसे कहेगा कि जब तक वित्त मंत्री अथवा प्रधान मंत्री ऐसी स्पष्ट घोषणा नहीं करते कि संयुक्त समिति की सिफारिशें स्वीकार की जाएंगी तब तक अनुदानों को पारित न किया जाये। यह आश्चर्य की बात है कि संसद् सदस्यों द्वारा पारित प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय के अवर सचिव को विचारार्थ भेजा जाता है। इसमें वित्त मंत्री का ही दोष है।

भारतीय विदेश सेवा के एक वरिष्ठतम आई० सी० एस० अधिकारी जिन्हें 4000 रुपए मासिक मिलते हैं कई महीनों से कोई कार्य नहीं दिया गया। यदि उनका कोई दोष है, तो उन्हें दण्ड देना चाहिए। ऐसा न करने से सरकार पर निर्णय न लेने का दोष आता है। उन व्यक्तियों को संसद् सदस्यों के निर्णयों पर निश्चय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

वित्त विधेयक-1969 में कृषि पर लगाए गये कर अत्यधिक हानिकारक हैं। कृषि अभी

उत्थानोन्मुख हुई है। उसे इस प्रकार कर भार से दबाना उचित नहीं। बोकारो आदि पर जो करोड़ों रुपए लगे हैं उसके लिए कृषकों को दंड नहीं देना चाहिए।

मोटर चालित पम्पों, मोटर स्पिरिट तथा बढ़िया किस्म के मिट्टी के तेल पर लगाए गये अतिरिक्त कर भार से यातायात महंगा हो जाएगा जिससे अनाज के उपज के क्षेत्रों से उपयोग क्षेत्रों में ले जाना और भी कठिन हो जाएगा। यह सभी कर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषकों पर ही हैं, इसलिए हमारी कृषि की प्रगति में बाधक होंगे।

कृषकों पर कर भार असंवैधानिक है, विशेषतः कृषि-सम्पत्ति-कर क्योंकि उस सम्पत्ति का मूल्यांकन होना अत्यन्त कठिन है।

भारत में कृषि की प्रगति अपेक्षित है। कुछ समय पश्चात् कृषि पर कर लगाना उपयुक्त हो सकता है। परन्तु अभी तो इसे जनता के पालन-पोषण करने में सक्षम बनने देना चाहिये।

प्रशासन सुधार आयोग के आय-कर विभाग के लिये नियुक्त अध्ययन दल ने जो टिप्पणी दी उसमें कहा गया है कि उक्त सेवा में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति की कोई स्थाई नीति नहीं है।

समिति का निष्कर्ष है कि इस विभाग में सर्वत्र नैराश्य तथा असंतोष फैला हुआ है। सारा विभाग निष्ठापूर्वक, अनुशासनपूर्वक सेवा में रत होने के स्थान पर एक युद्ध स्थल लगता है।

ऐसे निराश व्यक्तियों से सरकार क्या आशा रख सकती है। विशेष पुलिस सिब्बन्दी कब तक विभाग की कार्यक्षमता और उनके हौसलों को बनाये रख सकता है।

पिछले वर्षों में अनेक समितियां, अध्ययन दल प्रशासन सुधार पर परामर्श देने के लिये नियुक्त किये गये परन्तु उनके प्रतिवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उनके मन में पदों पर बने रहने की आकांक्षा है और उनकी दृष्टि दल के लिये धन इकट्ठा करने में लगी रहती है। वे नियंत्रण लाइसेंस और परमिट पद्धति के बंदी बने हुये हैं तथा अपने कार्यों में सर्वथा अक्षम हैं। जब तक ऐसे व्यक्तियों के स्थान पर क्षमतावान् व्यक्तियों को नहीं नियुक्त किया जाता तब तक देश के लिये कोई आशा नहीं हो सकती। इस दिशा में हम सदा प्रयत्नशील रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का विरोध करता हूं।

सदस्यों की गिरफ्तारी
ARREST OF MEMBERS

सभापति महोदय : सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, से अध्यक्ष के नाम प्राप्त दिनांक 29 अप्रैल, 1969 को एक सन्देश प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया कि लोक-सभा के सदस्य सर्वश्री ज्योतिर्मय बसु, सी० के० चक्रपाणि और पट्टियम गोपालन को पार्लियामेंट स्ट्रीट के क्षेत्र में जिसमें रायसीना रोड, रफी मार्ग आदि शामिल हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा

144 के अन्तर्गत प्रख्यापित निषेध आदेशों का उल्लंघन किये जाने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत 29 अप्रैल, 1969 को 12-10 बजे म० प० पर गिरफ्तार किया गया है और रिमांड के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है ।

वित्त विधेयक—जारी
FINANCE BILL—(Contd)

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : श्री देसाई ने 9 बातों पर प्रकाश डाला है । आय-कर विभाग की आलोचना तथा सदस्यों के लिये ऊंचे वेतन-भत्तों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना । उनकी सरकारी क्षेत्र की आलोचना एवं विकासतर कार्यों पर प्रशासनिक व्यय पर व्यक्त विचारों पर भी मुझे कुछ नहीं कहना, भले ही मैं उनसे सहमत नहीं हूं । शेष पांच विषयों के बारे में मेरा मन्तव्य है कि या तो यह बातें उन्होंने दलीय हित में कही अथवा उन्होंने तथ्यों को समझने की चेष्टा ही नहीं की ।

हमारे कृषि उत्पादन में 1968 में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है । 1964 में हम वर्षा पर आश्रित थे और आज हम आधुनिक तकनीकी उपायों द्वारा परिवर्तन ला पाये हैं । चावल की उपज अभी उतनी नहीं बढ़ी इसलिये इस ओर हमें ध्यान देना है ।

हमारे आन्तरिक एवं बाह्य ऋणों की चर्चा की गई परन्तु हमारी परिसम्पत्ति में वृद्धि का उल्लेख नहीं किया गया । हमारे लिये आवश्यक है कि विकास कार्यों के लिये अपने सभी स्रोतों को इकट्ठा करें ।

हमें खेद है कि चीन के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण के कारण हमें अपना प्रतिरक्षा व्यय बढ़ाना पड़ा । उन्होंने कहा कि हम अति शिथिल नीति का अनुसरण कर रहे हैं । इस प्रकार तो, मान्य सदस्य की दृष्टि में अमरीका एवं रूस भी शिथिल नीति पर चल रहे हैं, क्योंकि वे भी चीनी विस्तारवाद के शिकार हैं ।

कृषि पर करों का विरोध करते हुये उन्होंने स्वीकार किया कि उपज में वृद्धि कृषकों के हित में भी आवश्यक है । क्या यह सम्भव है कि सड़कों और संचार साधनों के बिना कृषि उत्पादन से लाभ मिल सके ।

यदि कृषि उत्पादनों में वृद्धि का विस्तार करना है तो जो आज उससे लाभ उठा रहे हैं उनका यह उत्तरदायित्व है कि वे कृषि-आन्दोलन का शेष भारत में विस्तार करें ।

मुझे खेद है कि तेल, खाद तथा रसायन उद्योग के बारे में हमारी औद्योगिक नीति दोष-पूर्ण है । यदि हमारा आर्थिक विकास होता है तो हमारे भुगतान की स्थिति हमारी तेल और खाद नीति के कारण शोचनीय बन जायगी ।

तेल के सम्बन्ध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पिछले 2-3 वर्ष में पर्याप्त सुधार एवं कार्यक्षमता का परिचय दिया है । मेरा विश्वास है कि आगामी कुछ ही वर्ष में आयोग 10 लाख टन कच्चे तेल का निर्माण कर पायेगा जिससे प्रति 10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी ।उसके लिये कुछ उपकरणों की, पूंजी की तथा कुछ विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ।

मुझे लगता है कि आयोग की उक्त आवश्यकताएं पूरी करने में संकोच बरता जा रहा है और ऐसी स्थिति में वह दृष्टिगोचर विस्तार भी नहीं कर पायेगा ।

आयल इण्डिया का कार्य अच्छा रहा है । इसमें 50% सरकारी हिस्से हैं तथा पूरे प्रबन्ध का भारतीयकरण हो चुका है । उन्हें अधिक क्षेत्रों में तेल खोजने की सुविधा क्यों नहीं दी जाती । परन्तु हमारे अधिकतर स्रोत सिन्धु हैं । अच्छा होता यदि उनका विकास हो पाता । परन्तु हमारे पास न तो आवश्यक तकनीक हैं और न ही आपेक्षित योग्यता । तेल की खोज विकास और उत्पादन के लिए 8-10 करोड़ डालर की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है । अन्यथा हमें आयात पर अवलम्बित रहना पड़ेगा । और इस प्रकार हमें क्रमिक रूप से विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ेगी ।

भारत में बर्माशैल पर 100 करोड़ और एस्सो पर 75 से 85 करोड़ रुपया की लागत लगी है । यदि ये विदेशी कम्पनियां हमारी अनहित कर रही हैं तो हम उन्हें जारी क्यों रहने देते हैं ।

आधुनिक संसार में तेल के परम्परागत स्रोतों के स्थान पर नये स्रोतों का अपनाना अनिवार्य है । हमें अति तीव्र गति से तेल के स्रोतों का विकास करना चाहिये । इस बारे में निर्णय लेने में अति विलम्ब हो रहा है ।

हमारी 10 लाख टन की खाद उत्पादन की क्षमता निर्मित हो चुकी है और 10 लाख की निर्माणाधीन है । चौथी योजना के अन्त तक हमें 30 लाख टन खाद की और आवश्यकता है । यदि हम देश में उसके उत्पादन की व्यवस्था नहीं करते तो हमारे आयात पर अधिक व्यय होता रहेगा । कृषकों को खाद की शीघ्र आवश्यकता है और यदि सरकारी क्षेत्र के शीघ्र विकास द्वारा उन्हें खाद उपलब्ध करा दी जाती है तो वे अत्यन्त प्रसन्न होगें ।

[श्री रा० ढो० भंडारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

यदि वे सहयोग द्वारा खाद का निर्माण कर सकते हैं तो भी ठीक है । किसी भी प्रकार इसकी शीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिये । मैंने मंत्रालय के प्रतिवेदन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है । बीस लाख टन खाद के उत्पादन के लिये कोई विशेष परियोजना का उल्लेख नहीं मिला । कृषि की प्रगति के लिये और खाद्यन्नों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता के लिये खाद का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करना आवश्यक है ।

नाशिकीटमार (पेस्टीसाइड) के बारे में भी अनिर्णय की स्थिति चल रही है ।

रसायन उद्योग की भी हम उपेक्षा कर रहे हैं । केवल खनिज तैल रसायन उद्योग के लिये कुछ परियोजनाओं को स्वीकृत मिली है । अन्य उद्योगों के बारे में अनिर्णय और अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है ।

पोलीस्टर संयत्र हमारे देश में छोटे छोटे स्थापित हुए हैं रूस में एक संयंत्र की क्षमता 24000 टन है और विश्व के किसी भी अन्य देश में 18000 टन की क्षमता से कम के संयंत्र नहीं लगाए गए। सभी राज्य अपने क्षेत्र में ऐसे संयत्र लगाना चाहते हैं। यह छोटी छोटी फैक्टरियों खिलौने की फैक्टरियों के समान हैं। हमारे देश में रसायनिक वस्त्र का प्रयोग धनी लोग करते हैं जबकि विदेशों में इन वस्त्रों का प्रयोग निर्धन लोग करते हैं। हमारे देश में रसायनिक उत्पादों के लिए बहुत बड़ा संयंत्र लगाया जाना चाहिए। किसी भी नए तकनीक के आविष्कार होने पर उसके स्रोत जानकर उन्हें खरीदना चाहिए और उसका अपने देश में विस्तार करना चाहिए।

मैं समाजवाद का पक्षपाती हूं। परन्तु समाजवाद का यह अभिप्राय नहीं कि नए तकनीकों के विकास में पीछे रहा जाए। यदि हम रासायनिक उद्योगों में पीछे रहते हैं तो यह हमारे लिए घातक है।

इस्पात उद्योग पर लगी हमारी विनियोग पूंजी जापान की तुलना में 2 से $2\frac{1}{2}$ गुनी है। जापान 1956 में $60\frac{1}{2}$ लाख टन इस्पात का निर्माण करता था उसका उत्पादन 6.5 करोड़ टन हो गया। हमे दस वर्ष तक अपना ध्यान मुख्यतः कुछ विशिष्ट उद्योगों पर केन्द्रित करना चाहिए जिससे हमारे देश का ऐसा रूप हो सके जिसपर हम गर्व कर सकें। यदि हम अपनी शक्ति को विश्रृंखलित होने देंगे तो हमारी विकास क्षमता ही क्षीण हो जायेगी। मैं उप-प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस भयानक स्थिति को रोकने के लिये वह क्या उपाय कर रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री अथवा उप-प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह घोषणा करें कि जो निर्णय लिये गये हैं उन्हें पूरी तरह कार्यान्वित किया जायेगा और फल प्राप्ति के लिये आवश्यक परिवर्तन किये जाएंगे। 1972 के निर्वाचन से पूर्व हमें सरकारी क्षेत्र के कार्य-कलाप को इस प्रकार सुधारना चाहिये जिससे कोई उनकी अलोचना न कर सके। सरकार ने उनकी कमियों को दूर करने का निश्चय किया है उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिये मैं प्रधान मंत्री तथा उप-प्रधान मंत्री से आग्रह करता हूं।

यह कहा गया है कि सरकारी क्षेत्रों का उद्देश्य लाभ नहीं होना चाहिये। योजना आयोग का मन्तव्य है शिक्षा तथा स्वास्थ्य की कुछ सेवाओं को छोड़कर और किसी भी सेवा के लिये अनुदान नहीं दिये जाने चाहिये। वस्तुतः किसी भी संस्थान से लाभ की आकांक्षा करना संगत है।

सरकारी क्षेत्र की ओर प्रबन्ध सुधार, लागत और उत्पादन की दृष्टि से ध्यान दिया जाना चाहिये। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि भारत के पास भारी खनिज स्रोत है परन्तु दुःख का विषय है कि हम उसके स्रोतो को भी खोज नहीं पाये। हम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि कितनी प्रगति हुई है।

इन स्रोतों के विकास के बारे में मैं आत्म-निर्भरता तथा आर्थिक स्वावलंबन का

पक्षपाती हूं। सरकार को मूल स्रोतों को एकीभूत करने के लिये नेतृत्व प्रदान करना चाहिये। समाजवाद उन्नति और क्रान्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रतिफल है।

मैं उप-प्रधान मंत्री का सम्मान करता रहा हूं परन्तु मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने अपने आपको सरकार के वर्तमान रंग रूप में ढाल लिया है। क्या हम विश्वास करें कि वह इस रंग रूप का अनुमोदन करते हैं। यदि नहीं, तो क्या हम जान सकते हैं कि वह पद्धति को बदलने के लिये क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : अब श्री अशोक मेहता समझ रहे हैं कि करों की कुछ सीमा होनी चाहिये परन्तु जब वह मंत्री थे तब व्यक्तिगत आय पर 10% अधिभार लगाने में उनका हाथ था। उन्होंने उस समय के वित्त मंत्री श्री सचीन चौधरी को इसके लिये प्रेरित किया था। अप्रत्यक्ष करों से उत्पादन, बचत तथा विनियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा निर्यात कठिन हो गया और देश को रुपये के भुगतान के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद देश की आर्थिक दशा और बिगड़ गई है। कीमतों में वृद्धि के कारण लोगों में कुंठाएं बढ़ी हैं तथा करों में भी भारी वृद्धि हुई है। देश में मुद्रा स्फीति का कुप्रभाव पड़ा है तथा रुपये का मूल्य केवल 12 पैसे रह गया है। चौथी योजना लागू होने पर रुपये का मूल्य घटकर सम्भवत: 8 पैसे रह जाएगा। योजना आयोग की नीतियां राजनीतिक ढंग से भले ही सही कही जा सकती हों किन्तु आर्थिक दृष्टि से ये नीतियां सफल नहीं मानी जा सकतीं। हमारी योजना आवश्यकताओं पर आधारित न होकर संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। साधनों से 10,839 करोड़ रुपये की आय हो सकना भी पूर्णत: निश्चित नहीं है। योजना बनाने वालों की ऐसी धारणा रही है कि सम्भवत: अचानक परिवर्तन आ जाएंगे। तीसरी योजना में भी ऐसा ही हुआ था तथा चौथी योजना में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

राजस्व के बारे में लगभग 1500 करोड़ रुपयों का अधिक अनुमान लगाया गया है तथा सरकारी क्षेत्रों से होने वाली बचत के बारे में भी 300 करोड़ अतिरिक्त रुपये की आशा की गई है। सरकार का यह अनुमान अधिक है। योजना आयोग से इस प्रकार अनुमानित साधनों की मात्रा 5,350 करोड़ रुपये लगाई है। किन्तु वित्त मंत्री को प्रति वर्ष अनुमानित आय की प्राप्ति न होने से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

साधनों के बारे में दो बातें और हैं, कर तथा घाटे की वित्त व्यवस्था। जहां तक कर का सम्बन्ध है, सरकार ने कृषि आय पर कर लगाने का हर सम्भव यत्न किया है। कृषि सम्पत्ति का तो पता नहीं क्या होगा किन्तु सरकार ने पम्पों पर लगाया जाने वाला कर हटा दिया है। उर्वरकों पर कर रहेगा। सरकार की इस नीति से भारतीय कृषक की सारी आशाओं पर पानी फिर जाएगा और जिस कृषि क्रांति की सम्भावनाएं थी वे समाप्त हो जाएंगी। सरकार कृषकों से ऋण या बीमा आदि के रूप में पैसा ले सकती थी किन्तु इस प्रकार उन पर कर लगाना अनुचित है।

योजना आयोग ने पिछली योजनाओं में आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षा से काम लिया है, जिसके कारण अनेक बाधाएं सामने आई हैं। फिर भी उसने पिछले अनुभवों को ध्यान में नहीं रखा। मैं माननीय वित्त मंत्री को सचेत कर देना चाहता हूं कि यदि चौथी योजना में भी उसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया तो मुद्रा स्फीति इतनी बढ़ जाएगी कि सम्भाली नहीं जा सकेगी। वस्तुओं के मूल्य दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। यदि करों में वृद्धि होती रही और घाटे की वित्त व्यवस्था रही तो देश का क्या होगा।

उत्पादन शुल्क का प्रभाव वस्तुओं के मूल्य पर पड़ता है, जिससे निर्यात की मात्रा में वृद्धि करना या उसे कायम रखना कठिन हो जाता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये व्यय के लिये धन का नियतन करने के बारे में विचारधारा गत बातों को ही ध्यान में रखा गया है और परिणामस्वरूप दोनों क्षेत्रों के लिये नियत किये गए परिव्यय में भारी अन्तर है। मेरे विचार से सरकारी क्षेत्रों के लिये नियत किये गये व्यय में 2,500 करोड़ रुपये घटा देने चाहिए तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को 1,900 करोड़ रुपये अधिक देने चाहिए। ऐसा करने से परियोजनाएं अच्छी तरह कार्यान्वित हो सकेंगी।

सरकार ने विभिन्न कारखाने खोले हैं किन्तु फिर भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 70 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे किन्तु योजना के अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 120 लाख हो गई थी। ऐसी स्थिति में योजनायें बनाने का कोई लाभ नहीं है। लघु उद्योग तथा मध्यम स्तर के उद्योगों में रोजगार देने की पर्याप्त क्षमता होती है अतः सरकार को ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। जापानी ढंग के उद्योगों को चलाने के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए।

बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि उनमें स्वदेशी तकनीक को यथाशक्ति बढ़ावा देना चाहिए। विदेशी जटिल तकनीक केवल वही अपनायी जाय जो अत्यंत आवश्यक हो। हमें आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी योजना में विदेशी सहायता की मात्रा 2,423 करोड़ रुपये थी किन्तु इस योजना में इसे बढ़ाकर 2,514 करोड़ रुपये रखा गया है। अतः आत्म-निर्भरता आदि का नारा तो बहुत लगाया जाता है किन्तु इन बातों का महत्व कुछ नहीं होता।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकारी क्षेत्रों में लगाई जाने वाली पूंजी से 15 प्रतिशत आय तथा विद्युत फार्मों से 11 प्रतिशत आय होने की कोई आशा नहीं है किन्तु योजना में इसका अनुमान लगाया गया है। औद्योगिक उत्पादन भी निर्धारित मात्रा तक नहीं पहुंच सकता। इस योजना से केवल मुद्रा स्फीति तथा अवमूल्यन के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना में एक भारी कमी है। इसमें सतर्क होने के लिये कुछ मानदण्ड

निश्चित करने चाहिए थे। इससे देश में अल्प अवधि में योजना में आवश्यक परिवर्तन करके असमानता को कम किया जा सकता है तथा प्रभावशाली और निश्चित कार्यक्रम चलाया जा सकता है। मूल्य सूचक अंकों में वर्ष में 10 अंकों की वृद्धि होना, किसी वर्ष बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 5 लाख होना आदि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें सतर्कता सूचक परिस्थिति माना जा सकता है। इनसे योजना बनाने वालों तथा सरकार को उचित समय पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये संकेत मिल जाते हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने कुछ छूट दी हैं। जहां तक अग्रिम अदायगी का प्रश्न है, मंत्री महोदय को सभी उद्योगों के प्रति एक-सा व्यवहार करना चाहिए तथा सभी उद्योगों तथा निर्धारित कर दाताओं के लिये अंतिम किश्त की तिथि 15 मार्च से पूर्व निश्चित करनी चाहिए। जहां तक सम्पत्ति कर का प्रश्न है, मेरे विचार से अधिकतम शास्ति सम्पत्ति की शत प्रतिशत राशि निश्चित करना अनुचित है।

मध्य वर्ग अभी तक मुद्रा स्फीति के परिणामस्वरूप पैदा हुई कठिनाइयों से छुटकारा नहीं पा सका है। इस बजट में उन पर और भार डाला गया है। 10,000 से 20,000 रुपयों की आय वाले व्यक्तियों पर आयकर बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार पंजीकृत फर्मों पर जिनकी आय 10,000 से 25,000 के मध्य है, कर बढ़ा दिया गया है।

चीनी और पेट्रोल पर भी परोक्ष रूप से करों में वृद्धि की गई है तथा इसका प्रभाव भी मध्य वर्ग पर ही पड़ता है। सिगरेट, बिजली के पंखे आदि वस्तुओं पर लगाए गए कर से भी मध्य वर्ग पर ही भार बढ़ा हैं।

हमारा कर-ढांचा जटिल है अतः इसमें अर्जित तथा अन्य आयों पर समान दर से कर नहीं लगाया जा सकता। अर्जित आय वाले व्यक्तियों की प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की भांति ही 8 प्रतिशत आय पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। इससे लोगों को उत्पादन बढ़ाने, बचत करने तथा धन लगाने का प्रोत्साहन मिलेगा।

भूतलिंगम प्रतिवेदन के अनुसार प्रारम्भ की गई करों को सरलीकरण तथा उन्हें तर्क संगत बनाने की प्रक्रिया को सम्भवतः त्याग दिया गया है। कम्पनी के लाभ पर प्रतिकर लगाने से उसकी कार्य कुशलता तथा साधनों के पूर्ण उपयोग में कमी आ जाती है। संसार के अधिकतम देशों में नियमित कर की दर 50 प्रतिशत से कम ही है किन्तु हमारे देश में यह दर 66.25 तक चली जाती है। सरकार को इस बारे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

बजट इस प्रकार से बनना चाहिए कि उससे देश का उत्पादन बढ़े तथा आर्थिक स्थिति सुधरे किन्तु इसके विपरीत जनता पर कर का भार बढ़ता जा रहा है। बिना सोचे विचारे उद्योगों पर कर थोपा जाता है तथा जब उनकी दयनीय अवस्था आ जाती है तो उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। कपड़ा उद्योग के साथ यही व्यवहार किया गया है।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह विकास छूट में कमी न करें अन्यथा इससे उद्योगों की उन्नति में बाधा पड़ेगी।

व्यावसायिक फर्मों से भूतलिंगम प्रतिवेदन की सिफारिशों या विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर हटा लिया जाना चाहिए अथवा उनसे अधिभार या विशेष अधिभार को हटा लेना चाहिए। ऐसा न करने से उन पर दोहरा भार पड़ता है।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि लाइसेंस देने में अधिक नियंत्रण बरतने तथा लाइसेंस देने की प्रक्रिया में अधिक जटिलता होने से उद्योगपतियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत से विदेशी साहसी भी इसी कारण उद्योग खोलने के बारे में बातचीत करने से कतराते हैं। सरकार को इस प्रक्रिया को सुधारना चाहिए तथा लाइसेंस देने में नियंत्रण की भावना को त्यागना चाहिए। साथ ही सरकार को आर्थिक कार्यालय खोलने चाहिए जो उद्योगपतियों को सलाह दें कि वे उद्योग विशेष को चलायें अथवा नहीं चलायें।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

Shri Mrityunjay Prashad (Maharajganj) : The structure of the taxation cannot be said to be worthy of appreciation. The rate of the tax should be progressively decreased on the persons of low income group while it should be accelerating on the persons of higher income Group. The increase of 2 percent income tax on the persons falling in the range of income of Rs. 10,000 to Rs. 15,000 and the increase of 3 per cent income-tax on the persons falling in the range of income of Rs. 15,000 to 20,000 are strictly irrational because as compared to the increased prices during the last 20 years the value of the said amount falls down to Rs. 4,000 and 5,000 respectively.

In the context of wealth tax I want to mention that the wealth tax should be fixed according to the production obtained from the wealth and not according to the value of the wealth itself as assessed by the Government once for all. The income from the agricultural wealth may fluctuate from year to year because there are various factors, such as labour, skill, irrigation facilities, monsoon, modern equipment, so on and so forth, involved in the agricultural production. Secondly, if there is any delay in filing the tax return by the agriculturists he is penalized at the rate of 100 per cent of the value of his wealth. It is unbearable. The penalty may be raised in proportion to the tax but not in proportion to the wealth.

The long standing demand of the people of the Bihar State for constructing a road bridge at Sadalpur has not yet been fulfilled by the Government. However all sorts of survey have been materialised several times from 1949. Technical implications have also been cleared by the various authorities including the Indian Council of Applied Economic Research and the Roorkee College of Engineering. The then Hon. Minister of Finance also assured the people of Bihar State to met their demand. Whosoever Government came in the Bihar State supported this demand of the people in the similar voice. I admit that the Central Government are inclined to undertake this work but the lack of the determination of the Centre can not be overlooked. Therefore I request the Hon. Minister should sympathetically consider the difficulties

of the people of Bihar State and allocate the necessary funds to the Bihar State. The construction of this road bridge is necessary to link up the eastern and western parts of the State.

The steamer Service at Ganga and Saryu rivers conducted by a company was stopped by that company on 1st January, 1968, due to one reason and the others. The necessity of this service was felt by the Government and this service was maintained for three years with a few steamers by the Government as a pilot scheme. But due to the defective management inefficiency among the staff the service could not be maintained and it was declared that as the service was unremunerative it should be closed. In this context I want to submit that if correct statistics are gathered and the entire position relating to the service rendered by the Government is reviewed it can not be proved that the steamer service was unremunerative. The various authorities had repreated the facts and the loss, if any, caused to the Government in connection with that service was due to the inefficiency, mismanagement and corruption involved in this service. All the same if railways run in loss can it would be possible to the Government to stop this service. Therefore, in view of the difficulties stemmed from the increased traffic both passenger and goods which can not be dealt with the single road bridge, the Mukama bridge, the need of starting this service again has become vital and pressing and the Government should sympathetically reconsider the problems of the people of Bihar State.

At the same time it should be mentioned that without taking up the work of dredging and bandalling the river Ganga it would not be possible to start and maintain the steamer service therein. According to the Canal Act, 1964, the responsibility of undertaking this work devolves on the Central Government. A heavy amount of Rs. 40 lakhs was spent on purchasing a dredger which was irrationally moved from Patna to Tutikorin and ultimately lost in the ocean. I request the Hon. Minister should expeditiously take up this matter in order to give facilities and the protection to the people who have been residing in the villages and the cities situated on the banks of river Ganga.

Regarding the practicability and the utility of this sevrice the council of Applied Economic Research have concluded : "The Ganga and its tributary the Gogra provide fairly good navigation for all forms of water transport...." and "In order to facilitate this traffic the navigation channels of the Ganga require constant dredging and bandalling from October to May."

Besides this I want to submit that this service would be helpful in training and preparing a good technical staff like sailors and **khalasis** who may be later on transferred to the big ships. The Government can also get these persons from the local areas easily.

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : Sir, all the progressive principles enshined in the Indian Constitution are being strangulated by the financial Bill brought in the House. The denial of concentration of economic power with a few selected hands, efforts for achieving economic and regional parity throughout the country and the promotion towards the self-sufficiency are some of these salient principles which are being paralysed. But one thing has been explicitly exposed by this bill that now it has become rather impossible for the Government to keep the mutual interests of the Government and these monopolists concealed any more. By way of giving them tax-holiday for five years the Government have implicitly revealed that they are protecting the interests of those monopolists at the cost of exploited public. Similarly the

Government want to continue the development rebates to be given to the monopolists. According to the report given by the monopoly commission Rs. 12.13 crores were earned by the seven top monopolists during 1954 to 1960. During the period from 1961 to 1965 this amount increased to Rs. 25.47 crores. In the circumstances it is quite obvious that no one else but the Government of India are responsible for every kind of monopoly and corruption prevalent in the country. It is quite strange that on one hand the Government express their severe concern on the lack of means and sources and on the other hand they have been encouraging the monopolists to flourish and prosper at the cost of down-trodden people. The Government have imposed the taxes on the agriculturists with the plea that when they are benefited with development activities of the country they should also contribute to the economy of the country but the Government could not consider the extent to which the agriculturists of India are benefited. The steps towards the prosperity taken by the farmers are not well assessed. The Government are mainly interested in Birla and Tata who have been expanding their estates day by day. The deserving classes of the people are regularly being ignored and no incentive and amenities are being provided to the labour class.

Government's tax-policy is quite defective and consequently the percentage of direct tax out of the total taxation has been decreased from 36.3 to 24.5 during the 17 years while the percentage of indirect tax is increased from 63.7 to 75.5. It is an open example of protecting the interests of monopolists and industrialists.

It goes without saying that there is a great need in India to promote the agriculture production to get self-sufficiency in foodgrains. In this context every kind of facilities should be given to the farmers. But the Government have imposed the tax on fertilizers which are the main factors in the increasing production of the foodgrains. The prices of the fertilizers have been increasing year after year. During the last two years Rs. 118 have been added to the price of one tonne Ammonium sulphate and Rs. 225 per tonne have been increased on urea. If 10 per cent tax is also added in these prices it would be difficult to the farmers to use these fertilizers.

The Government have not touched the people who come under the income group of Rs. 20,000 and above and have increased the income-tax on those persons whose income ranges from Rs.10,000 to 20,000. In this context the income-tax policy of the Government can not be said justifiable.

The old system of land revenue requires a radical change in it. Progressive land revenue and income-tax arrangement should be introduced. But at the same time I want to warn the Government that this work sbould be devolved to the State Government. Not less than 75 per cent of the total financial sources of the country have already been seized by the Centre and, therefore, I will be the last person to suggest the Centre should encroach upon the sources of the State any more. The income might be accrued from the proposed system of progressive land revenue should necessarily go to the concerned States. If the improper distribution of sources between the various States and the Centre goes on at the existing rates the viability and the vitality of the States will become doubtful.

According to the existing situation the States are under heavy debt of the Central Government. About 70 per cent of the total revenue of the Bihar Government was repaid to the Centre

and as such it becomes very difficult for the State Governments to undertake any schemes or plans of their own with the scare means and sources. Therefore, the system of distributing the financial sources between the Centre and the States should be immediately reviewed and there should be a financial Council of the States to look into the matters pertaining to the disparities of the sources and the Finance Commission should be made abiding organisation.

Shri Sheo Narain (Basti) : Sir, the ex-Finance Minister Shri T. T. Krishnamachary gave us assurance that the regions of Basti and Ballia would be taken within the purview of Patel Commission. But the same insurance have not been fulfilled as yet by the Government. For the development of any country the means of communication of that country counts very much. But it is strange that the Government have constantly been ignoring the necessity of them. Our border area touching to Nepal is very significant at the point of Military strategy. The Government should provide good means of communication there. The Master Plan in connection with the roads construction should be made effective.

May I point out that Amin Chand Pyare Lal was given the permit while the firm was blacklisted and Rs. 95 lakhs were outstanding against them ? There should not be a wide gap between the precept and the practice and the Government should not ignore such a heavy amount.

The Government have imposed the tax on the fertilizer which can not he said justifiable. Fertilizers are utilized by all categories of farmers and therefore it would become burdensome for the poor farmers to use the fertilizers at its increased prices.

The prevalent corruption in the customs department should be eradicated as soon as possible.

The agricultural community of our country is being exploited by the official class. However, fundamental rights have been provided to all the citizens of our country but 10 crores of people of our country are leading their lamentable life. Youths have been facing an acute problem of unemployment. Harijans are being exploited and humiliated and the same is with the minorities. I request the Government should deal all these problems effectively and rationally.

The economic conditions of the teachers and the prfessors of our country are not satisfactory. Due to the inadequate salaries and other difficulties our teachers are also taking the recourse of agitation and strike. Because they are the nation builders in real sense, the grievances of this community should be properly worked out and removed expeditiously.

Competition is going on between private sector undertakings and public sector undertakings. Public sector undertakings are bearing loss because of mismanagement and wastage of money there. The high officers are inefficient and rejected ones and most of them are retired and even invalid persons. Energetic and strong men are not allowed to serve these undertakings.

The Political situation of the country has become very dangerous. After the mid-term elections the whole of the country has become politically imbalanced.

I do not support PL-480 scheme in the country, but the farmers should be saved, students should be benefited. The lot of the Harijans should be improved. The problem of language should be solved.

In the end I support this finance bill, but Government should be aware of its responsibilities. The country is passing through critical situations. Borders have been surrounded by the enemies and we have to save our country from them. Harijans should be given protection in accordance with the freedom of speech fundamental rights of the Constitution.

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : वित्त बजट के प्रस्तुत होने के पश्चात् खाद तथा विद्युत चालित पम्पों पर लगे नए करों की चारों ओर से विकट आलोचना हुई परन्तु हमारे वित्त मंत्री तथा उप-प्रधान मंत्री ने किसी की एक बात भी नहीं मानी। परन्तु अब उन्हें एक मास के पश्चात् अनुभव हुआ है कि यह कर अनुचित था। इसलिए सरकार की इन नीतियों के कारण देश में गहन आर्थिक संकट है। देश में बहुत बड़ा प्रतिवाद पैदा हो गया है। एकाधिकार वाद की प्रवृत्ति देश में फैलती जा रही है। धनी और निर्धन के बीच खाई पैदा हो गई है। समाज के प्रभावित वर्गों को दो समय पेट भर रोटी नहीं मिलती। ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो पूर्णतया सरकार की दया पर हैं। और इस पर भी हमारे उप-प्रधान मंत्री जी ने खाद पर लगाए कर के समर्थन में कहा है कि कृषकों को अनेक रूप में सरकार से सुविधाएं मिलती हैं।

गरीब कृषकों को ऋण दिया जाता है तो उन पर बहुत अधिक ब्याज लगाया जाता है जबकि टाटा, बिड़ला जैसे उद्योगपतियों को ब्याजरहित ऋण दिया जाता है। इस प्रकार के प्रतिवाद से देश की आर्थिक प्रणाली को गहरा आघात पहुंच रहा है तथा यह देश में कृषि के हितों के विरुद्ध जा रहा है।

किसी भी रूप में सम्पत्ति कर लगाया जाना चाहिए। परन्तु कृषि कर लगाना तो राज्यों का कार्य है, केन्द्र का नहीं। ये दो प्रबल तथ्य वित्त विधेयक के लिए बाधक हैं।

इन 20 वर्ष के दौरान देश की इस प्रकार की आर्थिक नीतियों के कारण छोटे उद्यमियों को बहुत हानि पहुंची है। इनके विकास में जगह-जगह पर बाधा उत्पन्न की जाती है। मैसूर राज्य में विद्युत चालित करघों पर संयुक्त कर लगाने से छोटे उद्यमों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। उपप्रधान मंत्री महोदय द्वारा कुछ छूट दिए जाने के पश्चात् भी छोटे उद्यमियों की समस्या को दूर नहीं कर सकते। देश को विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए हमें प्रतिरक्षा पर बहुत धन व्यय करना पड़ रहा है। क्योंकि देश की सीमाओं को बहुत सुदृढ़ बनाना अब सर्वप्रथम कार्य है।

हमारे वैदेशिक कार्यों में किसी प्रकार की नई प्रक्रिया नहीं हुई है। यह शिकायतें आई हैं कि विदेशों में हमारी वैदेशिक कार्य कुशलता ठीक ढंग से नहीं चल रहीं तथा हमारे दूतावासों का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 3500 करोड़ रुपया लगा हुआ है। परन्तु उनमें हानि होती है। इसका कारण है वहां बहुत अधिक फिजूल खर्ची होती है, तथा हमारी सरकार ने इस फिजूल खर्ची को कम करने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं किये हैं।

देश में श्रम-शक्ति की लामबन्दी का अभाव है तथा इसी कारण से यहां के योग्य डाक्टर, इंजीनियर आदि जिन्हें यहां सेवा करने का अवसर नहीं मिलता, विदेशों में चले जाते हैं। यही कारण है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में एक प्रकार का संकट आ गया है। देश में कुछ शक्तियां भी इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ठप्प करना चाहती हैं। देश को आज परस्पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देश में समाजवादी समाज की स्थापना हो, इसके लिए बढ़ते हुए एकाधिकारवाद को रोकना पड़ेगा।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है। बुनियादी उद्योगों, खनिज धन को निकालने से सम्बन्धित उद्योगों, बैंकों इत्यादि का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। यदि आप पक्के देश भक्त हैं तथा देश और समाज को उन्नति के उच्च शिखर पर ले जाने के लिए उसे नई दिशा देना चाहते हैं तो समाजवादी बजट प्रस्तुत करें, जिसके लिए आपको कर निर्धारण की पद्धति में नई प्रक्रिया लानी पड़ेगी।

मैं ऐसे राज्य से आया हूं जहां संसाधनों का नितान्त अभाव है परन्तु फिर भी सरकार ने वहां से अनेक उद्योगों को हटा कर देश के अन्य भागों में भेज दिया है। इस क्षेत्र में जन-संख्या बहुत अधिक है। फिर भी केरल राज्य के वित्त मंत्री ने नवीन उपायों से संसाधन जुटाने का प्रयास किया है। देश में सर्वप्रथम केरल राज्य ने ही लाटरी पद्धति का आरम्भ किया जिसका अनुकरण देश के अन्य राज्यों ने भी करना आरम्भ कर दिया है। केवल लाटरी ही नहीं बल्कि केरल सरकार ने अन्य उपायों के माध्यम से भी संसाधनों तथा धन जुटाने का कार्य आरम्भ किया है। केवल कर लगाने मात्र से संसाधनों को नहीं जुटाया जा सकता। आधुनिक देशों में नई-नई पद्धतियों से धन जुटाया जाता है। परन्तु हमारी सरकार आज केवल कर लगाने में विश्वास करती है। विश्व भर में केवल भारत ही एक देश है जिसमें सबसे अधिक कर लगाए गए हैं, और वह भी निर्धन कृषकों पर। इसलिए धन प्राप्ति के लिए नये साधनों को अपनाना आवश्यक है। हमारे पास धन नहीं है, श्रम शक्ति में संसाधन तथा धन की कमी नहीं है तथा इस श्रम शक्ति के उपयोग के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। इन साधनों को सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया, अतः मैं इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri P. G. Sen (Purnea) : While the Hon. Deputy Prime Minister and Finance Minister has lifted away the duty on tubewells and other irrigation facilities, he should also exempt levy on fertilisers also as this will give more incentive to farmers to produce more food. They have their own difficulties and problems, agricultural production cost has increased, this comes to about Rs. 150-200 per acre. It is imperative that Government should give all sorts of facilities to the farmers so that they are encouraged and may try to fill up the Gap of shortage of food grains by producing more food.

We are blaming Birlas which is not proper, moreover the Birlas have played great role in the development of the country. We should not also forget that we have adopted the policy of mixed economy.

Whatever Shri Shankaracharya of Puri had stated on untouchability, is no good. I also oppose him, and much has been spoken against Shri Shankaracharya of Puri. But as he has since backed out of his own statement, I think he has been insulted very much.

As a result of decontrol the prices of carrugated sheets have been increased and poor farmers find themselves unable to purchase them for their roofs because the farmers live in shanties of fodder. Provisions should be made in such a way that these carrugated sheets are made available to each and every needy person. So the housing problem should be solved.

The Judges of the high courts should not be appointed in the same state to which they belong. Indian Judicial Services should be formed.

I do not oppose English, but it should not be made a medium of instructions execpting students who take English as an optional subject.

It is said that Government proposes to retire officers who have attained the age of 50 years. If it is so, Government should also appoint a Committee to hear aggrieved party. Administrative Reforms Committee has stated that Government employees should not be given right to strike. We should behave in a decent manner.

सदस्यों की सजा
CONVICTION OF LEADERS

उपाध्यक्ष महोदय : हमें श्री ए० सी० खेर, नई दिल्ली के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :—

नई दिल्ली के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अध्यक्ष के नाम प्राप्त दिनांक अप्रैल 1969 के एक सन्देश की सूचना सभा को दी जिसमें बताया गया कि लोक सभा के सदस्य सर्वश्री ज्योतिर्मय बसु, सी० के० चक्रपाणि और पट्टियम गोपालन का पार्लियामेन्ट स्ट्रीट के क्षेत्र में जिसमें रायसीना रोड, रफी मार्ग आदि शामिल हैं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रख्यापित निषेद्य आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नई दिल्ली के समक्ष पार्लियामेन्ट स्ट्रीट न्यायालय में विचारण किया गया। उस दिन विचारण के पश्चात् सदस्यों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत अपराध का दोषी पाया गया और प्रत्येक को दस दिन का साधारण कारावास भुगतने का दण्ड दिया गया और उन्हें सेन्ट्रल जेल तिहाड़ में रखा गया है।

वित्त विधेयक जारी
FINANCE BILL (Contd.)

श्री बद्रुद्दुजा (मुर्शीदाबाद) : इस वित्त विधेयक से लाखों लोगों को निराशा हुई है। यह वास्तव में दुर्भाग्य का विषय है कि देश में कांग्रेस सरकार के 22 वर्ष राज्य करने के बाद

भी निर्धन और अधिक निर्धन हो गया है, तथा धनी और अधिक धनी बन गया है। देश की कुल सम्पत्ति का 80 प्रतिशत भाग केवल 75 कुनबों के हाथों में है और इसी कारण देश में आर्थिक उन्नति नहीं हुई है। 34.6 प्रतिशत जनता अब गहन निर्धनता और दुःख का जीवन व्यतीत कर रही है। लाखों लोग अपनी अत्यन्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अशक्त हैं। सरकार की उन्मत्त नीतियों के कारण कीमतें इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि सामान्य व्यक्ति उनको खरीदने में समर्थ नहीं है। हमारे देश में जहां निर्धन जनता को करों के बोझ से दबाया जा रहा है वहां धनिकों को छूट पर छूट दी जा रही है। उन्हें बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है। निर्धन जनता पर 127 करोड़ रुपये के और अधिक कर लगा दिये हैं।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Speaker in the Chair]

जब जापान तथा जर्मनी, द्वितीय महायुद्ध में एक प्रकार से नष्ट प्रायः हो गये थे। अब उन्होंने 24 वर्षों में अपनी आर्थिक दशा सभी प्रकार से सुधार ली है। भारतवर्ष समस्त संसाधनों से युक्त तथा सारे विश्व की सद्भावनाओं से मुक्त होते हुए भी अपनी आर्थिक दशा नहीं सुधार सका।

केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अन्तर्गत, समस्त वित्त सम्बन्धी शक्तियां अपने हाथों में ले ली हैं जिसके कारण राज्य सरकारों को धनाभाव का शिकार होना पड़ रहा है। इन राज्यों को सम्पत्ति कर और आय कर लगाने की भी शक्ति नहीं है, वे तो केवल वस्तुओं पर कर लगा सकते हैं। उत्पादन शुल्क लगाने का अधिकार भी केन्द्र को ही है। वित्तीय सहायता के लिये राज्य सरकारों को केन्द्र के पास आना होगा। पिछले आम चुनावों के पश्चात् दुर्भाग्य से कुछ गैर-कांग्रेसी राज्यों और केन्द्र के परस्पर सम्बन्ध बिगड़ रहे हैं। पिछले आम चुनाव के पश्चात् केन्द्र ने अनेक समानान्तर पुलिस और सुरक्षा दल जैसे सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल तथा औद्योगिक सुरक्षा दल पता नहीं, क्यों कायम किये हैं।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की देशव्यापी पिछली हड़ताल के दौरान केन्द्र ने केरल में उसकी सहमति के बिना वहां केन्द्रीय दल भेजा था। हमारा संघीय ढांचा शरीर रचना के समान है। अतः केन्द्र को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राज्य भी इस शरीर के अंग हैं। और उनको भी जीने का अधिकार है। अतः वित्त मंत्री को इस दिशा में मार्ग दर्शन करना चाहिए जिससे केन्द्र तथा राज्यों के सन्बन्ध सुधर सकें। इससे देश की एकता तथा सुरक्षा बनी रहेगी। तथा राज्यों को कुछ वित्तीय अधिकार दे देने चाहिए।

कृषि सुधार के लिये हम परिवार नियोजन की बात करते हैं। यह ठीक है कि इस बढ़ती हुई जन-संख्या को रोकना चाहिए परन्तु जब इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य चन्द्र और शुक्र ग्रह तक पहुंच रहा हैं, तब मैं नहीं समझता कि परिवार नियोजन की बात कहां तक ठीक है। परिवार नियोजन पर सैकड़ों करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं जो सिंचाई सुविधाओं के कार्य में लगाये जाते तो देश खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेता।

कृषकों को सिंचाई सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वे साल में तीन फसल दे सकें। यदि सिंचाई सुविधाएं मिलती तो देश इस तथाकथित कृषि क्रान्ति से पूर्व ही आत्म-निर्भर हो जाता। अच्छे बीज तथा प्रकृति के अनुग्रह से कृषि उत्पादन में कुछ सुधार हुआ है परन्तु हमें इससे सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। देश के कृषक जो कुल जन-संख्या का 75-80 प्रतिशत हैं, वर्ष में पांच महीने तक बेकार रहते हैं। शिक्षित व्यक्तियों की, बेरोजगारी के सम्बन्ध में, स्थिति और अधिक चिन्ताजनक है। उनमें क्रान्ति की भावना आ जाती है क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिलता। अतः हमारे शिक्षा शास्त्रियों को इस कठिनाई को दूर करने के उपाय सोचने चाहिए। हमारे शिक्षित वर्ग में बहुत अधिक निराशा व्याप्त है तथा हमने उन्हें बुरी तरह से हताश कर रखा है।

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारी इस आर्थिक नीति का यह उद्देश्य होना चाहिये जिससे कि आर्थिक संसाधनों को इस प्रकार उपयोग में लाया जाये कि सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो। परन्तु दुर्भाग्य से क्षेत्रीय विषमताओं तथा असन्तु-लनों को दूर करने के लिये हम बातें बहुत बनाते हैं परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि अब भी निवेश, उत्पादन, औद्योगिक रोजगार तथा संसाधनों का वितरण कार्य कुछ इने-गिने औद्योगिक क्षेत्र में उन्नत संस्थाओं के हाथों में सीमित है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि सभी औद्योगीककृत क्षेत्रों के साथ केन्द्रीय सरकार समान व्यवहार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार को विशेष छूट दे रखी है।

केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल राज्य के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार कर रही है। औद्योगिक क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल सबसे आगे है। केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गये आय कर तथा उत्पादन कर का पश्चिमी बंगाल का भाग क्रमशः 30.33 तथा 25 प्रतिशत है। 1968-69 में कुल 338 करोड़ रुपये एकत्रित आयकर में से 112 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल ने एकत्रित किये हैं। इसी प्रकार 1328.45 करोड़ रुपये के उत्पादन कर में 330 करोड़ रुपया पश्चिमी बंगाल ने जुटाया। पश्चिमी बंगाल के उत्पादन से देश को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की आय होती है जो 1967-68 में 122.6 करोड़ रुपया थी। पटसन के निर्यात से ही केन्द्रीय सरकार की 1968-69 में 31 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिली। परन्तु 1949-50 से पश्चिमी बंगाल की परिस्थिति कुछ ढीली होती जा रही है। 1949-50 में पश्चिमी बंगाल की प्रति व्यक्ति की आय देश में सबसे अधिक थी जिससे इसका प्रथम स्थान था परन्तु अब इसका इस सम्बन्ध में पांचवा स्थान है जबकि महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह पश्चिमी बंगाल के प्रति अधिक ध्यान दे और केन्द्र तथा राज्य के बिगड़ते हुए सम्बन्धों में सुधार करे।

केन्द्र 'पुलिस' पर बहुत अधिक धन खर्च कर रहा है। 1961-62 में यह खर्चा 18.76 करोड़ रुपया था जो बढ़ते-बढ़ते 1968-69 में 71.91 करोड़ रुपया हो गया है। अनुसूचित

जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की स्थिति और भी शोचनीय हो गई है। इनको जीवित जलाकर मारा जाता है, इनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता है।

इन 22 वर्षों के दौरान देश भर में 1000 दंगे फिसाद हुए तथा हजारों मुसलमानों की निर्दयता से हत्या की गई। उनकी धन सम्पत्ति को बहुत बड़े स्तर पर लूटा गया। उनकी मस्जिदों को ध्वंस किया गया। इस सबको देखते हुए गृह मंत्रालय तथा प्रशासन को लज्जित होना चाहिए। यदि इस प्रकार का अत्याचार विश्व के किसी अन्य देश में होता तो वहां सरकार का तख्ता ही उलट दिया जाता। मुझे इस प्रशासन में अब कोई आस्था नहीं है। परन्तु फिर भी कुछ ऐसे साधु महापुरुष हैं जो इन निस्सहाय तथा निर्धन मुसलमानों तथा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। जो सत्य पर दृढ़ रहते हैं वे कभी नष्ट नहीं होते और सदा जीवित रहते हैं तथा मनुष्यमात्र की सेवा करते हैं।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : किसी देश के वित्त विधेयक से यह पता चल जाता है कि सरकार उस देश की अर्थ-व्यवस्था को किस प्रकार सम्हाले हुये है तथा जन-साधारण को यह पता चल जाता है कि देश के सामाजिक कल्याण के हितों को कहां तक बढ़ावा मिला है तथा असमानताएं कहां तक दूर की गई हैं। हम उस समाज से सम्बन्धित हैं जिसने लोकतंत्र तथा समाजवाद को अपने उद्देश्यों के रूप में माना है। यदि हम इस विधेयक की व्यवस्थाओं को इस दृष्टि से देखें तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इस विधेयक की सराहना की जाए कि यह राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया और उत्पादन के आवश्यक साधनों पर जन साधारण का स्वामित्व को बढ़ावा देने में सहायता कर रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि इससे नियमित आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। यहां तक कि छोटे-छोटे देशों ने भी अपने निर्यात-आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर लिया है, तथा उनकी अर्थ-व्यवस्था को लाभ हुआ है। परन्तु हमारी यह आयात-निर्यात व्यापार की वर्तमान नीति से केवल उनको ही लाभ हो रहा है जो अधिक बीजक बनाने का तथा कम बीजक बनाने का काम करते हैं जिससे लाखों-करोड़ों रुपये ही नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान की भी हानि होती है। इस वित्त विधेयक से आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने अथवा निर्यात व्यापार को इसी अवस्था में छोड़ देने के इस सीमित प्रस्ताव को और आयात व्यापार के राष्ट्रीयकरण को कार्य रूप देने में अर्थ व्यवस्था में कोई सहायता नहीं मिलेगी। यदि आयात हुए माल का उचित मूल्य नहीं मिलता और हम कम बीजक बनाने तथा अधिक बीजक बनाने का कार्य छोड़ दें तो अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता तथा इस व्यवस्था को हमें हर मूल्य पर रोकना चाहिए क्योंकि इससे धनी लोगों को ही लाभ होता है तथा देश की अर्थ-व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

देश की जन-संख्या का 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण हैं और ग्रामों में निर्धनता है। इस निर्धनता के निवारण के लिए इस विधेयक में कुछ भी नहीं है। हम कृषि क्रान्ति की बात करते हैं परन्तु यह सत्य है कि यह क्रान्ति सामान्य लोगों तथा भारत के गांवों में अभी नहीं गई है।

यह क्रांति केवल उन धनी लोगों तक ही सीमित है जो वातानुकूल कक्षों में रहते है तथा जिनकी नीतियों के निर्धारण से ही कृषि की उपज बढ़ जाती है। यदि कृषि की उपज में वृद्धि हुई है तो वह केवल दैवी अनुग्रह तथा किसानों के अनथक साहस और उनकी रात दिन के परिश्रम से बढ़ी है। इस दिशा में सरकार अथवा इस सभा ने कोई योगदान नहीं दिया है। परन्तु इसके विपरीत हम खाद पर मूल्य के अनुसार 10 प्रतिशत कर तथा विद्युत चालित पम्प पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव करते हैं।

एकाधिकार वाद को समाप्त करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं हैं। हमारे पास उन निर्धन ग्रामवासियों को देने लिए कुछ नहीं है जिन्होंने पिछले अकाल के दौरान हम से केवल 10 प्रतिशत अधिक उत्पादन किया। हम जाकर उनसे कहते हैं कि यह कृषि क्रांति है अच्छा होगा कि हम इस कृषि क्रांति के विचार को ही त्याग दें क्योंकि क्रांति शिथिल नीतियों के द्वारा नहीं आती है अथवा देवी देवताओं की आराधना करने से क्रांति नहीं आती इसके लिये देश के लोगों को स्वयं परिश्रम करना पड़ता है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये कृषकों ने जो प्रयत्न किये हैं। वे सब मैक्सिकों जैसे देश में हुये अनुसंधानों के आधार पर है। मैक्सिकों से मंगाए गये बीज तथा पशुओं के प्रयोग से उन्होंने कृषि उत्पादन को बढ़ाया है। एक समय था जब यहां से बीज तथा पशु मैक्सिकों में कृषि के लिए भेजे जाते थे, परन्तु आज हमें इसके लिये मैक्सिको का मुंह देखना पड़ रहा है। यदि कृषि के उत्पादन में विकास एवं वृद्धि आई है तो वह केवल मैक्सिकों से आयात किये बीज एवं अनुसंधानों की सहायता से कृषकों ने आर्थिक प्रयत्न करके किया है। इसके लिये हमें अपने कृषकों को बधाई देनी चाहिए। वास्तव में अब हमारे वैज्ञानिकों ने यहां पर प्रयत्न करना आरम्भ कर दिया है जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।

जब हम यह कहते हैं कि कृषकों का एक धनी वर्ग बन गया है तो हम यह भूल जाते हैं कि यह कृषि का आधिक्य है कृषि कोई उद्योग नहीं है क्योंकि उद्योग में एक संयंत्र की जितनी उत्पादन क्षमता होगी उतना ही उत्पादन होगा परन्तु कृषि कार्य से यह आशा नहीं होती। कृषक सदा प्रकृति पर निर्भर रहता है। इसलिए जिस देश की अर्थ-व्यवस्था केवल प्रकृति के हाथों पर निर्भर करती है वहां कृषि क्रांति का नारा लगाना कृषकों के प्रति अन्याय ही होगा।

देश में उर्वरकों का मूल्य अन्तराष्ट्रीय मूल्यों से तीन गुना अधिक है तथा खेद का विषय है कि हम अन्तराष्ट्रीय मूल्यों के बराबर मूल्य का खाद भी तैयार नहीं कर सकते। हम निर्धन कृषक का शोषण करते हैं। जब हम यह जानते हैं कि देश में उर्वरक उत्पादन क्षमता बहुत सीमित है और यह हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है फिर भी हम उस पर कर लगा देते हैं तथा कृषक को वह उर्वरक और अधिक महंगा पड़ता है इस पर हम कहते हैं कि हमने कृषक को खाद दिया।

देश को कृषि से 50 प्रतिशत विदेशी मुद्रा मिलती है। क्या हम इस 50 प्रतिशत विदेशी मुद्रा को कृषि की उन्नति के कार्यों में लगाते हैं। हम भूल जाते हैं कि श्रम प्रधान कृषि से ही

देश की अर्थ-व्यवस्था की प्रगति होगी, केवल यही नहीं बल्कि बेरोजगारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त है वह भी दूर हो जायेगी। क्योंकि जब हम बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं तो केवल पुस्तकों में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही करते हैं। बेरोजगारी की समस्या को विदेशी मुद्रा व्यय किये बिना दूर किया जा सकता है। हम देश की थोड़ी सी भूमि भी बेकार न छोड़ें। प्रत्येक एकड़ भूमि पर एक समोच्च बांध बनाकर एक बूंद पानी नष्ट न जाने दें। देश की प्रत्येक नदी को कृषि-सिंचाई के लिये प्रयोग करें तो यह समस्या सुलझ जायेगी। जब कृषि उत्पादन से हमें 50 प्रतिशत विदेशी मुद्रा का लाभ होता है तो हमें कृषि विकास कार्यों में, विकास योजनाओं के लिये निर्धारित कुल धन का 50 प्रतिशत तो लगाएं ही और साथ ही जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो कृषक का हमारे ऊपर से विश्वास हट जायेगा। हम यह भूल जाते हैं कि उद्योग की प्रगति केवल कृषि के उत्पादन से धन के आधिक्य से ही हो सकती है परन्तु फिर भी हम कृषि के लिए निर्धारित धन में देश के औद्योगीकरण के लक्ष्य के लिये लगातार कमी करते जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप न तो औद्योगीकरण में प्रगति हो पाती है और न ही कृषि के क्षेत्र में। एक कृषक की आय शहरी नागरिक के आय से बहुत कम है। इसलिये हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषक के प्रति अन्याय किया जा रहा है।

शहरी समस्याओं के विषय में मैं यह भी कहता हूं कि इस दिशा में भी कुछ नहीं किया है। एकाधिकारवाद की प्रवृत्ति को समाप्त करने में, उत्पादन के साधनों का प्रगति से राष्ट्रीयकरण करने अथवा शहरी नागरिक जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था करने का उन्हें आश्वासन देने में भी हम कुछ नहीं कर सके हैं। हम केवल सरकारी कर्मचारियों को वेतन तथा महंगाई भत्ता ही देते हैं। मैं सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने के विरोध में नहीं हूं। परन्तु सरकारी कर्मचारी तो बहुत कम हैं। और यदि इनके लिये न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जाए तो उन दूसरे श्रमिकों के लिये क्या करें जिनको हमने न्यूनतम वेतन देने से इन्कार कर दिया है। क्या हम भूमि विहीन कृषि-श्रमिक को न्यूनतम वेतन दे सकते हैं? क्या हम देश के हरिजनों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों तथा दूसरे दलित वर्गों के लिये न्यूनतम वेतन की व्यवस्था करने में समर्थ हैं? यदि सरकारी व्यय के वेतन वाले भाग को बजट से निकाल दिया जाये तो हमें पता चलेगा कि अर्थ-व्यवस्था को सामान्य रूप में प्रगतिशील बनाने के लिये हमारे पास कुछ भी नहीं रहता।

समाजवाद का नारा लगाते हुए हम यह भी कहते हैं कि आय में समानता होनी चाहिये परन्तु हम देखते हैं कि ग्रामीण तो भूखों मरता है और एक शहरी सरकारी कर्मचारी को प्रत्येक सुविधा प्राप्त है अर्थात ग्रामीण और शहरी व्यक्ति की आय में आज कल बहुत अन्तर है। और इससे ग्रामीण जनता के शोषण के सिवाय और कुछ नहीं होता।

बैंक व्यापार के राष्ट्रीयकरण करने के लिये हम कहते रहे हैं परन्तु अब बैंकों का सामाजिक नियंत्रण करने का निर्णय कर लिया है, परन्तु यह किस प्रकार का होगा? अब समय आ गया है कि इन सभी प्रकार के शोषण को बन्द करने के लिये आवाज उठाई जाए। हमारा

समाजवाद भारतीय पद्धति का समाजवाद है। जो अपने आदर्शों को कभी प्राप्त नहीं करेगा। और इसलिये हमें इसका समर्थन नहीं करना चाहिये। क्योंकि इस प्रकार के समाजवाद में निर्धन और अधिक निर्धन तथा धनी और अधिक धनी होता जा रहा है, इसलिये मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं वे निर्धनों पर और कर न लगाकर धनी व्यक्तियों पर कर लगाएं तथा संसाधनों की व्यवस्था करें। मैं वित्त मंत्री से यह भी प्रार्थना करता हूं कि वे उर्वरक पर से शुल्क हटा लें। ऐसा करके वे भारतीय कृषकों की महान सेवा करेंगे।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : The speed of progress of our country is very slow and moreover it is the highest taxed country vis-a-vis other countries of the world. Budget expenditure has increased by eight and half times more as compared to that of 1950, but the national income has not even been doubled. There are some fundamental defects in the budget provisions. The tax levies of the first plan period were used over the administration of the 2nd plan period and new taxes were imposed for the 2nd plan provisions and in this manner taxes are being increased at the beginning of every plan period. The tax levies do not show any income to the country and it is such a process by which we cannot have capital formation. All the departments functioning today are deemed to be important but the question is as to whether we are able to undertake all this work.

The treasury benches and the opposition should sit together for providing budget provisons in such a way that revenue of one ministry does not go to the other one. When such a devide line is formed the citizen of the country will be satisfied and will happily bear the burden of the taxes.

The poor man is forced to be poorer and the rich is made richer. The land lord who has an acre of cultivable land is not deprived of his land but an agricultural worker is deprived of his meals. Industrialists are made prosperous at the cost of the poor artisans. The rich people are given chances in every field of life at the cost of the poor. If you want to remove the burden from agriculture you will have to bring out changes in Government policies. You will have to give first priority to the exploited people.

Coming to the problems of tractors, Government has not properly calculated the demands of tractors. The high ranking officers have made provisions for manufacture of 50,000 tractors when the actual requirements is of 2 lakhs tractors. Provisions have been made for manufacturing 50,000 tractors during the Fourth Five Year plan. Tractors were sold in black market at Rs. 25,000/- when its actual price was Rs. 6000/- only in the recession period. When such is the state of affairs in connection with the issue of tractors what will be the impression of the Government upon the farmer.

Excise duty has been imposed on fertilizer. The price of fertilizer is much more as compared to that of international price. The cost of fertilizer in international market is Rs. 1,500/- per tonne when it is sold at Rs. 2,500/- a tonne and inspite of that you want 10% tax on fertilizer. Government misassesed the demand of fertilizer in the country. Government is destroying gas in Assam in generating power when it should have been used in manufacturing Ammonia which is used in preparing fertilizer. Government should install Atomic plant there.

Best quality of Gypsom is available in Bhutan, which can be used in preparing high quality fertilizer. We have not been able to make use of this. We should develop this gypsom mine and if we do so both the Government and, the people will be benefited. The economy will become stronger. Government of Bhutan will get Royalty. But we have not done so.

Proposals are under considerations for installing Atomic power stations one in Saurashtra and the other at Narora in Aligarh. It is now stated that with the installation of the Atomic power station in Aligarh the rate of the power consumed by the farmer will be 50% cheaper approximately. Aluminium factory and the fertilizer plants will also get the power at much cheaper rates, but there are no provisions in the budget. We have technical knowhow, we want to make it a small one but the cost of this plant is double, as compared to that of America installed by the same firm. If we install a big one it will cost less, production cost will be less, but we have no money for all this.

Our petrol is mixed with solvents because the tax on solvent is less. There are some more clever dealers who sell pure solvent at the rate of petrol. Solvent should be highly taxed so that it may be dearer than petrol. Even the diesel is not pure. It is now made of kerosene and mobile oil. Therefore by using this adulterated diesel, Engines and other machineries which are operated with diesel become defective. Government should consider to decrease the rates of diesel oil to the level at which this adulteration may stop.

Mineral oil is being mixed with edible oils. The cost of mineral oil is 75 paise per kilo whereas that of edible oil is Rs. 4/- a kilo. Therefore edible oil is being adulterated with mineral oil which has deteriorated the health of the nation. Government should increase the prices of mineral oil to the level so that it may be castlier than the edible oils. If Government materialise this the General health of the people will not deteriorate.

Shri Achal Singh (Agra) : The conception of Mahatma Gandhi of free India was that every citizen will be equal in all respects, and our Finance Minister is his follower. But it is a pity that our country is not following Mahatmaji. India is agricultural country. Most of the poeple live in villages whose per capita income is less than a rupee. Great efforts were made to industrialise the country. Now we see that the public undertakings are running in loss whereas Private undertakings are making profits of 25% to 35% on their products. It is pity that ordinary people of our country have not been given facilities and the burden of high taxes have been imposed on them.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार 30 अप्रैल, 1969/10 वैशाख, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 30th April, 1969/Vaisakha 10, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 18-9-69—600.

F.L.S. 48. XXVIII. 50. 69. (N)
600

© 1969 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पाचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
व्यवस्थापक, तेज कुमार प्रेस, लखनऊ द्वारा मुद्रित ।

© 1969 By the Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and
Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and
Printed By the Manager, Tej Kumar Press, Lucknow.